आज़ादी का अमृत महोत्सव

जुलाई, 2022
I.S.S.N. : 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह
श्री जाहन्वी शेखर शर्मा
श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

ISSN-2457-0494

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 195/-

वार्षिक : ₹ 2,100/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2022 अंक - 7

प्रधान संपादक
कमला कान्त

संपादक
अविनाश शुक्ला

[2022] 3 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 6 मई, 2022 को 2022 की सिविल अपील संख्या 3613 में **मुजफ्फर हुसैन** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** [2022] 3 उम. नि. प. 1 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रस्तुत किया गया है । इस मामले में अपीलार्थी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य था, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की थी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई न्यायपीठ में न्यायिक अधिकारी के रूप में पदग्रहण किया । तत्पश्चात् अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ओ. एस. डी. (जांच) के तारीख 19 जुलाई, 2005 के पत्र, जो प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली को संबोधित था द्वारा सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच आरंभ की है । इस पत्र के साथ एक आरोप पत्र भी संलग्न था । उक्त आरोप पत्र में अपीलार्थी के विरुद्ध 12 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से एक आरोप यह था कि अपीलार्थी ने वर्ष 2003 में तारीख 23 मई, 2001 से 19 मई, 2003 की अवधि के दौरान आगरा के ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश के रूप में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन मामलों के एक समूह का विनिश्चय किया था और प्रतिकर का अभिनिर्धारण किया था, जो अर्जित भूमि के क्रेताओं द्वारा किए गए विनिधानों से कई गुणा अधिक था । अपीलार्थी ने प्रतिकर का अवधारण वर्ग गज के आधार पर किया था, न कि बीघा के आधार पर और यह प्रतिकर विधि और साम्या के मूल सिद्धांतों का घोर अतिक्रमण करते हुए समस्त न्यायिक सन्नियमों और औचित्य के विरुद्ध क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान किए जाने की

दृष्टि से अधिनिर्णीत किया गया था । अत: यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपालन में विफल रहा और उसका आचरण 1965 के नियम 3 के अर्थान्तर्गत अवचार कारित करने का था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान किए जाने की दृष्टि से कई गुणा प्रतिकर अभिनिर्धारित किया जाना, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया जाना, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ किए जाने पर और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष और न्यायिक पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित पाए जाने पर पेंशन लाभों में कटौती का प्रस्ताव पारित किया जाना और राज्य सरकार द्वारा पेंशन फायदों में कटौती का दंड अधिरोपित किए जाने के आधार पर फाइल की गई अपील में अनुशासनिक कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब ऐसी कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए या कानूनी नियमों का उल्लंघन करके की गई हो या विनिश्चय अवलोकन पर मनमाना या अनुचित पाया जाए और जहां अपचारी लोक सेवक द्वारा किसी अतिक्रमण या उल्लंघन का कोई अभिकथन न किया गया हो और जांच की कार्यवाहियां उचित और विधिक रूप में की गई पाई गईं हों तथा उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष पर ऐसे न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए अवचार के आरोप का साबित होना स्वीकार किया गया हो, तो वहां उसके विरुद्ध पारित दंड के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

इस अंक में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अमरीक सिंह **बनाम** पंजाब राज्य	48
कृष्ण राय (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य **बनाम** बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मार्फत रजिस्ट्रार और अन्य	26
जरनैल सिंह और एक अन्य **बनाम** पंजाब राज्य	85
बलकार सिंह **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य (देखिए – पृष्ठ सं. 85)	
मालती साहू **बनाम** राहुल और एक अन्य	66
मुजफ्फर हुसैन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	1
शाहजा **उर्फ** शाहजां इस्माइल मोहम्मद शेख **बनाम** महाराष्ट्र राज्य	104
शिव कुमार शर्मा **बनाम** राजस्थान राज्य	139
संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ **बनाम** राहुल (देखिए – पृष्ठ सं. 66)	
सुभाष चंद्र **बनाम** पंजाब राज्य (देखिए – पृष्ठ सं. 48)	

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 - 18

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उसके पुत्र और पुत्री की हत्या किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की कड़ी को साबित करने में असफल रहने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के हेतु को सिद्ध और साबित करने में सफल रहा हो, अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त आयुध (चाकू) को जिस दुकानदार से खरीदा गया, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि यह वही चाकू है जो अभियुक्त द्वारा उससे खरीदा गया था और उसने अभियुक्त की भी शनाख्त की हो, अपराध कारित करने के पश्चात् अभियुक्त जिस 'लोई' को ओढ़कर घटनास्थल से गया था और जिसे उसके प्रकटन कथन के आधार पर बरामद किया गया था, उस पर न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतका लड़की और अभियुक्त के रक्त समूह का रक्त पाया गया हो, वहां अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाने पर अभियुक्त की दोषमुक्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है उसे दोषसिद्ध करना उचित होगा ।

मालती साहू बनाम **राहुल और एक अन्य** 66

– धारा 302 – हत्या [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और 8] – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य – अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

और मृतक के बीच धन के लेन-देन को लेकर लड़ाई-झगड़ा होना – अभियुक्त द्वारा अर्ध-रात्रि में मृतक के सिर पर सोते समय हथौड़े से प्रहार किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना – घटना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा देखा जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य और आयुध अर्थात् आयुध के पता लगे तथ्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में ऐसी कोई व्यक्त या सुस्पष्ट बात प्रकट न हो जिसके आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाया जा सके कि वे सत्य या विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और चिकित्सीय साक्ष्य तथा रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और लोप के रूप में यहां-वहां कुछ विरोधाभासों को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है किंतु जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त के बताने पर आयुध के पता लगने का संबंध है, पंचनामा की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना और अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में उन शब्दों का हू-ब-हू कथन करने के अभाव में जो अभियुक्त द्वारा आयुध के छिपाने के स्थान के बारे में कहे गए थे, आयुध के पता लगने की परिस्थिति का अवलंब लेना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है, तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसका आचरण

पृष्ठ संख्या

सुसंगत होने के कारण दोषसिद्धि उचित है ।

शाहजा उर्फ **शाहजां इस्माइल मोहम्मद शेख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 104

– धारा 302/34 और 392 – लूट और हत्या – अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा मृतक और शिकायतकर्ता के साथ अभिकथित रूप से लूट कारित करने के दौरान मृतक की हत्या कारित किया जाना – शिकायतकर्ता-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त केवल पहली बार न्यायालय में किया जाना – पुलिस द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न किया जाना – न्यायालय में केवल पहली बार अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर उन्हें दोषसिद्ध किया जाना – अपील में दोषसिद्धि की अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता और मृतक द्वारा अपने साथ नकदी लिए होने और अभियुक्तों द्वारा उसे लूट लिए जाने की बात को साबित करने में असफल रहा हो और शिकायतकर्ता-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त पहली बार केवल न्यायालय में की गई हो तथा अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न की गई हो और शिकायतकर्ता के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलिखित प्रथम कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में कुछ विरोधाभास पाए गए हों, वहां अभियुक्तों की शनाख्त परेड परीक्षा कराना आवश्यक होने और पहली बार न्यायालय में उनकी शनाख्त करने के एकमात्र आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित और प्रज्ञापूर्ण नहीं कहा जा सकता है और उनकी दोषसिद्धि को अभिखंडित

पृष्ठ संख्या

और अपास्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त करना उचित होगा ।

अमरीक सिंह बनाम **पंजाब राज्य** 48

– धारा 409, 420, 467, 471, 474, 477क, 109 और 120ख [सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) और 7] – आपराधिक न्यासभंग, छल, कूटरचना, भ्रष्टाचार आदि का अपराध – राज्य की रोडवेज डिपो की बसों पर तैनात तीन कंडक्टरों-अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से पहले से बेची गई टिकटों का डिपो के अधिकारियों की मौनानुकूलता में पुन: प्रयोग किया जाना – शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण दल का गठन किया जाना – निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – अभिलेख पर साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होने पर कि निरीक्षण दल द्वारा अपीलार्थियों से अभिगृहीत की गई जाली टिकटों को किसी प्रक्रम पर न तो मुहरबंद किया गया था, न ही अलग-अलग बसों से संबंधित टिकटों को अलग-अलग रखा गया था और साक्षियों को ये टिकटें पुलिस थाने में दिखाई गई थीं तथा न्यायालय में भी इन्हें अमुहरबंद स्थिति में प्रस्तुत किया गया था और इसके अतिरिक्त न्यायालय में निरीक्षण दल की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत न करके फोटो प्रति प्रस्तुत की गई तथा अभियोजन पक्ष द्वारा मूल रिपोर्ट विद्यमान होने और उसके नष्ट हो जाने के बारे में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए ऐसी जांच रिपोर्ट का अवलंब लेना और अपुष्टिकृत टिकटों को अपीलार्थियों से संबद्ध करना असुरक्षित होगा और उनके

पृष्ठ संख्या

विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त करना उचित होगा ।

जरनैल सिंह और एक अन्य बनाम **पंजाब राज्य** 85

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

– धारा 13(i)(घ)(ii) और धारा 15 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 477क] – लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार और लेखा का मिथ्याकरण – अपीलार्थी-लोक सेवक द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कमरों आदि के निर्माण में अभिकथित रूप से अनाचार किया जाना – शिकायत किए जाने पर उसके द्वारा मापन पुस्तिकाओं में घट-बढ़ किया जाना – दोषसिद्धि – जहां अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे दर्शित होता हो कि अभियुक्त-लोक सेवक द्वारा निर्माण कार्य के लिए धन की मंजूरी देने या उसका संदाय करने में उसकी कोई भूमिका थी या उसने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया था और अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक आशय तक न पाया गया हो तथा यह सिद्ध करने के लिए भी अभिलेख पर कोई सामग्री न हो कि अभियुक्त द्वारा लेखा में मिथ्या प्रविष्टि या लोप अथवा ऐसी प्रविष्टियों में परिवर्तन जानबूझकर कपट करने के आशय से किया गया था, वहां अभियुक्त की उक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे दोषमुक्त करना उचित होगा ।

शिव कुमार शर्मा बनाम **राजस्थान राज्य** 139

पृष्ठ संख्या

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 235 [सपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम, 1956 का नियम 3 और सेवा विनियम, 1920 का अनुच्छेद 351क] – लोक सेवक (न्यायिक अधिकारी) द्वारा पदीय अवचार – उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण अधिकारिता – अपीलार्थी-न्यायिक अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के पश्चात्वर्ती क्रेताओं को अभिकथित रूप से असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने की दृष्टि से कई गुणा प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाना – अपीलार्थी द्वारा तत्पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया जाना – अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष और न्यायिक पक्ष द्वारा आरोप साबित पाए जाने पर पेंशनिक फायदों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाना – राज्य सरकार द्वारा पेंशनिक फायदों में कटौती का दंड अधिरोपित किया जाना – अपील – अनुशासनिक कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी अनुज्ञेय है जब ऐसी कार्यवाहियां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए या कानूनी नियमों का उल्लंघन करके की गई हों या विनिश्चय देखने से ही मनमाना या अनुचित पाया जाता है और जहां अपचारी लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन का कोई अभिकथन न किया गया हो और जांच की कार्यवाहियां उचित और विधिक रीति में की गई पाई गई हों तथा उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष पर ऐसे न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए अवचार के आरोपों को साबित होना

पृष्ठ संख्या

स्वीकार किया गया हो, वहां उसके विरुद्ध पारित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा ।

मुजफ्फर हुसैन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 1

सेवा विधि

– भर्ती प्रक्रिया – पात्रता/उपयुक्तता मानदंड अधिकथित करने की शक्ति – सक्षम प्राधिकारी – विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ लिपिक) में प्रोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना – चयन बोर्ड द्वारा बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान कानूनी नियमों में विहित पात्रता में परिवर्तन करते हुए 'साक्षात्कार' को भी सम्मिलित किया जाना – चयन बोर्ड द्वारा पात्रता शर्तों में किए गए परिवर्तन को असफल/अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल करके चुनौती दिया जाना – एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अभिखंडित किया जाना और नए सिरे से विहित नियमों के अनुसार चयन किए जाने का निदेश दिया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा असफल अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में भाग ले लेने के कारण विबंध और उपमति के सिद्धांत के आधार पर विश्वविद्यालय और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा फाइल अपील को मंजूर किया जाना – संधार्यता – किसी पद पर भर्ती/चयन के लिए पात्रता मानदंड नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किए जाने चाहिएं न कि चयन बोर्ड द्वारा जब तक कि उसे कानूनी नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो और जहां चयन बोर्ड को ऐसा

पृष्ठ संख्या

प्राधिकार न हो, वहां उसके द्वारा चयन प्रक्रिया के बीच में पात्रता शर्तों में परिवर्तन करके किए गए चयन को कायम नहीं रखा जा सकता है और विधि के विरुद्ध विबंध और उपमति का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

कृष्ण राय (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य बनाम **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मार्फत रजिस्ट्रार और अन्य** 26

[2022] 3 उम. नि. प. 1

मुजफ्फर हुसैन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2022 की सिविल अपील सं. 3613]

6 मई, 2022

न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 235 [सपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम, 1956 का नियम 3 और सेवा विनियम, 1920 का अनुच्छेद 351क] – लोक सेवक (न्यायिक अधिकारी) द्वारा पदीय अवचार – उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण अधिकारिता – अपीलार्थी-न्यायिक अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के पश्चात्वर्ती क्रेताओं को अभिकथित रूप से असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने की दृष्टि से कई गुणा प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाना – अपीलार्थी द्वारा तत्पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया जाना – अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष और न्यायिक पक्ष द्वारा आरोप साबित पाए जाने पर पेंशनिक फायदों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाना – राज्य सरकार द्वारा पेंशनिक फायदों में कटौती का दंड अधिरोपित किया जाना – अपील – अनुशासनिक कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी अनुज्ञेय है जब ऐसी कार्यवाहियां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए या कानूनी नियमों का उल्लंघन करके की गई हों या विनिश्चय देखने से ही मनमाना या अनुचित पाया जाता है और जहां अपचारी लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन का कोई अभिकथन न किया गया हो और जांच की कार्यवाहियां उचित और

विधिक रीति में की गई पाई गई हों तथा उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष पर ऐसे न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए अवचार के आरोपों को साबित होना स्वीकार किया गया हो, वहां उसके विरुद्ध पारित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पद ग्रहण किया था और सितंबर, 2003 में उक्त सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी । सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई न्यायपीठ, मुंबई में न्यायिक अधिकारी के रूप में पद ग्रहण कर लिया । तारीख 19 जुलाई, 2005 को अपीलार्थी को ओ. एस. डी. (जांच), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 19 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा, जो प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली को संबोधित था, सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच आरंभ की थी । इसके साथ एक आरोप पत्र भी संलग्न किया गया था । उक्त आरोप पत्र में अपीलार्थी के विरुद्ध बारह आरोप लगाए गए थे । अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी ने तारीख 23 मई, 2001 से 19 मई, 2003 की अवधि के दौरान आगरा के 11वें अपर जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात रहते हुए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन मामलों के एक समूह का विनिश्चय किया था और वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था जो अर्जित भूमि के पश्चात्वर्ती क्रेताओं द्वारा किए गए विनिधानों से कई गुणा अधिक था ; ऐसे पश्चात्वर्ती क्रेताओं को अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था ; अपीलार्थी ने प्रतिकर का अवधारण वर्गगज के रूप में किया था, न कि बीघा के रूप में और ऐसा प्रतिकर विधि और साम्या के मूलभूत सिद्धांतों का घोर अतिक्रमण करते हुए और सभी न्यायिक सन्नियमों और औचित्य के विरुद्ध ऐसे पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने की दृष्टि से अधिनिर्णीत किया गया था । इसलिए यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने

में विफल रहा था और तदद्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के अर्थान्तर्गत अवचार कारित किया था । अपीलार्थी ने तारीख 7 सितंबर, 2005 और 19 सितंबर, 2005 के पत्रों द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया । अपीलार्थी को तारीख 20 जनवरी, 2006 को विभाग की ओर से उसके विरुद्ध आरंभ की गई विभागीय जांच में प्रस्तुत की गई लिखित दलीलें प्राप्त हुईं और अपीलार्थी ने भी उक्त जांच में तारीख 10 फरवरी, 2006 को अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं । जांच अधिकारी ने तारीख 5 अप्रैल, 2006 की अपनी जांच रिपोर्ट द्वारा आरोप सं. 1 से 11 को "साबित" किया गया और आरोप सं. 12 को "नासाबित" अभिनिर्धारित किया । जांच अधिकारी ने उक्त जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश/प्रशासनिक समिति/पूर्ण न्यायालय को दंड की मात्रा के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख 2 सितंबर, 2006 को हुई अपनी पूर्ण न्यायालय की बैठक में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसके पेंशनिक फायदों में तुरंत प्रभाव से 90 प्रतिशत की कमी करके दंडित करने का प्रस्ताव पारित किया । उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुसरण में प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 जनवरी, 2007 को सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351(क) में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की पेंशन से 90 प्रतिशत रोकने की मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया । अपीलार्थी ने व्यथित होकर तारीख 22 जनवरी, 2007 के उक्त आदेश की वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ, लखनऊ के समक्ष एक रिट याचिका फाइल करके चुनौती दी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 27 अप्रैल, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह पाया कि आरोप सं. 1 से 3 के संदर्भ में दंड का आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी उन घटनाओं के लिए आरोप विरचित नहीं कर सकते थे जो आरोप पत्र से चार वर्ष पूर्व घटित हुई थी । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आरोप सं. 4 से 11 के संबंध में अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । उच्च न्यायालय ने समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए पेंशनिक फायदों की कटौती को 90

प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत तक कम कर दिया । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही उसे आरोप पत्र तामील करने और उसे सुनवाई का पूरा अवसर देने के पश्चात् की गई थी । इसके पश्चात्, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने तारीख 2 सितंबर, 2006 को उक्त जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने और अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से उसके पेंशनिक फायदों में 90 प्रतिशत की कटौती करके दंडित करने का प्रस्ताव पारित किया था । उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा पारित किए गए दंड के आदेश को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल करके चुनौती दी गई थी । उच्च न्यायालय ने आरोप सं. 1 से 3 को हटा दिया और अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सं. 4 से 11 को कायम रखा तथा उसके पेंशनिक फायदों में 90 प्रतिशत कटौती के दंड को कम करके 70 प्रतिशत कर दिया । प्रासंगिक रूप से, अपीलार्थी ने जांच कार्यवाहियों के दौरान या विनिश्चय करने की प्रक्रिया के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अतिक्रमण या किन्हीं कानूनी नियमों या विनियमों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया था । इसलिए ऐसे किन्हीं अभिकथनों के अभाव में, उच्च न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष पर व्यक्तिपरक समाधान हो जाने और न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । जब जांच की कार्यवाहियां उचित और विधिक रीति में की गई पाई गई हैं और जब उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष के साथ-साथ न्यायिक पक्ष पर अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सं. 4 से 11 के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को "साबित" किए जाने के रूप में स्वीकार किया गया है तो इस न्यायालय से एक अपीली प्राधिकारी के रूप में अधिविष्ट होने और जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना प्रत्याशित नहीं है । फिर भी, इस न्यायालय ने केवल अपने अंत:करण

की संतुष्टि के लिए विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत को अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के गुणागुण पर बहस करने के लिए अनुज्ञात किया । अपीलार्थी को ऐसी रीति में कार्यवाहियां संचालित करते हुए पाया गया था, जिसने उसकी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा को परिलक्षित किया था । यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री है कि अपीलार्थी ने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अवचार किया था और अर्जित भूमि के उन पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने के लिए विधि के विनिर्दिष्ट उपबंधों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए न्यायिक आदेश पारित किए थे, जिन्हें प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था और ऐसे आदेश भ्रष्ट हेतु से प्रेरित होकर पारित किए गए थे । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अपनी पर्यवेक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने में पूरी तरह से न्यायोचित था । इस न्यायालय की राय में न्यायिक आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्षकार के प्रति असम्यक् अनुग्रह दर्शित करना न्यायिक बेईमानी और अवचार का सबसे खराब प्रकार है । पक्षपात करने के लिए बाह्य विचारणा सदैव धन संबंधी विचारणा होने की आवश्यकता नहीं है । प्राय: यह कहा जाता है कि "लोक सेवक पानी में मछली की तरह होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि मछली कब और कैसे पानी पीती है" । न्यायाधीश को मामले का विनिश्चय अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के आधार पर करना चाहिए । यदि वह बाह्य कारणों से किसी मामले का विनिश्चय करता है, तो वह विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है । जैसा कि प्राय: उद्धृत किया जाता है, न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए । (पैरा 11, 12, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 319 : **अभय जैन** बनाम **राजस्थान उच्च न्यायालय और एक अन्य** ;	3, 14

[2020] (2020) 11 एस. सी. सी. 760 :
साधना चौधरी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 3, 6, 14

[2019] (2019) 4 एस. सी. सी. 500 :
सर्वपल्ली रमैया (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत बनाम **जिला कलक्टर, चित्तूर** ; 4, 14

[2019] (2019) 10 एस. सी. सी. 640 :
कृष्ण प्रसाद वर्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ; 3, 14

[2018] 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 5936 :
सोरण सिंह बनाम **कलक्टर और अन्य** ; 3, 13

[2014] (2014) 1 ए. डी. जे. 379 (डीबी) :
भारतीय खाद्य निगम बनाम **कैलाश चंद** ; 3

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 584 :
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम **नेमी चंद नलवाया** ; 10

[2008] (2008) 9 एस. सी. सी. 177 :
मीरा साहनी बनाम **उप राज्यपाल दिल्ली** ; 3

[2004] 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 269 :
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 3

[2000] (2000) 1 एस. सी. सी. 416 :
बंबई उच्च न्यायालय बनाम **शशिकांत एस. पाटिल और एक अन्य** ; 9

[1996] (1996) 3 एस. सी. सी. 124 :
उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ बनाम **कालरा प्रॉपर्टीज (प्रा.) लिमिटेड, लखनऊ और अन्य** ; 3

[1995] (1995) 5 एस. सी. सी. 457 :
सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम **न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य** ; 5

[1993] (1993) 2 एस. सी. सी. 56 :
भारत संघ बनाम **के. के. धवन** ; 4, 7

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 1 :
खोरशेद शापूर चेनाई (श्रीमती) बनाम
सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक ; 3, 13

[1976] (1976) 1 एस. सी. सी. 570 :
भारत संघ और अन्य बनाम **इकबाल सिंह** । 3, 13

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 3613.

2017 की रिट याचिका सं. 496 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ, लखनऊ द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 2019 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रदीप कांत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) वंशजा शुक्ला और सिमरनजीत सिंह रेखी

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री प्रदीप मिश्रा, श्री सूरज सिंह और (सुश्री) चारु अंबवानी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया ।

न्या. त्रिवेदी – इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ, लखनऊ द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2017 की रिट याचिका सं. 496, जो अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में उसके द्वारा कारित अभिकथित अवचार के लिए आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर किए गए विनिश्चय के अनुसरण में प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा जारी किए गए दंड के आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई थी, में तारीख 17 अप्रैल,

2019 को पारित किए गए आदेश को चुनौती दी गई है ।

2. **तथ्यात्मक पृष्ठभूमि :**

i. अपीलार्थी ने वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पद ग्रहण किया था और सितंबर, 2003 में उक्त सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी । सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई न्यायपीठ, मुंबई ने न्यायिक अधिकारी के रूप में पद ग्रहण कर लिया । तारीख 19 जुलाई, 2005 को अपीलार्थी को ओ. एस. डी. (जांच), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 19 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा, जो प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली को संबोधित था, सूचित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच आरंभ की थी, जिसका संख्यांक 2005 का 26 है । इसके साथ आरोप पत्र की एक प्रति संलग्न की गई थी । उक्त आरोप पत्र में अपीलार्थी के विरुद्ध बारह आरोप लगाए गए थे । याचिका के विरुद्ध, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी ने तारीख 23 मई, 2001 से 19 मई, 2003 की अवधि के दौरान आगरा के 11वें अपर जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात रहते हुए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन मामलों के एक समूह का विनिश्चय किया था और वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था जो अर्जित भूमि के पश्चात्वर्ती क्रेताओं द्वारा किए गए विनिधानों से कई गुणा अधिक था ; ऐसे पश्चात्वर्ती क्रेताओं को अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था ; अपीलार्थी ने प्रतिकर का अवधारण वर्गगज के रूप में किया था, न कि बीघा के रूप में और ऐसा प्रतिकर विधि और साम्या के मूलभूत सिद्धांतों का घोर अतिक्रमण करते हुए और सभी न्यायिक सन्नियमों और औचित्य के विरुद्ध ऐसे पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने की दृष्टि से अधिनिर्णीत किया गया था । इसलिए यह

अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहा था और तदद्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के अर्थान्तर्गत अवचार कारित किया था । अपीलार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप सं. 12 श्री के. सी. जैन नामक काउंसेल के बेटे के पक्ष में प्रतिकर की अत्यधिक वृद्धि करके उस पर असम्यक् अनुग्रह दर्शाने के संबंध में था ।

ii. अपीलार्थी ने तारीख 7 सितंबर, 2005 और 19 सितंबर, 2005 के पत्रों द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया । अपीलार्थी को तारीख 20 जनवरी, 2006 को विभाग की ओर से उसके विरुद्ध आरंभ की गई विभागीय जांच में प्रस्तुत की गई लिखित दलीलें प्राप्त हुईं और अपीलार्थी ने भी उक्त जांच में तारीख 10 फरवरी, 2006 को अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं ।

iii. जांच अधिकारी ने तारीख 5 अप्रैल, 2006 की अपनी जांच रिपोर्ट द्वारा आरोप सं. 1 से 11 को "साबित" किया गया और आरोप सं. 12 को "नासाबित" अभिनिर्धारित किया । जांच अधिकारी ने उक्त जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश/प्रशासनिक समिति/पूर्ण न्यायालय को दंड की मात्रा के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की । अपीलार्थी को बुलाया गया और उसने उक्त जांच रिपोर्ट पर तारीख 14 जून, 2006 को अपना उत्तर फाइल किया । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख 2 सितंबर, 2006 को हुई अपनी पूर्ण न्यायालय की बैठक में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसके पेंशनिक फायदों में तुरंत प्रभाव से 90 प्रतिशत की कमी करके दंडित करने का प्रस्ताव पारित किया । उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुसरण में प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 जनवरी, 2007 को सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351(क) में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की पेंशन

से 90 प्रतिशत रोकने की मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया ।

iv. अपीलार्थी ने व्यथित होकर तारीख 22 जनवरी, 2007 के उक्त आदेश की वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ, लखनऊ के समक्ष एक रिट याचिका फाइल करके चुनौती दी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 27 अप्रैल, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह पाया कि आरोप सं. 1 से 3 के संदर्भ में दंड का आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी उन घटनाओं के लिए आरोप विरचित नहीं कर सकते थे जो आरोप पत्र से चार वर्ष पूर्व घटित हुई थी । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आरोप सं. 4 से 11 के संबंध में अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । उच्च न्यायालय ने समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए पेंशनिक फायदों की कटौती को 90 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत तक कम कर दिया । यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए उक्त आदेश के विरुद्ध की गई है ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत ने निम्नलिखित दलीलें दीं :

i. अपीलार्थी के विरुद्ध जांच **आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के आधार पर आरंभ की गई थी, यद्यपि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित नहीं थी ।

ii. आरोप पत्र में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के मात्र परिशीलन से उनको देखने से ही यह प्रकट होता है कि आरोपों से यहां तक कि एक प्रथमदृष्ट्या मामला भी नहीं

[1] 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 269.

बनता है और वे न तो तथ्यात्मक रूप से और न ही विधिक रूप से संधार्य हैं ।

iii. प्रतिकर मांगने का अधिकार एक सांपत्तिक अधिकार है न कि मात्र एक मुकदमा करने का अधिकार, और इसे विधिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है । इस संबंध में, उन्होंने **भारत संघ और अन्य** बनाम **इकबाल सिंह**[1], **खोरशेद शापूर चेनाई (श्रीमती)** बनाम **सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक**[2], **भारतीय खाद्य निगम** बनाम **कैलाश चंद**[3] और **सोरण सिंह** बनाम **कलक्टर और अन्य**[4] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

iv. अपीलार्थी द्वारा प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना जारी होने की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर अधिनिर्णीत किया गया था । अर्जित भूमि के संबंध में पश्चात्वर्ती क्रेताओं द्वारा प्रस्थापित कीमत या उनके द्वारा किए गए विनिवेशों से इसकी कोई सुसंगति नहीं है । इस संबंध में, श्री प्रदीप कांत ने **उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ** बनाम **कालरा प्रॉपर्टीज (प्रा.) लिमिटेड, लखनऊ और अन्य**[5], **मीरा साहनी** बनाम **उप राज्यपाल दिल्ली**[6] इत्यादि वाले मामलों का अवलंब लिया ।

v. कई मामलों में, जिनमें अपीलार्थी द्वारा वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे कायम रखा गया था

---

[1] (1976) 1 एस. सी. सी. 570.

[2] (1980) 2 एस. सी. सी. 1.

[3] (2014) 1 ए. डी. जे. 379 (डीबी).

[4] 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 5936.

[5] (1996) 3 एस. सी. सी. 124.

[6] (2008) 9 एस. सी. सी. 177.

और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थी बाह्य विचारणा से प्रेरित हुआ था, जैसा कि अभिकथन किया गया है ।

vi. अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं था कि उसने रिश्वत ली थी या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति कोई असम्यक् अनुग्रह दिखाया था । इसलिए केवल इस कारण कि वर्धित प्रतिकर दिया गया था, बाह्य विचारणा होने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था । केवल संदेह यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अपीलार्थी ने बाह्य विचारणा के कारण ऐसा किया था । इस संबंध में, श्री प्रदीप कांत ने **कृष्ण प्रसाद वर्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1], **साधना चौधरी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों के विनिश्चयों और **अभय जैन** बनाम **राजस्थान उच्च न्यायालय और एक अन्य**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

vii. अपीलार्थी को किसी गंभीर अवचार का दोषी न ठहराए जाने या कोई हानि कारित न किए जाने के कारण उसे 'गंभीर अवचार' के लिए दंड नहीं दिया जा सकता था ।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री चारु अंबवानी ने निम्नलिखित दलीलें दीं :

i. अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामलों में उच्च न्यायालय का अपने न्यायिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण है । इस मामले में एक नियमित अनुशासनिक जांच करने और विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जांच अधिकारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसे

---

[1] (2019) 10 एस. सी. सी. 640.

[2] (2020) 11 एस. सी. सी. 760.

[3] 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 319.

पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया था और उस रीति पर विचार करते हुए, जिस रीति में अपीलार्थी ने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अवचार किया था, उच्च न्यायालय की सामूहिक अंतश्चेतना को झकझोर दिया था ।

ii. न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि बहुत सीमित है । स्थिर विधिक स्थिति के अनुसार, न्यायालय अपील में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और जब तक प्रक्रिया में कोई अनुचितता या स्पष्ट अवैधता या अतार्किकता नहीं पाई जाती, तब तक अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते । न्यायिक पुनर्विलोकन विनिश्चय के विरुद्ध नहीं, बल्कि विनिश्चय करने की प्रक्रिया के विरुद्ध अनुज्ञेय है । इस संबंध में, उन्होंने **सर्वपल्ली रमैया (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **जिला कलक्टर, चित्तूर**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

iii. अपीलार्थी को उसके विरुद्ध की गई जांच की कार्यवाहियों के दौरान पूर्ण और ऋजु अवसर दिया गया था और उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर की पूरी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय किया गया था । अधिरोपित दंड भी अपीलार्थी की दोषिता के आनुपातिक था ।

iv. जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए उसने यह दलील दी कि अपीलार्थी ने उन पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रतिकर को कई गुणा बढ़ा दिया था, जिन्हें प्रतिकर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था । उसने यह भी दलील दी कि दावेदारों के द्वारा, जो पश्चात्वर्ती क्रेता थे, बहुत कम विनिधान किया गया था और मूल मालिकों के

[1] (2019) 4 एस. सी. सी. 500.

स्थान पर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार और मुकदमा करने का अधिकार खरीदा गया था, जो भूमि अर्जन अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6(ङ) के अधीन पूरी तरह से प्रतिषिद्ध है ।

v. अंत में विद्वान् काउंसेल ने **भारत संघ** बनाम **के. के. धवन**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक अधिकारी, यदि लापरवाही से या असावधानी से कार्य करता है या किसी व्यक्ति को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने का प्रयत्न करता है या कोई ऐसा विनिश्चय करता है जो भ्रष्ट उद्देश्य से किया गया है, तो वह न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर रहा है । साक्ष्य के कठोर नियम विभागीय जांच पर लागू नहीं होते हैं ।

5. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि न्यायिक अधिकारियों के उच्च स्तर के आचरण और चरित्र को बनाए रखना इस न्यायालय के लिए सदैव अत्यधिक चिंता का विषय रहा है । **सी. रविचंद्रन अय्यर** बनाम **न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक बल के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह मत व्यक्त किया था :–

> "न्यायिक पद आवश्यक रूप से एक लोक विश्वास का पद है । इसलिए समाज इस बात की प्रत्याशा करने का हकदार है कि न्यायाधीश एक उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास नैतिक बल, नैतिक दृढ़ता हो और भ्रष्ट या हानिप्रद प्रभावों के प्रति अभेद्य हो । उससे अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक आचरण में औचित्य के सर्वाधिक कठोर मानकों को

---

[1] (1993) 2 एस. सी. सी. 56.

[2] (1995) 5 एस. सी. सी. 457.

बनाए रखे । कोई भी ऐसा आचरण जो न्यायालय की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम करता है, न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए हानिकारक होगा । इसलिए समाज किसी न्यायाधीश से आचरण और ईमानदारी के उच्च मानकों की अपेक्षा करता है । अलिखित आचार संहिता न्यायिक अधिकारियों के लिए स्पष्ट करती है कि वे एक उच्च न्यायिक पदाधिकारी से प्रत्याशित उच्च नैतिक या नीतिपरक मानकों का अनुसरण करें और उन्हें आचरण के पूर्ण मानक के रूप में आत्मसात करे, जिससे जनता का विश्वास पैदा होगा, न्यायिक पद की गरिमा बढ़ेगी और न केवल न्यायाधीश बल्कि न्यायालय की भी छवि बेहतर होगी । अत: यह एक मूलभूत अपेक्षा है कि न्यायाधीश का शासकीय और व्यक्तिगत आचरण अनौचित्य से मुक्त होना चाहिए और यह औचित्य और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक के अनुरूप होना चाहिए । आचरण का यह मानक एक आम आदमी से प्रत्याशित आचरण की बनिश्वत तो ऊंचा है ही, यह किसी अधिवक्ता से प्रत्याशित आचरण की बनिश्वत भी ऊंचा है । वास्तव में, यहां तक कि उनके निजी जीवन में भी ईमानदारी और औचित्च के उच्च मानकों का पालन होना चाहिए, जो दूसरों को स्वीकार्य माने जाने वाले मानकों से ऊंचे हों । इसलिए न्यायाधीश समाज में गिरते स्तर का सहारा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता ।"

6. **साधना चौधरी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने दोहराया कि न्यायिक अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सत्यता के उच्च मानकों की आकांशा करनी चाहिए और उन्हें उनका पालन करना चाहिए :–

"19. इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से इस बात को दोहराया गया है कि न्यायिक अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सत्यता के उच्च मानक की आकांशा करनी चाहिए और उन्हें उसका पालन करना चाहिए । हाल ही में श्रीरंग यादवराव वाघमरे

[1] (2020) 11 एस. सी. सी. 760.

बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2019) 9 एस. सी. सी. 114 = (2019) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 582] वाले मामले में इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने इन सिद्धांतों को अति संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से समाहित किया और दोहराया कि (एस. सी. सी. पृ. 146-47, पैरा 5-10) –

> 'किसी न्यायाधीश में आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण गुण सत्यनिष्ठा का होना है । न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता अन्य संस्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक है । न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, जिसकी नींव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर टिकी है । इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए । इस न्यायालय ने तारक सिंह **बनाम** ज्योति बसु [(2005) एस. सी. सी. 201] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था (एस. सी. सी. पृ. 203) –
>
> > सत्यनिष्ठा, दूसरों के अलावा, न्यायिक अनुशासन की पहचान है । अब समय आ गया है कि न्यायपालिका इस बात का पूरा ध्यान रखे कि न्याय का मंदिर अंदर से न टूटे, जिससे न्याय प्रदान करने की प्रणाली में तबाही मच जाएगी और परिणामस्वरूप इस प्रणाली में जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा । यह याद रखना चाहिए कि बाहर के तूफान की तुलना में अंदर के कठफोड़वे एक बड़ा खतरा है ।'

6. न्यायाधीश का व्यवहार न्यायालय के भीतर और बाहर दोनों जगह कठोर मानक का होना चाहिए । इस न्यायालय ने दया शंकर **बनाम** इलाहाबाद उच्च न्यायालय [(1987) 3 एस. सी. सी. 1 = 1987 एस. सी. सी. (एल एंड एस)132] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया (एस. सी. सी. पृ. 4-5, पैरा 11) –

> '11. ..... न्यायिक अधिकारियों के दो मानक नहीं हो सकते, एक न्यायालय में और दूसरा न्यायालय के बाहर । उनके पास न्यायपरता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का केवल एक ही मानक होना चाहिए । वे जिस पद पर विराजमान हैं, उस पर रहते हुए दूर-दूर तक भी उस पद के असंगत कार्य नहीं कर सकते ।'

7. न्यायाधीश लोकसेवक भी होते हैं । न्यायाधीश को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि वह जनता की सेवा के लिए हैं । न्यायाधीश का आकलन न केवल उसके निर्णयों की गुणवत्ता से, बल्कि उसके चरित्र की गुणवत्ता और शुद्धता से भी किया जाता है । न्यायाधीश के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में त्रुटिहीन ईमानदारी परिलक्षित होनी चाहिए । ऐसा व्यक्ति, जो दूसरों के लिए निर्णय देता है उसे चरित्रवान होना चाहिए । यही वह उच्च मानक है, जिसकी न्यायाधीशों से प्रत्याशा की जाती है ।

8. न्यायाधीशों को अवश्य यह स्मरण रखना चाहिए कि वे मात्र कर्मचारी नहीं हैं बल्कि उच्च लोक पद धारित करते हैं । आर. सी. चंदेल **बनाम** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय [(2012) 8 एस. सी. सी. 58 = (2012) 2 एस. सी. सी. (सि.) 343 = (2012) 3 एस. सी. सी. (क्रि.) 782 = (2012) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 469] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि किसी न्यायाधीश से प्रत्याशित आचरण का मानक एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ऊंचा होता है । इस न्यायालय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां सुसंगत हैं (एस. सी. सी. पृ. 70, पैरा 29) –

> '29. न्यायिक सेवा साधारण सरकारी सेवा नहीं है और न्यायाधीश कर्मचारी-भर नहीं हैं । न्यायाधीश लोक पद धारण करते हैं ; उनके कार्य राज्य के आवश्यक

कार्यों में से एक है । अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, न्यायाधीश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । न्यायाधीश का पद लोक विश्वास का पद होता है । न्यायाधीश को बेदाग सत्यनिष्ठा और अधिक्षेपणीय स्वतंत्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए । उसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ पूर्णतया ईमानदार होना चाहिए । जब कोई मुवक्किल न्यायालय कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे यह सुनिश्चित रूप से महसूस होना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका मामला आया है, वह निष्पक्ष रूप से और किसी बात से प्रभावित हुए बिना न्याय प्रदान करेगा । न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का स्तर एक साधारण व्यक्ति की बनिश्वत बहुत ऊंचा होता है । यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में मानदंड गिर गए हैं इसलिए न्यायाधीशों से, जो समाज से ही आते हैं, यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वे एक न्यायाधीश से अपेक्षित उच्च मानदंड और नैतिक दृढ़ता रखें । न्यायाधीश, सीजर की पत्नी की तरह, संदेह से परे होना चाहिए । न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों पर निर्भर करती है, जो इसका संचालन करते हैं । लोकतंत्र को फलने-फूलने और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होना चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करना चाहिए ।'

9. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी न्यायाधीश को मामले का विनिश्चय केवल अभिलेख पर के तथ्यों और मामले पर लागू विधि के आधार पर करना चाहिए । यदि कोई न्यायाधीश किन्हीं बाह्य कारणों से किसी मामले का विनिश्चय करता है तो वह विधि के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है ।

10. हमारे मत में, 'तुष्टि' शब्द का अर्थ केवल धनीय तुष्टि नहीं है । तुष्टि विभिन्न प्रकार की हो सकती है । यह धन की तुष्टि, शक्ति की तुष्टि, वासना की तुष्टि इत्यादि हो सकती है ।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि जब न्यायिक या न्यायिक-कल्प शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, तो इस न्यायालय द्वारा **भारत संघ** बनाम **के. के. धवन** (उपर्युक्त) वाले मामले में भी संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया गया है :–

"28. इसलिए, निश्चित रूप से, वह अधिकारी जो न्यायिक या न्यायिक-कल्प शक्तियों का प्रयोग करता है और लापरवाही से या असावधानी से या किसी व्यक्ति पर असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने के लिए कार्य करता है, तो वह न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर रहा है । तद्नुसार, प्रत्यर्थी की दलील को नामंजूर किया जाना चाहिए । यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में हमारा सरोकार प्रत्यर्थी के विनिश्चय की शुद्धता या वैधता से नहीं है, बल्कि एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रत्यर्थी के आचरण से है । नौ निर्धारणों के संबंध में आदेशों की वैधता को अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में प्रश्नगत किया जा सकता है । किंतु हमारे मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं है कि सरकार को आचरण नियमों के अतिक्रमण के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अपवर्जित नहीं किया गया है । इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित मामलों में कार्रवाई की जा सकती है –

(i) जहां अधिकारी ने इस रीति में कार्य किया हो, जिससे उसकी सत्यनिष्ठा या सद्भाविकता या कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो ;

(ii) यदि उसके कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही या अवचार दर्शित करने के लिए प्रथमदृष्ट्या सामग्री है ;

(iii) यदि उसने इस रीति में कार्य किया है जो एक सरकारी सेवक के लिए अनुचित है ;

(iv) यदि उसने उपेक्षापूर्वक कार्य किया हो या उसने उन विहित शर्तों का लोप किया हो, जो कानूनी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं ;

(v) यदि उसने किसी पक्षकार को असम्यक् रूप से अनुग्रह प्रदान करने के लिए कार्य किया हो ;

(vi) यदि वह भ्रष्ट हेतु से प्रेरित हुआ हो, चाहे रिश्वत कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि लार्ड कोक ने बहुत पहले कहा था, 'रिश्वत भले ही छोटी हो, तो भी गलती बहुत बड़ी है' ।"

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सांविधानिक न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अपीली प्राधिकारी की शक्ति नहीं है, अपितु केवल विनिश्चय करने की प्रक्रिया तक सीमित है । विभागीय प्राधिकारियों के विनिश्चय में हस्तक्षेप केवल तभी अनुज्ञेय है जब कार्यवाहियां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए या ऐसी कार्यवाहियों को विनियमित करने वाले कानूनी विनियमों का उल्लंघन करते हुए की गई हों या यदि वह विनिश्चय देखते ही मनमाना या मनगढ़ंत पाया गया हो । न्यायालय अपीली न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे और उन्हें घरेलू जांच में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का पुनर्निर्धारण नहीं करना चाहिए और न ही इस आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक अन्य मत संभव है । यदि जांच निष्पक्ष और उचित रूप से की गई है और निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं, तो साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता विभागीय जांच में अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा ।

9. **बंबई उच्च न्यायालय** बनाम **शशिकांत एस. पाटिल और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था :–

---

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 416.

"ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस मामले पर इस तरह से कार्यवाही की है जैसे कि यह उच्च न्यायालय के प्रशासनिक/अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील हो । संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, विभागीय प्राधिकारियों के विनिश्चय में हस्तक्षेप की अनुज्ञा तब दी जा सकती है, यदि ऐसे प्राधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए या ऐसी जांच की पद्धति को विहित करने वाले कानूनी विनियमों का अतिक्रमण करते हुए कार्यवाहियां की हैं या यदि प्राधिकारी का विनिश्चय मामले के साक्ष्य और गुणागुण से असंगत बातों द्वारा दूषित है, या यदि प्राधिकारियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष देखते ही पूरी तरह से मनमाना है या मनगढ़ंत है कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति इस तरह के या उपरोक्त जैसे आधारों पर ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था । किंतु हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि विभागीय प्राधिकारी (इस मामले में उच्च न्यायालय की अनुशासनिक समिति) तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश है, यदि जांच उचित तरीके से की गई है । स्थिर विधिक स्थिति यह है कि यदि कोई ऐसा विधिक साक्ष्य है, जिस पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या यहां तक कि विश्वसनीयता संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष बहस का मामला नहीं है ।"

10. पुनः, **स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर** बनाम **नेमी चंद नलवाया**[1] वाले मामले में पैरा 7 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

"अब यह भलीभांति स्थिर है कि न्यायालय घरेलू जांच में एक अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का पुनर्निर्धारण नहीं करेंगे, न ही इस आधार पर हस्तक्षेप करेंगे कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर एक अन्य मत

[1] (2011) 4 एस. सी. सी. 584.

संभव है । यदि जांच निष्पक्ष और उचित रूप से की गई है और निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं, तो साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीय प्रकृति का प्रश्न विभागीय जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा । इसलिए न्यायालय विभागीय जांच में अभिलिखित किए गए तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां इस तरह के निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या जहां वे स्पष्ट रूप से अनुचित हैं । अनौचित्य का पता लगाने के लिए कसौटी यह देखना है कि क्या कोई अधिकरण युक्तियुक्त रूप से कार्य करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता था । तथापि, न्यायालय अनुशासनिक मामलों के निष्कर्षों में तब हस्तक्षेप करेंगे, यदि नैसर्गिक न्याय या कानूनी विनियमों के सिद्धांतों का अतिक्रमण किया गया है या यदि आदेश मनमाना, मनगढ़ंत, असद्भावी या बाह्य बातों पर आधारित पाया जाता है ।"

11. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही उसे आरोप पत्र तामील करने और उसे सुनवाई का पूरा अवसर देने के पश्चात् की गई थी । इसके पश्चात्, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने तारीख 2 सितंबर, 2006 को उक्त जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने और अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से उसके पेंशनिक फायदों में 90 प्रतिशत की कटौती करके दंडित करने का प्रस्ताव पारित किया था । उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा पारित किए गए दंड के आदेश को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल करके चुनौती दी गई थी । उच्च न्यायालय ने आरोप सं. 1 से 3 को हटा दिया और अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सं. 4 से 11 को कायम रखा तथा उसके पेंशनिक फायदों में 90 प्रतिशत कटौती के दंड को कम करके 70 प्रतिशत कर दिया ।

12. प्रासंगिक रूप से, अपीलार्थी ने जांच कार्यवाहियों के दौरान या विनिश्चय करने की प्रक्रिया के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के

अतिक्रमण या किन्हीं कानूनी नियमों या विनियमों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया था । इसलिए ऐसे किन्हीं अभिकथनों के अभाव में, उच्च न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष पर व्यक्तिपरक समाधान हो जाने और न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । जब जांच की कार्यवाहियां उचित और विधिक रीति में की गईं पाई गईं हैं और जब उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष के साथ-साथ न्यायिक पक्ष पर अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सं. 4 से 11 के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को "साबित" किए जाने के रूप में स्वीकार किया गया है तो इस न्यायालय से एक अपीली प्राधिकारी के रूप में अधिविष्ट होने और जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना प्रत्याशित नहीं है । फिर भी, इस न्यायालय ने केवल अपने अंत:करण की संतुष्टि के लिए विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत को अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के गुणागुण पर बहस करने के लिए अनुज्ञात किया ।

13. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री कांत द्वारा उठाए गए तर्क की जड़ यह है कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यात्मक या विधिक रूप से संधार्य नहीं हैं क्योंकि अपीलार्थी ने भूमि संदर्भित मामलों का विनिश्चय सुसंगत समय पर प्रचलित विधि के अनुसार किया था । उनके अनुसार, जैसा कि **भारत संघ और अन्य** बनाम **इकबाल सिंह** (उपर्युक्त), **खोरशेद शापूर चेनाई (श्रीमती)** बनाम **सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक** (उपर्युक्त), **सोरण सिंह** बनाम **कलक्टर और अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, प्रतिकर की ईप्सा करने का अधिकार एक सांपत्तिक अधिकार है और इसे अंतरित किया जा सकता है । इस न्यायालय की राय में, उक्त विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए किए गए हैं और भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अपीलार्थी द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों के तथ्यों से शायद ही कोई सुसंगति है । **भारत संघ और अन्य** बनाम **इकबाल सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह न्यायालय विस्थापित व्यक्तियों (प्रतिकर और पुनर्वास)

नियम 55 के अधीन एक विस्थापित व्यक्ति द्वारा एक वसीयत के अधीन वसीयतदार के रूप में दावेदार के अधिकार पर विचार कर रहा था । **खोरशेद शापूर चेनाई (श्रीमती)** बनाम **सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक** (उपर्युक्त) वाले मामले में अर्जित भूमि के मृत स्वामी के विधिक उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त प्रतिकर के संबंध में सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक, हैदराबाद द्वारा जारी की गई सूचनाओं की वैधता और विधिमान्यता का प्रश्न विचाराधीन था । जहां तक अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का संबंध है, यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी ने उन पश्चात्वर्ती क्रेताओं/विनिधानकर्ताओं के पक्ष में अत्यधिक उच्च दर पर वर्धित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था, जिन्हें कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, विशिष्ट रूप से जब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6(ड.) में मात्र वाद लाने के अधिकार को प्रतिषिद्ध किया गया है । यह पाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा उक्त मामलों का विनिश्चय विधि और साम्य के प्रमुख सिद्धांतों का घोर अतिक्रमण करके और सभी न्यायिक सन्नियमों और औचित्य के विरुद्ध उन ऐसे पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था, जिन्हें प्रतिकर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था ।

14. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा **कृष्ण प्रसाद वर्मा** बनाम **बिहार राज्य** (उपर्युक्त), **साधना चौधरी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) और **अभय जैन** बनाम **राजस्थान उच्च न्यायालय और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अपनी इस दलील पर बल देने के लिए अत्यधिक अवलंब लिया गया कि मात्र संदेह से अवचार का गठन नहीं हो सकता और अवचार की किसी अधिसंभाव्यता का मौखिक या दस्तावेजी सामग्री से समर्थन किए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध केवल इस कारण अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जा सकती कि उनके द्वारा पारित किए गए निर्णय या आदेश गलत थे । हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों और उसके द्वारा अवलंबित निर्णयों के विनिश्चयाधार से पूरी

तरह सहमत हैं । फिर भी, वर्तमान मामले में अपीलार्थी को ऐसी रीति में कार्यवाहियां संचालित करते हुए पाया गया था, जिसने उसकी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा को परिलक्षित किया था । यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री है कि अपीलार्थी ने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अवचार किया था और अर्जित भूमि के उन पश्चात्वर्ती क्रेताओं को असम्यक् अनुग्रह प्रदान करने के लिए विधि के विनिर्दिष्ट उपबंधों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए न्यायिक आदेश पारित किए थे, जिन्हें प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था और ऐसे आदेश भ्रष्ट हेतु से प्रेरित होकर पारित किए गए थे । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अपनी पर्यवेक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने में पूरी तरह से न्यायोचित था ।

15. हमारी राय में न्यायिक आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्षकार के प्रति असम्यक् अनुग्रह दर्शित करना न्यायिक बेइमानी और अवचार का सबसे खराब प्रकार है । पक्षपात करने के लिए बाह्य विचारणा सदैव धन संबंधी विचारणा होने की आवश्यकता नहीं है । प्राय: यह कहा जाता है कि "लोक सेवक पानी में मछली की तरह होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि मछली कब और कैसे पानी पीती है" । न्यायाधीश को मामले का विनिश्चय अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के आधार पर करना चाहिए । यदि वह बाह्य कारणों से किसी मामले का विनिश्चय करता है, तो वह विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है । जैसा कि प्राय: उद्धृत किया जाता है, न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए ।

16. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, हम वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और यह खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 26

कृष्ण राय (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य

बनाम

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मार्फत रजिस्ट्रार और अन्य

[2022 की सिविल अपील सं. 4578-4580]

16 जून, 2022

न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

सेवा विधि – भर्ती प्रक्रिया – पात्रता/उपयुक्तता मानदंड अधिकथित करने की शक्ति – सक्षम प्राधिकारी – विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ लिपिक) में प्रोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना – चयन बोर्ड द्वारा बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान कानूनी नियमों में विहित पात्रता में परिवर्तन करते हुए 'साक्षात्कार' को भी सम्मिलित किया जाना – चयन बोर्ड द्वारा पात्रता शर्तों में किए गए परिवर्तन को असफल/अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल करके चुनौती दिया जाना – एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अभिखंडित किया जाना और नए सिरे से विहित नियमों के अनुसार चयन किए जाने का निदेश दिया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा असफल अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में भाग ले लेने के कारण विबंध और उपमति के सिद्धांत के आधार पर विश्वविद्यालय और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा फाइल अपील को मंजूर किया जाना – संधार्यता – किसी पद पर भर्ती/चयन के लिए पात्रता मानदंड नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किए जाने चाहिएं न कि चयन बोर्ड द्वारा जब तक कि उसे कानूनी नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो और जहां चयन बोर्ड को ऐसा प्राधिकार न हो, वहां उसके द्वारा चयन प्रक्रिया के बीच में पात्रता शर्तों में परिवर्तन करके किए गए चयन को कायम नहीं रखा जा सकता है और विधि के विरुद्ध विबंध और उपमति का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था । इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता के अनुसार ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अधीन कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की अंग्रेजी/हिंदी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा ली जाएगी । इसके अतिरिक्त, एक घंटे की अवधि के सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित के प्रश्न-पत्र भी होंगे । इसी बीच, चयन बोर्ड/परीक्षक बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अंतिम योग्यता सूची टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों पर आधारित होगी । इसके पश्चात्, चयन/प्रोन्नति करने के लिए नियुक्त किए गए परीक्षक बोर्ड द्वारा योग्यता सूची तैयार की गई और तद्नुसार इसकी सिफारिशों के अनुसार 14 चयनित अभ्यर्थियों (प्रत्यर्थी सं. 3 से 16) को नियुक्ति पत्र जारी किए गए । असफल अभ्यर्थियों-अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 को नियुक्त करने के विनिश्चय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया गया, जिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया । इससे व्यथित होकर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की गई, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इसके रजिस्ट्रार की मार्फत प्रत्यर्थी सं. 1 के रूप में, कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी सं. 2 के रूप में और 14 चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 के रूप में पक्षकार बनाया गया । यह याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर फाइल की गई थी कि निर्देशिका (मैनुअल) में किसी साक्षात्कार का उपबंध नहीं किया गया है, किंतु बाद में परीक्षा के नियमों में परिवर्तन करके और निर्देशिका में अधिकथित पात्रता शर्तों का अतिक्रमण करते हुए परीक्षक बोर्ड ने साक्षात्कार को पुर:स्थापित किया था, जिसके पास पात्रता शर्तों को अधिकथित करते हुए निर्देशिका का संशोधन करने का कोई प्राधिकार या शक्ति नहीं थी । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका मंजूर की गई और नए सिरे से चयन

करने का निदेश दिया । इससे व्यथित होकर विश्वविद्यालय के साथ-साथ चयनित प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने अंतर-न्यायालय अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए अपीलें मंजूर की गईं कि प्रत्यर्थी (इस अपील में अपीलार्थी) बिना किसी अभ्यापत्ति के परीक्षा प्रक्रिया के साथ-साथ साक्षात्कार में भी सम्मिलित हुए थे और असफल रहने पर वे विबंध और उपमति के सिद्धांत के आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते । असफल अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – कार्यकारी परिषद् के तारीख 2/3 नवंबर, 1980 के प्रस्ताव सं. 223 द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका के पैरा 6.4 के अनुसार, ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की है, कनिष्ठ लिपिक श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे । ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी/हिंदी में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । टंकण परीक्षा के इस खंड के साथ संलग्न टिप्पण में उल्लेख है कि यदि कोई कर्मचारी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र है, तो उसे इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नत किया जाएगा कि वह अपनी प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, जिसमें असफल रहने पर उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा । टिप्पण में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । पैरा 6.4(ii)(ख) में यह भी उपबंध किया गया है कि एक घंटे की अवधि के सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित के दो प्रश्नपत्र आयोजित किए जाएंगे । समूह-घ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के काडर में प्रोन्नत करने के लिए विहित उपरोक्त पात्रता और प्रक्रिया का शुद्ध प्रभाव यह होगा कि – (1) हिंदी/अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से एक टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी । इस टंकण परीक्षा को आज्ञापक रूप से अर्हित किया जाना आवश्यक नहीं था और यहां तक कि जो पात्र अभ्यर्थी टंकण

परीक्षा अर्हित न कर सकें, किंतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद पात्र हैं, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए दो वर्ष तक का समय दिया जाएगा और अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । पात्र अभ्यर्थियों के लिए जिस एकमात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था, वह विभागीय परीक्षा अर्थात् सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की परीक्षा थी । इस प्रकार, यदि कोई पात्र अभ्यर्थी सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और टंकण परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है तो वह प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में रखे जाने का हकदार होगा । इसमें यह भी आदिष्ट किया गया था कि यदि पात्र अभ्यर्थी सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की विभागीय लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, किंतु टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो भी वे प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे और उन्हें इस शर्त के साथ वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा कि उन्हें दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इन प्रोन्नत अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी, अर्थात् उनके पास टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने और अपनी प्रोन्नति के पश्चात् इसे उत्तीर्ण करने के कम से कम चार अवसर होंगे । प्रस्तुत मामले में, परीक्षक बोर्ड ने, जो बड़ी संख्या में सदस्यों से मिलकर बना था, संपूर्ण प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से एक नई प्रक्रिया स्थापित की । उन्होंने टंकण परीक्षा को अनिवार्य मानते हुए इसके लिए 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित विभागीय परीक्षा के लिए इसके प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक के साथ 60 अंक अधिनिर्णीत किए और इसके अतिरिक्त 20 अंकों के साक्षात्कार की शुरुआत की । इस प्रकार, योग्यता सूची कुल 100 अंकों के आधार पर तैयार की जानी थी । कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका में विभिन्न शीर्षों के अधीन अधिनिर्णीत अंकों के आधार पर ऐसी योग्यता सूची तैयार करने के लिए न तो कोई उपबंध है और न ही कोई अन्य संकेत । अभ्यर्थी के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता और चतुर्थ श्रेणी में पांच वर्ष का अनुभव होने के पश्चात्, विभागीय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए, वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की जानी थी । पूर्वोक्त पात्रता प्रक्रिया

से जो आशय और उद्देश्य प्रकट होता है, वह यह था कि लिखित परीक्षा अर्हित करने के अध्यधीन रहते हुए वरिष्ठता प्रोन्नति के लिए मानदंड होगी । परीक्षक बोर्ड ने स्वयं ही मानदंड को परिवर्तित कर दिया और साक्षात्कार की शुरुआत करके और योग्यता सूची को टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर तैयार करके इसे पूरी तरह से योग्यता आधारित बना दिया । निर्देशिका के खंड 6.4 के उपबंधों के अनुसार, टंकण परीक्षा आज्ञापक नहीं थी । जो भी व्यक्ति टंकण परीक्षा में असफल रहेगा, उसे इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया जा सकता है कि उसे कार्यभार ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । इस न्यायालय ने जो पाया है, वह यह है कि खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के तर्काधार का अनुमोदन किया था । तथापि, खंड न्यायपीठ ने विबंध के इस सिद्धांत को लागू करने में त्रुटि की है कि अपीलार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे और असफल होने के कारण इसे चुनौती देने के लिए अग्रसर हुए और केवल इस आधार पर अपीलें मंजूर कीं और विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया । खंड न्यायपीठ को विद्वान् एकल न्यायाधीश के तर्काधार का अनुमोदन करने के पश्चात् तकनीकी अभिवाक् के आधार पर विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । खंड न्यायपीठ को यह विचार करना चाहिए था कि अपीलार्थी वर्ष 1977 से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और साक्षात्कार के प्रक्रम पर गंभीर आक्षेप या अभ्यापत्ति करने और खेल के नियमों में परिवर्तन करने के सिद्धांतों को समझने की उनसे प्रत्याशा करना बहुत दूर की बात, अयुक्तियुक्त और अनपेक्षित था । खंड न्यायपीठ द्वारा जिन निर्णीत विधियों का अवलंब लिया गया है, वे प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होंगी क्योंकि खंड न्यायपीठ द्वारा अवलंब लिए गए किसी भी निर्णय में यह अधिकथित नहीं किया गया है कि विबंध का सिद्धांत विधि के ऊपर होगा । यह स्थिर सिद्धांत है कि विबंध का सिद्धांत विधि को अध्यारोही नहीं कर सकता । कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका विबंध या उपमति के किसी ऐसे सिद्धांत पर अभिभावी होगी । (पैरा 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 11 एस. सी. सी. 628 : **टाटा केमिकल्स लि.** बनाम **सीमा-शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर** ;	31
[2009]	(2009) 5 एस. सी. सी. 515 : **के. ए. नागमणि** बनाम **इंडियन एयरलाइंस** ;	24, 28
[2002]	(2002) 6 एस. सी. सी. 127 : **चंद्र प्रकाश तिवारी** बनाम **शकुंतला** ;	24, 27
[1999]	(1999) 1 जेटी एस. सी. 101 : **उत्कल विश्वविद्यालय और अन्य** बनाम **डा. एन. सी. सारंगी और अन्य** ;	24, 26
[1998]	(1998) 1 जेटी एस. सी. 295 : **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **एन. चंद्रशेखरन और अन्य** ;	24, 25
[1995]	(1995) 3 एस. सी. सी. 486 : **मदन लाल और अन्य** बनाम **जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य** ;	24, 29
[1995]	(1995) 6 एस. सी. सी. 1 : **डा. कृष्ण चंद साहू और अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य और अन्य** ।	30

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 4578-4580.

2012 की विशेष अपील सं. 9, 24 और 25 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2016 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री दीपक जैन, (सुश्री) जसप्रीत औलख, के. बी. प्रदीप, तनप्रीत गुलाटी

और वैभव मनु श्रीवास्तव

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री टी. वी. जॉर्ज, शीशपाल ललेर, घनश्याम सिंह, हितेश कुमार, अतुल और रजनीश कुमार झा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया ।

न्या. नाथ – इजाजत दी गई ।

2. 2021 के आई. ए. डी. सं. 133982 की अनुमति दी गई ।

3. इन तीन सिविल अपीलों में, इस न्यायालय से यह विनिश्चय करने के लिए कहा गया है कि क्या विबंध और उपमति का सिद्धांत उन कानूनी सेवा नियमों पर अभिभावी होगा, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत करने की प्रक्रिया विहित की गई है । विद्वान् एकल न्यायाधीश का मत था कि कानूनी नियम अभिभावी होंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जबकि खंड न्यायपीठ यद्यपि विद्वान् एकल न्यायाधीश के इस तर्काधार से सहमत थी कि नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया था, फिर भी कानूनी नियमों द्वारा अधिकथित कानूनी शक्ति वाली पात्रता शर्तों के अतिरिक्त विबंध और उपमति के सिद्धांत को लागू करते हुए विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने के लिए अग्रसर हुई ।

4. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को मंजूर कर लिया और प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 की प्रोन्नति को अपास्त करने के पश्चात् बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को विधि के अनुसार और उक्त निर्णय में की गई मताभिव्यक्तियों के अनुसार नए सिरे से प्रोन्नति की कवायद करने का निदेश दिया । खंड न्यायपीठ ने अपील मंजूर की, विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया और रिट याचिका को खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर, मूल रिट याचियों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है ।

5. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि इस विश्वविद्यालय ने प्रोन्नति के

माध्यम से तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ लिपिक ग्रेड) के 14 पदों को भरने के लिए 3050-4590/- रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए प्रोन्नति के लिए स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए तारीख 17 दिसंबर, 2005 को एक अधिसूचना/विज्ञापन जारी किया । पूर्वोक्त अधिसूचना में विहित पात्रता इस प्रकार है :–

"पात्रता :

ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अधीन कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे ।

ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की :

अंग्रेजी/हिंदी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा ली जाएगी ; और परीक्षा में अर्हित होने के पश्चात् -

टिप्पण : यदि कोई कर्मचारी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और अन्यथा वह प्रोन्नति के लिए पात्र है, तो उसे इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रोन्नत किया जाएगा कि वह अपनी प्रोन्नति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा/करेगी और ऐसा नहीं करने पर उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा/कर दी जाएगी ।

एक घंटे की अवधि के सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंक गणित के दो प्रश्नपत्र होंगे ।"

6. यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि इसी बीच तारीख 20 अप्रैल, 2006 को एक कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया । तथापि, एक अभ्यावेदन किए जाने पर उक्त कंप्यूटर टंकण परीक्षा को तारीख 19 अप्रैल, 2006 के पत्र द्वारा आस्थगित कर दिया गया और बाद में तारीख 4 मई, 2006 की संसूचना द्वारा यह सूचित किया गया कि अंतिम योग्यता सूची टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों पर आधारित

होगी । टंकण परीक्षा कंप्यूटर या मैनुअल टाइपराइटर पर ली जा सकती थी । टंकण परीक्षा तारीख 16 मई, 2006 को आयोजित की गई थी ; लिखित परीक्षा 23 सितंबर, 2006 को आयोजित की गई थी और साक्षात्कार 31 मई, 2007 और 1 जून, 2007 को आयोजित किया गया था । इसके पश्चात्, चयन/प्रोन्नति करने के लिए नियुक्त किए गए परीक्षक बोर्ड द्वारा योग्यता सूची तैयार की गई और तद्नुसार इसकी सिफारिशों के अनुसार 14 चयनित अभ्यर्थियों (प्रत्यर्थी सं. 3 से 16) को तारीख 5 जून, 2007 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए । अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 को नियुक्त करने के विनिश्चय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया, जिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2007 को नामंजूर कर दिया गया ।

7. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने 2007 की रिट याचिका सं. 37741 (श्री कृष्ण राय और 33 अन्य) फाइल की, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मार्फत इसके रजिस्ट्रार को प्रत्यर्थी सं. 1 के रूप में, कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी सं. 2 के रूप में और 14 चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 के रूप में पक्षकार बनाया गया । यह याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर फाइल की गई थी कि विज्ञापन/अधिसूचना, जो पात्रता शर्तों को अधिकथित करते हुए जारी की गई थी, निर्देशिका के पैरा 6.4 के अनुसार उसमें किसी साक्षात्कार का उपबंध नहीं किया गया है, किंतु बाद में परीक्षा के नियमों में परिवर्तन करके और पैरा 6.4 में अधिकथित पात्रता शर्तों का अतिक्रमण करते हुए परीक्षक बोर्ड ने, जिसके पास पात्रता शर्तों को अधिकथित करते हुए पैरा 6.4 का संशोधन करने का कोई प्राधिकार या शक्ति नहीं थी, साक्षात्कार को पुर:स्थापित किया था । परीक्षक बोर्ड ने कुल 100 अंकों में से योग्यता सूची तैयार करने के लिए निम्नलिखित मानदंड भी अधिकथित किया : टंकण परीक्षा के लिए 20 अंक, हिंदी, अंग्रेजी और अंकगणित की लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक ।

8. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा और प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 द्वारा भी फाइल किए गए प्रति शपथपत्र में निर्देशिका के पैरा 6.4 में यथा अधिकथित और कार्यकारी परिषद्, जो सर्वोच्च प्राधिकरण है, द्वारा

सम्यक् रूप से अनुमोदित पात्रता शर्तों को विवादग्रस्त नहीं किया गया था । यहां तक कि बहस के दौरान भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से विद्वान् काउंसेल अपीलार्थियों की इस दलील से सहमत थे कि परीक्षक बोर्ड को निर्देशिका के पैरा 6.4 में विहित पात्रता शर्तों या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्राधिकार नहीं था । यह भी निर्विवाद है कि परीक्षक बोर्ड में प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्राधिकार निहित नहीं था या दूसरे शब्दों में, वह निर्देशिका के पैरा 6.4 का संशोधन नहीं कर सकता था । यह भी स्वीकृत स्थिति है कि केवल कार्यकारी परिषद् ही निर्देशिका के पैरा 6.4 के अधीन विहित प्रक्रिया/पात्रता को संशोधित या उपांतरित कर सकती है ।

9. विद्वान् एकल न्यायाधीश का अभिलेख पर की संपूर्ण सामग्री और प्रत्यर्थी-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा अवलंब लिए गए अनेक विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् यह मत था कि परीक्षक बोर्ड ने टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर अंक देकर और फिर योग्यता सूची तैयार करके चयन करने में गंभीर गलती कारित की थी ।

10. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका मंजूर की । उसने तारीख 5 जून, 2007 और 2 जुलाई, 2007 के आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 की तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्तियों को भी अभिखंडित कर दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए नए सिरे से चयन करने और इसे पूरी तरह से नियमों के अनुसार तथा ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रतापूर्वक तीन माह के भीतर पूरा करने का भी निदेश दिया । न्यायालय ने 50,000/- रुपए का खर्चा भी अधिनिर्णीत किया । विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "56. परिणामतः, रिट याचिका मंजूर की जाती है । तारीख 5 जून, 2007 और 2 जुलाई, 2007 के आक्षेपित आदेश और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 की नियुक्तियों को तद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है ।

57. विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह उन रिक्तियों के विरुद्ध जिनके लिए तारीख 17 दिसंबर, 2005 की अधिसूचना द्वारा चयन किया गया था, तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए नए सिरे से चयन करे और इसे शीघ्रतापूर्वक और किसी भी दशा में इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरी तरह से नियमों के अनुसार और ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए पूरा करे ।

58. याची खर्चे के हकदार हैं जो मैं 50,000/- रुपए निर्धारित करता हूं ।"

11. विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष जो पैरा 53, 54 और 55 में अंतर्विष्ट है, को भी यहां उद्धृत किया जाता है :–

"53. वर्तमान मामले में, मैं यह मत व्यक्त करने के लिए विवश हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में स्पष्ट रूप से वह दोहराया गया था जो निर्देशिका के खंड 6.4 में अंतर्विष्ट था । चयन के नियमों के बारे में सभी को जानकारी दी गई थी किंतु परीक्षक बोर्ड ने, जो पूर्वोक्त विनिश्चित सन्नियमों के अनुसार चयन करने के लिए गठित किया गया था, चयन के बीच में नियमों को परिवर्तित कर दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए लागू विद्यमान नियमों से अनभिज्ञ तरीके से चयन किया । ये पूरी तरह से अवैध और अधिकारिता के बिना था । यह सुस्थिर है कि खेल के नियमों को खेल के दौरान बदलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।

54. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि याचियों के साथ भेदभाव किया गया है और उन पर ऐसी रीति में विचार किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए कभी भी अनुध्यात नहीं की गई थी ।

55. एक और पहलू की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए । ऐसी प्रोन्नतियां करने में ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार से एक-दूसरे से पूरी तरह असमान हों । ऐसा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो वर्ष 1977 में नियुक्त किया गया था, उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर लंबा अनुभव है, किंतु व्यक्तित्व और अन्य पहलुओं के संदर्भ में वह 10, 20 या 25 वर्षों के बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में सेवा में प्रवेश करने वाले अपने कनिष्ठ के साथ तुलना नहीं कर सकता । पश्चात्वर्ती शैक्षणिक प्रगति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । यह स्पष्ट है कि वर्ष 1977 से 1997 तक नियुक्त किए गए व्यक्तियों अर्थात् याचियों को दशकों की सेवा के बाद तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार करने का अवसर मिला था । ऐसे व्यक्तियों के लिए, साक्षात्कार को चयन के एक भाग के रूप में बनाने से, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा विहित सुसंगत प्रक्रिया में इसे अनुध्यात नहीं किया गया था, उनके लिए इसे अर्हित करना कठिन हो गया । चूंकि वे बेहतर योग्यता वाले युवा और कम आयु के नए कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । किंतु इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सेवा के अंत में उनके पास लंबा अनुभव है । बेहतर सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी सेवा के अंत में कम से कम एक प्रोन्नति प्राप्त करने के बाद उच्च पद से सेवा-निवृत्त हो सकें । विश्वविद्यालय ने निर्देशिका में प्रक्रिया अधिकथित करते समय इन सभी तथ्यों और अन्य सुसंगत पहलुओं को अवश्य ध्यान में रखा होगा किंतु दुर्भाग्यवश परीक्षक बोर्ड ने इन व्यापक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया । उसने नियमों में अधिकथित स्थापित प्रक्रिया की अनदेखी करके पूरी तरह से अवैध रूप से कार्य किया और इसके विपरीत अपने प्राधिकार और अधिकारिता से बाहर जाकर अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया तय की ।"

12. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ-साथ प्राइवेट प्रत्यर्थी सं. 3 से 16 ने भी अंतर-न्यायालय अपीलें फाइल कीं, जिन्हें 2012 की विशेष अपील सं. 24 (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एक अन्य **बनाम** श्री

कृष्ण राय और अन्य), 2012 की विशेष अपील सं. 9 (श्री सर्वजीत सिंह और अन्य **बनाम** श्री कृष्ण राय और अन्य) और 2012 की विशेष अपील सं. 25 (राम किशोर पांडे और अन्य **बनाम** बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । खंड न्यायपीठ का तारीख 29 जुलाई, 2016 के निर्णय द्वारा यह मत था, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कि अपीलार्थी बिना किसी अभ्यापत्ति के परीक्षा प्रक्रिया के साथ-साथ साक्षात्कार में भी सम्मिलित हुए थे और असफल रहने पर वे चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते । खंड न्यायपीठ ने अपने मत के समर्थन में कई विनिश्चयों का अवलंब लिया, जिन पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे, और तद्नुसार विशेष अपीलें मंजूर की, विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी ।

13. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर की सामग्री के साथ-साथ पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा अवलंब ली गई निर्णयज विधियों का परिशीलन करने के पश्चात् अब हम प्रस्तुत विवाद्यक पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं ।

14. कार्यकारी परिषद् के तारीख 2/3 नवंबर, 1980 के प्रस्ताव सं. 223 द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका के पैरा 6.4 के अनुसार, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की है, कनिष्ठ लिपिक श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे । ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी/हिंदी में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । टंकण परीक्षा के इस खंड के साथ संलग्न टिप्पण में उल्लेख है कि यदि कोई कर्मचारी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र है, तो उसे इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नत किया जाएगा कि वह अपनी प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, जिसमें असफल रहने पर उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा । टिप्पण में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । पैरा 6.4(ii)(ख) में यह भी उपबंध किया गया है कि एक घंटे की अवधि

के सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित के दो प्रश्नपत्र आयोजित किए जाएंगे ।

15. कार्यकारी परिषद् ने तारीख 29/30 मार्च, 1996 के अपने प्रस्ताव सं. 131 द्वारा समूह-घ के सेवारत कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए रिक्तियों को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया था और इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि वरिष्ठता सूची विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तैयार की जाएगी और इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि सेवारत कर्मचारियों के लिए विहित अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

16. समूह-घ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के काडर में प्रोन्नत करने के लिए विहित उपरोक्त पात्रता और प्रक्रिया का शुद्ध प्रभाव यह होगा कि – (1) हिंदी/अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से एक टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी । इस टंकण परीक्षा को आज्ञापक रूप से अर्हित किया जाना आवश्यक नहीं था और यहां तक कि जो पात्र अभ्यर्थी टंकण परीक्षा अर्हित नहीं कर सकें, किंतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद पात्र हैं, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए दो वर्ष तक का समय दिया जाएगा और अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी ।

17. पात्र अभ्यर्थियों के लिए जिस एकमात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था, वह विभागीय परीक्षा अर्थात् सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की परीक्षा थी । इस प्रकार, यदि कोई पात्र अभ्यर्थी सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और टंकण परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है तो वह प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में रखे जाने का हकदार होगा । इसमें यह भी आदिष्ट किया गया था कि यदि पात्र अभ्यर्थी सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की विभागीय लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, किंतु टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो भी वे प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे और उन्हें इस शर्त के साथ वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा कि उन्हें दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इन प्रोन्नत

अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की टंकण परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी, अर्थात् उनके पास टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने और अपनी प्रोन्नति के पश्चात् इसे उत्तीर्ण करने के कम से कम चार अवसर होंगे ।

18. प्रस्तुत मामले में, परीक्षक बोर्ड ने, जो बड़ी संख्या में सदस्यों से मिलकर बना था, संपूर्ण प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से एक नई प्रक्रिया स्थापित की । उन्होंने टंकण परीक्षा को अनिवार्य मानते हुए इसके लिए 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित की लिखित विभागीय परीक्षा के लिए इसके प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक के साथ 60 अंक अधिनिर्णीत किए और इसके अतिरिक्त 20 अंकों के साक्षात्कार की शुरुआत की । इस प्रकार, योग्यता सूची, जैसा कि ऊपर वितरण किया गया है, कुल 100 अंकों के आधार पर तैयार की जानी थी ।

19. कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका में विभिन्न शीर्षों के अधीन अधिनिर्णीत अंकों के आधार पर ऐसी योग्यता सूची तैयार करने के लिए न तो कोई उपबंध है और न ही कोई अन्य संकेत । अभ्यर्थी के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता और चतुर्थ श्रेणी में पांच वर्ष का अनुभव होने के पश्चात्, विभागीय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए, वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की जानी थी । पूर्वोक्त पात्रता प्रक्रिया से जो आशय और उद्देश्य प्रकट होता है, वह यह था कि लिखित परीक्षा अर्हित करने के अध्यधीन रहते हुए वरिष्ठता प्रोन्नति के लिए मानदंड होगी ।

20. परीक्षक बोर्ड ने स्वयं ही मानदंड को परिवर्तित कर दिया और साक्षात्कार की शुरुआत करके और योग्यता सूची को टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर तैयार करके इसे पूरी तरह से योग्यता आधारित बना दिया । निर्देशिका के खंड 6.4 के उपबंधों के अनुसार, टंकण परीक्षा आज्ञापक नहीं थी । जो भी व्यक्ति टंकण परीक्षा में असफल रहेगा, उसे इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया जा सकता है कि उसे कार्यभार ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

21. हमने जो पाया है, वह यह है कि खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के तर्काधार का अनुमोदन किया था । खंड न्यायपीठ के निर्णय के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि जो साक्षात्कार लिया गया था वह उपबंधों के अनुसार नहीं था । हमारा भी यही मत है कि परीक्षक बोर्ड द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था । परीक्षक बोर्ड कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अधिकथित पहले से निर्धारित प्रक्रिया में स्वयंमेव परिवर्तन नहीं कर सकता था ।"

22. तथापि, खंड न्यायपीठ ने विबंध के इस सिद्धांत को लागू करने में त्रुटि की है कि अपीलार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे और असफल होने के कारण इसे चुनौती देने के लिए अग्रसर हुए और केवल इस आधार पर अपीलें मंज़ूर कीं और विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया । खंड न्यायपीठ को विद्वान् एकल न्यायाधीश के तर्काधार का अनुमोदन करने के पश्चात् तकनीकी अभिवाक् के आधार पर विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । खंड न्यायपीठ को यह विचार करना चाहिए था कि अपीलार्थी वर्ष 1977 से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और साक्षात्कार के प्रक्रम पर गंभीर आक्षेप या अभ्यापत्ति करने और खेल के नियमों में परिवर्तन करने के सिद्धांतों को समझने की उनसे प्रत्याशा करना बहुत दूर की बात, अयुक्तियुक्त और अनपेक्षित था ।

23. खंड न्यायपीठ द्वारा जिन निर्णीत विधियों का अवलंब लिया गया है, वे प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होंगी क्योंकि खंड न्यायपीठ द्वारा अवलंब लिए गए किसी भी निर्णय में यह अधिकथित नहीं किया गया है कि विबंध का सिद्धांत विधि के ऊपर होगा । यह स्थिर सिद्धांत है कि विबंध का सिद्धांत विधि को अध्यारोही नहीं कर सकता । कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निर्देशिका विबंध या उपमति के किसी ऐसे सिद्धांत पर अभिभावी होगी ।

24. खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया था –

(1) **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **एन. चंद्रशेखरन और अन्य**[1] ।

(2) **उत्कल विश्वविद्यालय और अन्य** बनाम **डा. एन. सी. सारंगी और अन्य**[2] ।

(3) **चंद्र प्रकाश तिवारी** बनाम **शकुंतला**[3] ।

(4) **के. ए. नागमणि** बनाम **इंडियन एयरलाइंस**[4] ।

(5) **मदन लाल और अन्य** बनाम **जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य**[5] ।

25. **चंद्रशेखरन** (उपर्युक्त) वाले मामले में असफल अभ्यर्थियों द्वारा किया गया अभिवाक् यह था कि साक्षात्कार और गोपनीय रिपोर्टों के लिए विहित अंक अननुपातिक रूप से अधिक थे और प्राधिकारी या तो साक्षात्कार में या वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के निर्धारण में प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं कर सकते थे । उपरोक्त मामले में, किन्हीं कानूनी नियमों या नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित पात्रता का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ।

26. **उत्कल विश्वविद्यालय** (उपर्युक्त) वाले मामले में असफल अभ्यर्थियों द्वारा किया गया आक्षेप चयन समिति बनाने के संबंध में था । यह मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा ।

27. **चंद्र प्रकाश तिवारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में असफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार का परिणाम सही नहीं लगा था और यह आपत्ति की गई थी कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी । यह मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है ।

28. **के. ए. नागमणि** (उपर्युक्त) वाले मामले में असफल अभ्यर्थियों को समान अवसर दिए गए थे और किसी कानूनी नियम के अतिक्रमण का कोई अभिकथन नहीं किया गया था, इसलिए यह निर्णय भी लागू

---

[1] (1998) 1 जेटी एस. सी. 295.

[2] (1999) 1 जेटी एस. सी. 101.

[3] (2002) 6 एस. सी. सी. 127.

[4] (2009) 5 एस. सी. सी. 515.

[5] (1995) 3 एस. सी. सी. 486.

नहीं होगा ।

29. **मदन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में एक बार फिर असफल अभ्यर्थी द्वारा किया गया आक्षेप साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित होने के संबंध में था । यह मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है ।

30. इसके विपरीत, हम यह पाते हैं कि **डा. कृष्ण चंद्र साहू और अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपयुक्तता मानदंड नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किया जाना चाहिए और चयन मानदंड चयन बोर्ड/चयन समिति द्वारा तब तक अधिकथित नहीं किया जा सकता, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो । वर्तमान मामले में, प्रथमत:, परीक्षक बोर्ड को चयन मानदंड अधिकथित करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं था और नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिकथित उपयुक्तता मानदंड का भी स्पष्ट अतिक्रमण था । उक्त निर्णय के पैरा 31, 32, 33, 34, 35 और 36 इसमें नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "31. अब, सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन राज्य के राज्यपाल को उपलब्ध है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियम बनाए गए थे । यदि किसी प्रस्तुत मामले में कानूनी नियम संसद् या राज्य के विधानमंडल द्वारा, या इस विषय के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो समुचित सरकार (अनुच्छेद 73 के अधीन केंद्र सरकार और अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार) कार्यकारी अनुदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी । तथापि, यदि नियम बनाए गए हैं किंतु वे किसी विषय या मुद्दे पर मौन हैं तो लोप की आपूर्ति की जा सकती है और नियमों को कार्यकारी अनुदेशों द्वारा अनुपूरिक किया जा सकता है । (देखें : संत राम

[1] (1995) 6 एस. सी. सी. 1.

शर्मा **बनाम** राजस्थान राज्य वाला मामला) ।

32. प्रस्तुत मामले में सरकार ने न तो कोई प्रशासनिक अनुदेश जारी किया और न ही उसने उन मानदंडों के संबंध में लोप की आपूर्ति की, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अवधारित की जानी थी । चयन बोर्ड के सदस्यों ने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के रूप में पहले से ही कार्यरत अभ्यर्थियों की गोपनीय चरित्र पुस्तक को उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के आधार के रूप में अपनाने का विनिश्चय किया ।

33. चयनबोर्ड या उस विषय के लिए, किसी अन्य चयन समिति के सदस्यों को चयन के लिए मानदंड अधिकथित करने की अधिकारिता तब तक नहीं है, जब तक कि वे अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न हों । यह मूल रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकारी का कार्य है कि वह चयन के लिए आधार प्रदान करे । इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य **बनाम** सदानंदम और अन्य वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है (एस. सी. सी. पृष्ठ 583-84, पैरा 17) :–

> 'अब हमें अधिकरण के केवल इस तर्काधार पर विचार करना है कि पुराने नियम को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और किसी भी क्षेत्र से संबंधित कार्मिकों को प्रोन्नति पर अन्य अंचलों में के कार्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है । ऐसा निष्कर्ष निकालने में अधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमाओं के परे जाकर कार्य किया है । हमें केवल यह बताने की आवश्यकता है कि भर्ती का तरीका और जिस प्रवर्ग से किसी सेवा में भर्ती की जानी चाहिए, वे सभी ऐसे विषय हैं जो अनन्य रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । यह न्यायिक निकायों का कार्य नहीं है कि वे उन प्रवर्गों की भर्ती के तरीके को चुनने में कार्यपालिका के विचार

पर निर्णय लें, जिनसे भर्ती की जानी चाहिए क्योंकि वे नीतिगत विनिश्चय के विषय हैं जो अनन्य रूप से कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।'

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

34. चयन समिति को चयन के लिए सन्नियमों को अधिकथित करने की अंतर्निहित अधिकारिता तक नहीं है और न ही आवश्यक विवक्षा द्वारा ऐसी शक्ति को धारण किया जा सकता है । पी. के. रामचंद्र अय्यर और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य मामले में यह मत व्यक्त किया गया था :–

'आवश्यक निष्कर्ष के अनुसार, एएसआरबी में आवश्यक अर्हताओं को जोड़ने की ऐसी कोई शक्ति नहीं थी । यदि ऐसी शक्ति का दावा किया जाता है, तो यह स्पष्ट होनी चाहिए और इसे आवश्यक विवक्षा द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता और इसका स्पष्ट कारण यह है कि नियमों से ऐसे विचलन से अपूरणीय और अप्रवर्तनीय अपहानि होने की संभावना है ।'

35. इसी प्रकार, उमेश चंद्र शुक्ला आदि **बनाम** भारत संघ और अन्य (उपरोक्त) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि चयन समिति के पास नियमों के अधीन जो विहित है, उसके अतिरिक्त अपने स्वयं के मानक अधिकथित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है । इन दोनों विनिश्चयों का दुर्गाचरण मिश्रा **बनाम** उड़ीसा राज्य और अन्य (उपरोक्त) वाले मामले में अनुसरण किया गया था और चयन समिति की यह सीमा बताई गई थी कि उसे उन न्यूनतम अंकों को विहित करने की कोई अधिकारिता नहीं है, जो किसी अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में प्राप्त करने होते हैं ।

36. यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने का कार्य विधायी है न कि कार्यकारी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बी. एस. यादव और अन्य **बनाम** हरियाणा

राज्य और अन्य (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित किया गया था । इस कारण से भी चयन समिति या चयन बोर्ड के पास चयन के लिए कोई मानक या आधार अधिकथित करने की अधिकारिता होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह चयन के नियम बनाने की कोटि में आएगा ।"

31. इसके अतिरिक्त, **टाटा केमिकल्स लि.** बनाम **सीमा-शुल्क आयुक्त (निवारक), जाम नगर**[1] वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि विधि के विरुद्ध कोई विबंध नहीं हो सकता । यदि विधि को किसी विशिष्ट रीति में कुछ करने की आवश्यकता है, तो इसे उसी तरह से किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ रीति में नहीं किया जाता है, तो कानून की दृष्टि में इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा । उक्त निर्णय के पैरा 18 को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"18. अधिकरण का निर्णय इस आधार पर अग्रसर हुआ है कि भले ही नमूने विधि के विपरीत लिए गए थे, किंतु अपीलार्थी विबंधित हो जाएंगे क्योंकि उनके प्रतिनिधि उस समय मौजूद थे जब नमूने लिए गए थे और उन्होंने तुरंत आक्षेप नहीं किया था । यह तथ्य और विधि दोनों पर पूरी तरह से प्रतिकूल निष्कर्ष है । तथ्यों से, पर्याप्त रूप से यह साबित किया गया है कि अपीलार्थी का कोई प्रतिनिधि उस समय वास्तव में मौजूद नहीं था, जब सीमा-शुल्क निरीक्षक ने नमूने लिए थे । श्री के. एम. जानी, जो अभिकथित रूप से मौजूद था, ने न केवल यह कहा था कि उसके अपीलार्थियों के निकासी अभिकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया था क्योंकि वह उनका कर्मचारी नहीं था, अपितु यह भी कहा था कि वह उस समय मौजूद नहीं था, जब नमूने लिए गए थे । इसलिए वास्तव में, जब नमूने लिए गए थे तब अपीलार्थियों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था । विधि के अनुसार, अधिकरण को समान रूप से यह महसूस करना चाहिए था कि विधि के विरुद्ध कोई

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 628.

विबंध नहीं हो सकता है । यदि विधि में यह अपेक्षा की गई है कि कुछ एक विशिष्ट रीति में किया जाना चाहिए, तो इसे अवश्य उसी रीति में किया जाना चाहिए और यदि उस रीति में नहीं किया जाता है, तो विधि की दृष्टि में इसका कतई कोई अस्तित्व नहीं है । सीमा-शुल्क प्राधिकारी किसी विशिष्ट निर्धारिती के कार्यों पर निर्भर करते हुए विधि का पालन करने से मुक्त नहीं हैं । कोई भी चीज जो अवैध है, वह किसी तृतीय व्यक्ति के कृत्य से स्वयं को विधिक रूप में परिवर्तित नहीं कर सकती ।"

32. ऊपर अभिलिखित सभी कारणों से अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए । तद्नुसार, उन्हें मंजूर किया जाता है ।

33. खंड न्यायपीठ के तारीख 29 जुलाई, 2016 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 26 अगस्त, 2011 के निर्णय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

34. हमें सूचित किया गया है कि कुछ अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनमें से कुछ की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो गई है । उनमें से शेष अभी कार्यरत हैं । चूंकि परीक्षाएं पहले ही 2006-2007 में आयोजित की जा चुकी हैं, सभी अपीलार्थी जो विद्यमान नियमों के अनुसार और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निदेशानुसार प्रोन्नति के लिए पात्र होना पाए जाते हैं, उन्हें सभी पारिणामिक फायदे दिए जाएंगे । इसके अतिरिक्त, जहां अपीलार्थियों की मृत्यु हो गई है, वहां फायदा उन विधिक वारिसों को दिया जाएगा जो इसके लिए विधि के अधीन हकदार हैं ।

35. लंबित आवेदन, यदि कोई है (हैं), का निपटारा हो जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 48

अमरीक सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

[2012 की दांडिक अपील सं. 993]

तथा

सुभाष चंद्र

बनाम

पंजाब राज्य

[2012 की दांडिक अपील सं. 992]

11 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 392 – लूट और हत्या – अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा मृतक और शिकायतकर्ता के साथ अभिकथित रूप से लूट कारित करने के दौरान मृतक की हत्या कारित किया जाना – शिकायतकर्ता-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त केवल पहली बार न्यायालय में किया जाना – पुलिस द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न किया जाना – न्यायालय में केवल पहली बार अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर उन्हें दोषसिद्ध किया जाना – अपील में दोषसिद्धि की अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता और मृतक द्वारा अपने साथ नकदी लिए होने और अभियुक्तों द्वारा उसे लूट लिए जाने की बात को साबित करने में असफल रहा हो और शिकायतकर्ता-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त पहली बार केवल न्यायालय में की गई हो तथा अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न की गई हो और शिकायतकर्ता के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलिखित

प्रथम कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में कुछ विरोधाभास पाए गए हों, वहां अभियुक्तों की शनाख्त परेड परीक्षा कराना आवश्यक होने और पहली बार न्यायालय में उनकी शनाख्त करने के एकमात्र आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित और प्रज्ञापूर्ण नहीं कहा जा सकता है और उनकी दोषसिद्धि को अभिखंडित और अपास्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्तों और एक अन्य व्यक्ति को लूट कारित करने और लूट कारित करने के दौरान ज्ञान चंद नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आरोपित किया गया था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, मृतक ज्ञान चंद, मृतक का पिता मुंशी राम और शिकायतकर्ता देशराज (अभि. सा. 1) उप रजिस्ट्रार जिला फाजिल्का के कार्यालय से जा रहे थे और मृतक के पिता को स्थानीय बस अड्डे पर उतारने के पश्चात् वे अपने गांव की ओर अग्रसर हुए थे । अभिकथित रूप से उनके गांव के रास्ते में तीन व्यक्ति एक स्कूटर पर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की । जब शिकायतकर्ता, जो स्कूटर चला रहा था, नहीं रुका, तो सह-अभियुक्त सुभाष चंद्र ने शिकायतकर्ता की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फैंक दिया, जिसके पश्चात् स्कूटर रुक गया और शिकायतकर्ता अस्थायी रूप से अंधा हो गया । सभी तीनों व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का स्कूटर छीनने की कोशिश की और उक्त हाथा-पाई में वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त अमरीक सिंह ने मृतक ज्ञान चंद की छाती में गोली मार दी । शिकायतकर्ता ने देखा कि हमलावर स्कूटर को ले गए थे और ज्ञान चंद बेहोश पड़ा हुआ था तथा उसकी छाती से रक्त बह रहा था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, हेतु यह था कि मृतक के पिता ने शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के पुत्रों के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था, जिसके प्रयोजन के लिए वे उप रजिस्ट्रार के कार्यालय गए थे । विक्रय विलेख के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया था और पांच लाख रुपए की रकम स्कूटर की डिक्की में थी, जिसे हमलावरों द्वारा लूट ली गई थी । उसके पश्चात् अभि. सा. 1 पुलिस थाने गया । अन्वेषण के अनुक्रम में अभियुक्त सुभाष चंद्र और अमरीक सिंह को अपीलार्थी-अभियुक्त-अमरीक सिंह के

प्रकटन कथन के आधार पर गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा अभिकथित रूप से लूटे गए पांच लाख रुपयों में से एक लाख रुपए की राशि बरामद की गई । सह-अभियुक्त सुभाष चंद्र के प्रकटन कथन के आधार पर एक लाख रुपए की और राशि बरामद की गई । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अन्वेषक अधिकारी ने आरोप पत्र फाइल किया । उसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् और मुख्य रूप से अभि. सा. 1 मूल शिकायतकर्ता, जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, के अभिसाक्ष्य और अभियुक्तों द्वारा बताए गए स्थान से एक लाख रुपए की बरामदगी का अवलंब लेते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अभियुक्तों को मृतक ज्ञान चंद की हत्या कारित करने के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्तों द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपीलों को खारिज कर दिया गया । दो अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी-अभियुक्तों को मुख्य रूप से अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय कक्ष में की गई अभियुक्तों की शनाख्त करने के आधार पर और अभियुक्तों से की गई एक-एक लाख रुपए की बरामदगी, जो अभियुक्तों द्वारा बताए गए स्थानों से की गई थी, के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है । इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि एकमात्र रूप से अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय कक्ष में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर की गई है । इससे पूर्व अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी । अब जहां तक अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी होने के आधार पर दोषसिद्धि का संबंध है, प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी विशिष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में

असफल रहा है कि मूल शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपए नकदी ले जा रहे थे, जैसा कि अभिकथन किया गया है । अभियुक्तों को पांच लाख रुपए की लूट करने की बात से संपृक्त करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्राथमिक रूप से यह सिद्ध और साबित करना चाहिए था कि वह व्यक्ति कौन था, जिसके पास रकम थी और जिससे लूटी गई थी । उसके पश्चात् अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध और साबित करना चाहिए था कि अभियुक्तों से जो रकम बरामद की गई, वही रकम है जो शिकायतकर्ता/उस व्यक्ति के पास थी जिससे यह रकम लूटी गई थी । यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी होने की बात पर अधिक जोर नहीं दिया है । चाहे जो भी स्थिति हो, इस न्यायालय की यह राय है कि जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपए की नकदी ले जा रहे थे और अभियुक्तों से जो रकम बरामद हुई थी, वही लूटी गई थी, तो कुछ नकदी की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था । शिकायतकर्ता के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित प्रथम कथन में और न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में कुछ विरोधाभास हैं । उसने मामले में यह अभिसाक्ष्य देते हुए सुधार करने की कोशिश की है कि उसने अभियुक्तों को शहर में एक या दो अवसरों पर देखा था । पूर्वोक्त बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट नहीं की गई थी । प्रतिपरीक्षा में भी, जैसा कि अभि. सा. 1 द्वारा स्वीकार किया गया है, उसने अभियुक्तों का कोई हुलिया नहीं बताया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि यह असत्य है कि अभियुक्त पहले से जानकार थे । उसने अभियुक्तों की केवल आयु बताई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए शनाख्त परेड परीक्षा कराना आवश्यक था और इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय में पहली बार उनकी शनाख्त करने के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है । (पैरा 6, 6.1 और 6.4)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 11 एस. सी. सी. 352 :
मोहम्मद कलाम बनाम **राजस्थान राज्य** ; 4.3

[2003] (2003) 5 एस. सी. सी. 746 :
मलखान सिंह और अन्य बनाम
मध्य प्रदेश राज्य । 4.3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 993 (इसके साथ 2012 की दांडिक अपील सं. 992).

2004 की दांडिक अपील सं. 645 और 2004 की दांडिक अपील सं. 563 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2011 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री रूहिना गुहा, सुश्री मानसी गुप्ता, श्री संग्राम सरोन और श्री श्रीपाल सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री ऋचा कपूर, जसप्रीत गोगिया, ऐश्वर्या मिश्रा और श्री कुणाल आनंद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – ये अपीलें अभियुक्त अमरीक सिंह और सुभाष चंद्र ने 2004 की दांडिक अपील सं. 645 और 2004 की दांडिक अपील सं. 563 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई उक्त अपीलों को खारिज कर दिया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमरीक सिंह और सुभाष चंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए

दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की ।

2. इस अपील में अपीलार्थी के साथ-साथ सुभाष चंद्र और प्रीतपाल सिंह नामक व्यक्तियों को लूट कारित करने और लूट कारित करने के दौरान ज्ञान चंद (मृतक) नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आरोपित किया गया था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, मृतक ज्ञान चंद, मृतक का पिता मुंशी राम और शिकायतकर्ता देशराज (अभि. सा. 1) उप रजिस्ट्रार जिला फाजिल्का के कार्यालय से जा रहे थे और मृतक के पिता को स्थानीय बस अड्डे पर उतारने के पश्चात् वे अपने गांव की ओर अग्रसर हुए थे । यह भी अभिकथन किया गया है कि उनके गांव के रास्ते में तीन व्यक्ति एक स्कूटर पर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की । जब शिकायतकर्ता, जो स्कूटर चला रहा था, नहीं रुका, तो सह-अभियुक्त सुभाष चंद्र ने शिकायतकर्ता की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिसके पश्चात् स्कूटर रुक गया और शिकायतकर्ता अस्थायी रूप से अंधा हो गया । सभी तीनों व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का स्कूटर छीनने की कोशिश की और उक्त हाथा-पाई में वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त अमरीक सिंह ने मृतक ज्ञान चंद की छाती में गोली मार दी । शिकायतकर्ता खेत में पहुंचा और उसने वापस आने पर देखा कि हमलावर स्कूटर को ले गए थे और ज्ञान चंद बेहोश पड़ा हुआ था तथा उसकी छाती से रक्त बह रहा था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, हेतु यह था कि मृतक के पिता ने शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के पुत्रों के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था, जिसके प्रयोजन के लिए वे उप रजिस्ट्रार के कार्यालय गए थे । विक्रय विलेख के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया था और पांच लाख रुपए की रकम स्कूटर की डिक्की में थी, जिसे हमलावरों ने चोरी कर लिया था । उसके पश्चात् अभि. सा. 1 पुलिस थाने गया । अभि. सा. 11 निरीक्षक करमजीत सिंह ने उसका कथन अभिलिखित किया और वह घटनास्थल पर गया और वहां ज्ञान चंद का शव पड़ा हुआ पाया । उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की । उसने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए । अभि. सा. 6 डा. एम. एम. सिंह ने ज्ञान चंद के शव की मरणोत्तर परीक्षा की । मरणोत्तर परीक्षा तारीख 8 मई, 2001 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में की गई थी । चिकित्सीय साक्ष्य के

अनुसार मृत्यु परीक्षण से लगभग 6 घंटे पूर्व हुई होगी । अन्वेषण के अनुक्रम में अभियुक्त सुभाष चंद्र और अमरीक सिंह को अपीलार्थी-अभियुक्त अमरीक सिंह के प्रकटन कथन के आधार पर गिरफ्तार किया गया । सहायक उप निरीक्षक अभि. सा. 7 ने अभिकथित रूप से लूटे गए पांच लाख रुपयों, जो शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के अनुसार स्कूटर की डिक्की में रखे हुए थे, में से एक लाख रुपए की राशि बरामद की । सह-अभियुक्त सुभाष चंद्र के प्रकटन कथन के आधार पर एक लाख रुपए की और राशि बरामद की गई । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अन्वेषक अधिकारी ने आरोप पत्र फाइल किया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा उनका भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 397 के साथ पठित धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण किया गया ।

2.1 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की जिनमें अभि. सा. 1 मूल शिकायतकर्ता-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी करमजीत सिंह, निरीक्षक अभि. सा. 11, डा. एम. एम. सिंह अभि. सा. 6 और अन्य पुलिस पदधारी सम्मिलित थे । अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् अभियुक्तों की परीक्षा की गई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके और कथन अभिलिखित किए गए । अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध प्रकट अपराध में आलिप्त करने वाली सभी परिस्थितियों को उन्हें बताया गया, जिससे वे उनका स्पष्टीकरण दे सकें । उन्होंने सभी ऐसी परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया । उसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् और मुख्य रूप से अभि. सा. 1 मूल शिकायतकर्ता, जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, के अभिसाक्ष्य और अभियुक्तों द्वारा बताए गए स्थान से एक लाख रुपए की बरामदगी का अवलंब लेते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अभियुक्तों को मृतक ज्ञान चंद की हत्या कारित करने के लिए आजीवन कारावास

भुगतने का दंडादेश दिया ।

2.2 विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त अमरीक सिंह और सुभाष चंद्र ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की दांडिक अपील सं. 645-डीबी और 2004 की दांडिक अपील सं. 563 फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपीलों को खारिज कर दिया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों की विषयवस्तु है ।

3. अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री रूहिना दुआ ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अभियुक्तों को क्रमश: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करके गंभीर गलती कारित की है ।

3.1 यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों को अभि. सा. 1 मूल शिकायतकर्ता-इत्तिलाकर्ता के अभिसाक्ष्य और अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है ।

3.2 यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में, स्वीकृत रूप से, अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न किया जाना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है, विशिष्ट रूप से जब अभि. सा. 1 मूल शिकायतकर्ता है, जिसने अन्वेषक अधिकारी के समक्ष और यहां तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों का कोई हुलिया नहीं बताया था ।

3.3 यह दलील दी गई कि प्रत्येक अभियुक्त से अभिकथित रूप से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी के आधार पर भी उनकी दोषसिद्धि संधार्य नहीं है । यह दलील दी गई कि यहां तक कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष की ओर से इस पक्षकथन को अविश्वसनीय माना था कि शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपए ले जा रहे थे । अत: यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता और मृतक द्वारा स्कूटर में पांच लाख रुपए ले जाने के तथ्य को सिद्ध और साबित नहीं किया गया था, इसलिए अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी की बात महत्वहीन हो जाती है । यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष को सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना चाहिए था कि शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में यथा अभिकथित पांच लाख रुपए ले जा रहे थे और अभियुक्तों से जो रकम बरामद की गई है, वही रकम है जो शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर में ले जा रहे थे ।

3.4 यह दलील दी गई कि इसलिए अभियुक्तों को अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय में की गई अभियुक्तों की शनाख्त, जो पहली बार की गई थी, के आधार पर और अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था ।

3.5 यह दलील दी गई कि अत: अभियुक्तों की शनाख्त पर किसी सटीक साक्ष्य के अभाव में यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष संदेह के परे अभियुक्तों की शनाख्त को साबित करने में असफल रहा था, इसलिए अभि. सा. 1 द्वारा केवल पहली बार न्यायालय में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं है । यह दलील दी गई कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पहली बार न्यायालय में की गई अभियुक्तों की शनाख्त का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । उपरोक्त दलीलें देते हुए यह प्रार्थना की गई कि अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाए ।

4. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री ऋचा कपूर द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार रूप से विरोध किया गया ।

4.1 राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में जब अभि. सा. 1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने न्यायालय कक्ष में अभियुक्तों की शनाख्त की थी, तो शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न करने से विचारण और अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाएगा ।

4.2 यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । यह दलील दी गई कि उसने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि "उन लड़कों में से एक ने ज्ञान चंद पर गोली चलाई थी, जो उसे उसकी छाती पर हृदय के स्थान पर लगी थी । उक्त सभी तीनों युवक अभियुक्त हैं जो आज न्यायालय में मौजूद हैं । (इस साक्षी ने अभियुक्तों में से एक की तरफ उस व्यक्ति के रूप में संकेत किया था जिसने ज्ञान चंद पर गोली चलाई थी और अभियुक्त ने अपना नाम अमरीक सिंह बताया था) अभियुक्त जो एक तरफ खड़ा हुआ है उसने मेरी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला था (इस साक्षी द्वारा बताए गए अभियुक्त का नाम सुभाष चंद्र के रूप में प्रकट किया गया था)" ।

4.3 राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रत्येक मामले में शनाख्त परेड परीक्षा न कराने से विचारण और/या अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाएगा । यह दलील दी गई कि शनाख्त परेड परीक्षा अन्वेषक अधिकारी द्वारा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि अन्वेषण वास्तविक अपराधी के विरुद्ध सही दिशा में तो जा रहा है । यह दलील दी गई कि इसे उन साक्षियों की यादाश्त को ताजा करने के लिए भी किया जाता है जिन्होंने अभियुक्त को देखा था । यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, शनाख्त परेड परीक्षा सारभूत साक्ष्य नहीं है और वास्तव में न्यायालय में की गई शनाख्त सारभूत साक्ष्य है । यह दलील दी गई कि यदि शिकायतकर्ता पहले से अभियुक्त को नहीं जानता है, तो शनाख्त परेड परीक्षा का आयोजन यह सुनिश्चित करना है कि क्या अन्वेषण उचित रीति में और उचित दिशा में किया जा रहा है या नहीं और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन संपुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में

साक्ष्य में ग्राह्य है । यह दलील दी गई कि तथापि, शनाख्त परेड परीक्षा का अभाव उस साक्षी के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए स्वयमेव पर्याप्त नहीं होगा, जिसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त की हो । यह दलील दी गई कि यहां तक कि किसी प्रस्तुत मामले में न्यायालय यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन साक्षी विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का और भरोसेमंद है, तो न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त करने के विषय में ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है और उक्त परिसाक्ष्य पर किसी संदेह के बिना दोषसिद्धि की जा सकती है । राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त के समर्थन में **मलखान सिंह और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] और **मोहम्मद कलाम** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का पुरजोर अवलंब लिया ।

4.4 यह दलील दी गई कि यहां तक कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है और जो अभियुक्तों द्वारा बताए गए स्थान से की गई है । यह दलील दी गई कि अभियुक्त एक-एक लाख रुपए की बरामदगी को स्पष्ट करने और/या विवरण देने में असफल रहे हैं ।

4.5 यह दलील दी गई कि अत: उच्च न्यायालय तथा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के साथ पठित धारा 392 (जहां तक अभियुक्त सुभाष चंद्र का संबंध है) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में कोई गलती कारित नहीं की है । उपरोक्त दलीलें देते हुए यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपीलों को खारिज किया जाए ।

5. सुना । हमने विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का परिशीलन

---

[1] (2003) 5 एस. सी. सी. 746.

[2] (2008) 11 एस. सी. सी. 352.

किया है । हमने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का विशिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य पर गहराई से विचार किया है ।

6. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी-अभियुक्तों को मुख्य रूप से अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय कक्ष में की गई अभियुक्तों की शनाख्त करने के आधार पर और अभियुक्तों से की गई एक-एक लाख रुपए की बरामदगी, जो अभियुक्तों द्वारा बताए गए स्थानों से की गई थी, के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है । इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि एकमात्र रूप से अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय कक्ष में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर की गई है । इससे पूर्व अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी ।

6.1 अब जहां तक अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी होने के आधार पर दोषसिद्धि का संबंध है, प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी विशिष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मूल शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपए नकदी ले जा रहे थे, जैसा कि अभिकथन किया गया है । अभियुक्तों को पांच लाख रुपए की लूट करने की बात से संपृक्त करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्राथमिक रूप से यह सिद्ध और साबित करना चाहिए था कि वह व्यक्ति कौन था, जिसके पास रकम थी और जिससे लूटी गई थी । उसके पश्चात् अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध और साबित करना चाहिए था कि अभियुक्तों से जो रकम बरामद की गई, वही रकम है जो शिकायतकर्ता/उस व्यक्ति के पास थी जिससे यह रकम लूटी गई थी । यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी अभियुक्तों से एक-एक लाख रुपए की बरामदगी होने की बात पर अधिक जोर नहीं दिया है । चाहे जो भी स्थिति हो, हमारी यह राय है कि जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि शिकायतकर्ता और मृतक स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपए की नकदी ले जा रहे थे और यह वही लूटी गई रकम थी जो अभियुक्तों से बरामद हुई थी, तो अभियुक्तों

को कुछ नकदी की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था ।

6.2 जहां तक अभि. सा. 1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा न्यायालय कक्ष में अभियुक्तों की शनाख्त करने के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि और शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित न करने का संबंध है, उक्त पहलू का मूल्यांकन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए प्रकथनों, जो अभि. सा. 1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा किए गए थे, को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है । यह सही हो सकता है कि विधि की स्थिर स्थिति के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्वकोश नहीं हो सकती है । तथापि, साथ ही साथ जब कोई शनाख्त परेड परीक्षा नहीं की गई थी, तो शिकायतकर्ता के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में के प्रथम वृत्तांत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है । इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में और/या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के प्रथम वृत्तांत में अभियुक्तों की शनाख्त और/या हुलिए को प्रकट किया गया है, जिसके आधार पर वह अभिसाक्ष्य देने के समय पर स्मरण कर सके और न्यायालय कक्ष में पहली बार अभियुक्तों की शनाख्त कर सके ? अभियुक्तों की शनाख्त के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर विचार करने पर इसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> "मैं स्कूटर चला रहा था और ज्ञान चंद मेरे पीछे बैठा हुआ था । जब हम फाजिल्का अबोहर जी. टी. रोड से शातेरवाला से लगभग डेढ़ किलो मीटर आगे लिंक रोड पर थे, तब तीन युवक पीछे से एक स्कूटर पर हमारे साथ पहुंचे, जिनमें से दो युवक 30-35 वर्ष आयु के बिना दाढ़ी-मूछ के थे और एक सिख (सरदार) था जिसकी आयु लगभग 30-32 वर्ष थी और जिसने एक कपड़े का टुकड़ा (थाथी) बांधी हुई थी, जो बीच में बैठा हुआ था और उसके पास छोटी नाली की 12 बोर की बंदूक थी और इन सभी तीनों युवकों ने हमारे साथ पहुंच कर हमें रोकने की कोशिश की । जब हम नहीं रुके, तो एक बिना दाढ़ी-मूछ वाले युवक ने, जो स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा हुआ था, हमारे चेहरों और आंखों पर अपने हाथ से मिर्ची पाउडर फैंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप हम देख

नहीं सके और हमने असहाय होकर अपना स्कूटर रोक दिया तथा हमने आंखों पर हाथ रखकर अपनी आंखें खोली । इसी बीच इन तीनों युवकों ने हमारे स्कूटर के आगे अपने स्कूटर रोके और हमारा स्कूटर छीनने के लिए आगे आए । हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसी बीच एक सिख युवक ने अपनी 12 बोर की बंदूक से तीव्रता से ज्ञान चंद पर गोली चला दी जो उसकी छाती पर लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया ।"

6.3 इस प्रकार, पूर्वोक्त से यह दिखाई पड़ता है कि शिकायतकर्ता-अभि. सा. 1 द्वारा यह कथन करने के सिवाय कि अभियुक्त तीन युवक थे, जिनमें से दो बिना दाढ़ी-मूछ के थे और एक सिख (सरदार) था, जिसने (थाथी) बांधी हुई थी और उसकी आयु 30-32 वर्ष थी, कोई और वर्णन नहीं किया गया था । उसके प्रथम कथन में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है कि उसने पहले से अभियुक्तों को देखा है और वह अभियुक्तों की शनाख्त कर सकता है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय में दिए गए अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य और उसके द्वारा न्यायालय में पहली बार अभियुक्तों की शनाख्त करने की बात का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है । अभि. सा. 1 ने मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित कथन किया है :–

"जब लगभग 1.30 बजे अपराह्न में हमने जी. टी. रोड से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी तय कर ली थी और शातेरवाला के लिंक रोड पर जा रहे थे, तब तीन युवक एक स्कूटर पर हमारे पीछे से आए । उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की किंतु हम नहीं रुके । उन्होंने हमारे स्कूटर को ओवरटेक किया और मेरी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया । वह मिर्ची पाउडर मेरी दाईं आंख में घुस गया और मुझे अपना स्कूटर रोकना पड़ा । आंख रगड़ने के पश्चात् मैंने आंख खोली । ज्ञान चंद मेरे स्कूटर से उतर गया था ।"

* * *

"तीन युवकों में से दो युवकों ने मेरा स्कूटर छीनने की कोशिश की । ज्ञान चंद मेरे समानांतर आ गया और उसने स्कूटर छीनने से उन लड़कों को रोकने की कोशिश की । उन लड़कों में से

एक ने ज्ञान चंद पर गोली चला दी जो उसे उसकी छाती पर हृदय के स्थान पर लगी । उक्त सभी तीनों युवक अभियुक्त हैं जो आज न्यायालय में मौजूद हैं (इस साक्षी ने अभियुक्तों में से एक की तरफ उस व्यक्ति के रूप में संकेत किया जिसने ज्ञान चंद पर गोली चलाई थी और अभियुक्त ने अपना नाम अमरीक सिंह बताया था) । अभियुक्त, जो एक तरफ खड़ा हुआ है, उसने मेरी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला था (साक्षी द्वारा बताए गए अभियुक्त का नाम सुभाष चंद्र के रूप में प्रकट किया गया था) ।"

उसने प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया था :–

"मैंने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि मिर्ची पाउडर से केवल मेरी दाईं आंख प्रभावित हुई थी और मैंने इसे रगड़ने के पश्चात् खोला था । मैंने पुलिस के समक्ष यह कहा था कि हमारी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला गया था, जिसके परिणामस्वरूप हम देखने की स्थिति में नहीं थे ।"

* * *

"इस मामले के अन्वेषण के संबंध में मैं प्राय: पुलिस थाने जाता रहता था । अन्वेषण के दौरान कभी भी अभियुक्तों को मुझे नहीं दिखाया गया था । घटना से पूर्व, मैंने उन्हें शहर में एक या दो अवसरों पर देखा था । घटना के पश्चात् मैंने उन्हें पहली बार आज न्यायालय में देखा है । घटना के समय मुझे उनके नाम ज्ञात नहीं थे । मैं नहीं जानता कि घटना से पूर्व वे कहां रह रहे थे । जब मैंने पुलिस के समक्ष अपना कथन किया था, तब मैंने केवल अभियुक्तों की आयु बताई थी, न कि उनका हुलिया । यह असत्य है कि मैंने मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य दिया है, यह असत्य है कि अभियुक्त पहले से जानकार थे । यह भी असत्य है कि अभियुक्तों को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि प्रीतपाल सिंह ने माह अगस्त/सितंबर, 2001 में पुलिस के विरुद्ध रिट याचिका फाइल की थी ।"

6.4 पूर्वोक्त से यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित प्रथम कथन में और न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में कुछ विरोधाभास हैं । उसने मामले में यह अभिसाक्ष्य देते हुए सुधार करने की कोशिश की है कि उसने अभियुक्तों को शहर में एक या दो अवसरों पर देखा था । पूर्वोक्त बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट नहीं की गई थी । प्रतिपरीक्षा में भी, जैसा कि अभि. सा. 1 द्वारा स्वीकार किया गया है, उसने अभियुक्तों का कोई हुलिया नहीं बताया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि यह असत्य है कि अभियुक्त पहले से जानकार थे । उसने अभियुक्तों की केवल आयु बताई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए शनाख्त परेड परीक्षा कराना आवश्यक था और इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय में पहली बार उनकी शनाख्त करने के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है ।

6.5 अब जहां तक राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा अपनी इस दलील के समर्थन में, कि शनाख्त परेड परीक्षा सारभूत साक्ष्य नहीं है और वास्तव में न्यायालय में की गई शनाख्त सारभूत साक्ष्य है, अवलंब लिए गए **मलखान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का संबंध है, तथ्यों के आधार पर उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा । यहां तक कि उक्त मामले में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय में की गई उस शनाख्त के साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, जिसके पूर्व शनाख्त परेड परीक्षा नहीं की गई है और यह तथ्य संबंधी न्यायालयों द्वारा परीक्षा किया जाने वाला विषय है । इस न्यायालय के समक्ष मामले में यह पाया गया था कि अपराध दिन-दहाड़े किया गया था ; अभियोक्त्री के पास उन अपीलार्थियों का चेहरा-मोहरा देखने का पर्याप्त अवसर था, जिन्होंने उसके साथ एक के बाद दूसरे ने बलात्संग किया था ; बलात्संग करने से पूर्व उसे अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गई थी और अभित्रस्त किया गया था ; बलात्संग करने के पश्चात् उनके द्वारा उसे पुन: धमकी दी गई थी और अभित्रस्त किया गया था । ऐसे तथ्यों के

आधार पर यह पाया गया था कि यह ऐसा मामला नहीं था जहां शनाख्त करने वाली साक्षी ने अंधेरी रात्रि में अभियुक्तों की केवल क्षणभर के लिए झलक देखी हो ।

6.6 इसी प्रकार, राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **मोहम्मद कलाम** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का एक अन्य विनिश्चय भी प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा । उक्त विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त की केवल पहली बार विचारण में की गई शनाख्त का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही अंतर्निहित रूप से एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है । यह मत व्यक्त किया गया है कि इसलिए शनाख्त परेड परीक्षा का प्रयोजन उस साक्ष्य की जांच करना और उसकी विश्वसनीयता को प्रबल करना है । यह मत व्यक्त किया गया है कि तद्नुसार न्यायालय में साक्षियों द्वारा शपथ पर उन अभियुक्तों की शनाख्त के बारे में, जो उनके लिए अजनबी हैं, परिसाक्ष्य की पूर्ववर्ती शनाख्त कार्यवाहियों के रूप में संपुष्टि की मांग करना साधारणतया प्रज्ञा का एक सुरक्षित नियम समझा जाता है । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रज्ञा का नियम, तथापि, तब अपवादों के अध्यधीन है, जब उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी ऐसे विशिष्ट साक्षी से प्रभावित हो जाता है, जिसके परिसाक्ष्य का ऐसी या अन्य संपुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से अवलंब लिया जा सकता हो । अत: तथ्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया था कि शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित करने में असफल रहने से न्यायालय में की गई शनाख्त का साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो जाएगा । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि ऐसी शनाख्त को दिया जाने वाला महत्व तथ्य संबंधी न्यायालयों का विषय होना चाहिए ।

6.7 यहां तक कि पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को भी लागू करते हुए और इसमें ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि अभियुक्तों को न्यायालय में पहली बार की गई उनकी एकमात्र शनाख्त के आधार पर दोषसिद्ध करना सुरक्षित और/या प्रज्ञापूर्ण नहीं होगा ।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से

हमारी यह दृढ़ राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने में गंभीर गलती कारित की है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को क्रमश: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 392 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, असंधार्य हैं और वे अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा अभियुक्तों को उस प्रयोजन के लिए दोषमुक्त किया जाना चाहिए जिसके लिए उनका विचारण किया गया था ।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से ये अपीलें सफल होती हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश तदद्वारा अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । अभियुक्तों को उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है जिनके लिए उनका विचारण किया गया था । अपीलार्थी-अभियुक्तों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा किया जाए । ये अपीलें तद्नुसार मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 66

मालती साहू

बनाम

राहुल और एक अन्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 471]

तथा

संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़

बनाम

राहुल

[2022 की दांडिक अपील सं. 472]

11 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उसके पुत्र और पुत्री की हत्या किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की कड़ी को साबित करने में असफल रहने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के हेतु को सिद्ध और साबित करने में सफल रहा हो, अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त आयुध (चाकू) को जिस दुकानदार से खरीदा गया, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि यह वही चाकू है जो अभियुक्त द्वारा उससे खरीदा गया था और उसने अभियुक्त की भी शनाख्त की हो, अपराध कारित करने के पश्चात् अभियुक्त जिस 'लोई' को ओढ़कर घटनास्थल से गया था और जिसे उसके प्रकटन कथन के आधार पर बरामद किया गया था, उस पर न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतका लड़की

और अभियुक्त के रक्त समूह का रक्त पाया गया हो, वहां अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाने पर अभियुक्त की दोषमुक्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है उसे दोषसिद्ध करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-मालती साहू द्वारा तारीख 16 दिसम्बर, 2011 को पुलिस थाने में यह कथन करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी कि वह और उसका पति पेशे से अध्यापक हैं । उसका पति मेवात, हरियाणा में तैनात है और वह सेक्टर-17, पंचकुला में तैनात है । उनके दो बालक अर्थात् बड़ी बेटी कविता, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष, जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सेक्टर-36, चंडीगढ़ की छात्रा थी, जबकि उसका छोटा बेटा गौरंग साहू राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-36 का छात्र था । उस दिन वह 8.30 बजे पूर्वाह्न में घर से ड्यूटी के लिए गई थी और दोनों बालक, उनका अवकाश होने के कारण घर पर थे । लगभग 3.00 बजे अपराह्न में जब वह वापस घर आई तो उसने अपनी पुत्री को रक्त से लथपथ पाया और उसकी गर्दन कटी हुई थी तथा जब वह ऊपरी मंजिल पर गई, तो उसने अपने पुत्र को भी रक्त से लथपथ पाया और उसकी भी गर्दन कटी हुई थी । कमरे में सभी वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई थीं । उक्त कथन/शिकायत के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और आरंभ में अन्वेषण स्थानीय पुलिस थाने द्वारा किया गया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री एकत्रित की गई । अन्वेषण के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए, जिनमें अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट का कथन भी सम्मिलित था, जिसने सुसंगत समय पर यह प्रकटन किया था कि उसने अभियुक्त राहुल को एक नीले रंग का स्वेटर पहने हुए कविता और गौरंग के साथ शिवालिक पब्लिक स्कूल की तरफ से आते हुए और उनके मोहल्ले में जाते हुए देखा था और उसने (राहुल) वहां से वापस आते समय उक्त नीले रंग का स्वेटर नहीं पहना हुआ था बल्कि उसने अपने आपको एक भूरे रंग की शॉल या लोई से ढका हुआ था । अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट द्वारा किए गए कथन के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त-राहुल की तलाश करनी आरंभ की । बाद में मामले

को अपराध शाखा (एसआईटी), चंडीगढ़ को अंतरित कर दिया गया और निरीक्षक अमनजोत सिंह द्वारा अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण के दौरान मुहरबंद पार्सल केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, सेक्टर-36, चंडीगढ़ भेजे गए । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट के कथन के आधार पर राहुल अपराध कारित करने का संदिग्ध था और इसलिए उसके लिए तलाशी अभियान चलाया गया । वह अपने घर से गायब पाया गया । उसे बाद में तारीख 17 जनवरी, 2012 को गांव साहा, जिला अंबाला से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उसके प्रकटन कथन के आधार पर रक्त-रंजित कपड़े रखा हुआ एक थैला बरामद किया गया । अन्वेषण के दौरान अपराध स्थल से एक स्वेटर बरामद किया गया और उक्त स्वेटर केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । एक रक्त-रंजित लोई और कपड़े काले थैले से बरामद किए गए, जो अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामद किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए और अन्वेषण के दौरान किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अन्वेषक अधिकारी ने अभि. सा. 20, डा. दविन्द्र कपिल का कथन अभिलिखित किया जिससे अभियुक्त ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर उसे पहुंची क्षति के लिए प्राथमिक उपचार लिया था । अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अभि. सा. 9, दुकानदार का कथन अभिलिखित किया गया और उसके अनुसार अभियुक्त ने चाकू (अपराध कारित करने में प्रयुक्त) खरीदा था । अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया । विचारण की समाप्ति पर और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कविता साहू और गौरंग साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी ठहराया और उसे जुर्माने सहित आजीवन अर्थात् उसके शेष नैसर्गिक जीवन तक कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए

पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उसे यह मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि यह एक पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं तथा अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला को सिद्ध नहीं किया है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए यह भी मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य में ऐसी कड़ी को साबित करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके । शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक अभियुक्त का संबंध है, अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में सफल रहा है । यद्यपि अभि. सा. 8 ने आरंभ में पुलिस के समक्ष कथन किया था कि उसने अभियुक्त को मृतकों के साथ उनके मकान पर जाते हुए देखा था, किंतु न्यायालय के समक्ष वह पक्षद्रोही हो गया । तथापि, लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी और प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया था कि मृतका-कविता साहू **उर्फ** किमी ने घटना से कुछ दिन पूर्व उसे बताया था कि अभियुक्त राहुल ने उस पर कुछ अश्लील अंगविक्षेप किया था । उसने यह भी कथन किया था कि कविता **उर्फ** किमी अपनी व्यक्तिगत बातों के संबंध में उससे प्राय: बातचीत करती रहती थी । उसने यह भी कथन किया था कि जब किमी ने राहुल के कार्यकलापों के बारे में उसे बताया था, तो उसे बुरा लगा था । उसने यह भी कथन किया था कि किमी ने उसे अभियुक्त राहुल के तारीख 4 और 5 दिसंबर, 2011 को किए गए व्यवहार के बारे में बताया था । विधि की स्थिर स्थिति के अनुसार, किसी पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर भी उस सीमा तक विचार किया जा सकता है, जिस सीमा तक इससे अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । अत: अभियोजन पक्ष ने इस सीमा तक अभियुक्त के हेतु को साबित किया है । साक्ष्य में एक अन्य कड़ी, जिससे अभियुक्त

की दोषिता सिद्ध और साबित होती है, घटनास्थल से बरामद तीन टुकड़ों में उस चाकू की बरामदगी होना है, जिसे अपराध कारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था । अन्वेषण के दौरान और घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण करने पर कमरे में फर्श पर वहां तीन टुकड़ों में एक चाकू पड़ा हुआ पाया गया था, जहां कविता का शव पड़ा हुआ था । चाकू पर "ग्लेयर" शब्द उकेरा हुआ था । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में सफल रहा है कि वह अभियुक्त ही था जिसने रवि मित्तल, अभि. सा. 9 से उक्त चाकू खरीदा था । इस साक्षी (अभि. सा. 9) ने न केवल अभियुक्त द्वारा खरीदे गए चाकू की शनाख्त की थी अपितु उसने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि यह चाकू (जो तीन टुकड़ों में पाया गया था) वही चाकू है, जो अभियुक्त द्वारा खरीदा गया था । उसने अभियुक्त की भी शनाख्त की थी । चिकित्सा रिपोर्ट और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु गला रेतने के उपरांत हुए रक्तस्राव और सदमे के परिणामस्वरूप हुई थी । गौरंग के शव पर मृत्यु-पूर्व की तेरह और कविता के शव पर आठ क्षतियां पाई गई थीं । यह राय व्यक्त की गई थी कि ये क्षतियां किसी धारदार आयुध द्वारा कारित की गई हो सकती हैं । अभि. सा. 3, जो उस बोर्ड के सदस्यों में से एक थी जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने भी अपने साक्ष्य में यह कहा था कि क्षतियां, जब इन पर समग्र रूप से विचार किया जाए, तो इस आयुध अर्थात् एक ही आयुध से कारित की जानी संभव हैं । उसने यह कथन किया कि यहां तक कि चाकू के तीन टुकड़ों से गले पर पहुंची क्षति को कारित करना संभव था और यह संभव है कि आयुध क्षति कारित करने की प्रक्रिया के दौरान टूट गया होगा । तीन टुकड़ों में टूटा हुआ चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया था, जिस पर रक्त के धब्बे थे और यह सिद्ध और साबित किया गया है कि आयुध अर्थात् चाकू अपराध कारित करने में प्रयोग के दौरान टूट गया होगा । साक्ष्य की श्रृंखला में अगली कड़ी मृतका कविता तथा अभियुक्त के रक्त के धब्बों वाली लोई की बरामदगी है, जो स्वयं अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामद की गई थी । यद्यपि बरामदगी पंचनामा/प्रकटन पंचनामा के पंच पक्षद्रोही हो गए थे, फिर भी अभियोजन पक्ष ने अन्वेषक अधिकारी के माध्यम से इसे साबित किया है । तथापि,

दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने डीएनए/सीएफएसएल रिपोर्ट पर ऐसे आधारों पर संदेह किया, जो संगत नहीं हैं, अर्थात् कविता के हाथों में पाए गए मानवीय बाल का परीक्षण नहीं किया गया था ; रक्त के धब्बे उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए थे । तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर की गई विस्तृत चर्चा पर विचार नहीं किया । केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला से आए साक्षियों के अभिसाक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह राय है कि लोई पर रक्त कविता और अभियुक्त के रक्त के मिलान वाला पाया गया था । एक अन्य परिस्थिति, जो अभियुक्त के विरुद्ध जाती है, यह है कि अभियुक्त के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति पाई गई थी, जिसका अभि. सा. 20, डा. दविन्द्र कपिल द्वारा उपचार किया गया था । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कहा था कि "अभियुक्त दिसंबर, 2011 में उसके क्लीनिक पर आया था और अपना नाम बताया था ; उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर उसे क्षति पहुंची थी और उसके पास प्राथमिक उपचार के लिए आया था ; अभियुक्त द्वारा अंगुली को पहले ही रुमाल से ढका हुआ था ; रुमाल हटाने पर उसे उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति पाई थी ; जब उसने क्षति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे पूर्वोक्त क्षति किसी लोहे की छड़ से पहुंची है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि क्षति को देखने पर उसने पाया कि यह क्षति किसी धारदार हथियार के कारण पहुंच सकती थी ।" अभियुक्त उस पर पाई गई क्षति को स्पष्ट करने में असफल रहा है । इसके विपरीत, उसने यह मिथ्या कथन किया था कि क्षति किसी लोहे की छड़ से कारित हुई थी, जिसे सिद्ध और साबित नहीं किया गया है । मामले में पूर्वोक्त संपूर्ण तथ्यों और अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करने में भारी/गंभीर गलती की है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की कड़ी को साबित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके । उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष अनुचित हैं । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का, विशिष्ट रूप से विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का, उचित रूप से

मूल्यांकन नहीं किया है जो अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निकाले गए थे । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को उलटते हुए और परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है तथा यह अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8 और 8.1)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 471 (इसके साथ 2022 की दांडिक अपील सं. 472).

2014 की दांडिक अपील सं. डी-635-डीबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री नीरज कुमार जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, संजय सिंह, उमंग शंकर, शरद कुमार सिंघानिया, (सुश्री) स्वरूपमा चतुर्वेदी, रुचि कोहली, प्रीति रानी, भुवन कपूर, गुरमीत सिंह मक्कड़ और जसमीत सिंह

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री आदित्य धवन, (सुश्री) किरन धवन और चंद्र श्री शेखर आशरी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – ये अपीलें राज्य तथा मूल शिकायतकर्ता/इत्तिलाकर्ता-मृतका की माता ने 2014 के सीआरएडी सं. 635 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त-राहुल द्वारा फाइल की गई उक्त अपील मंजूर की और विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कविता साहू और गौरंग साहू की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए

पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया ।

2. मालती देवी द्वारा एक कथन किया गया था, जिसे तारीख 16 दिसंबर, 2011 को अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने कहा कि वह और उसका पति पेशे से अध्यापक हैं । उसका पति मेवात, हरियाणा में तैनात है और वह सेक्टर-17, पंचकुला में तैनात है । उनके दो बालक अर्थात् बड़ी बेटी कविता, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष, जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सेक्टर-36, चंडीगढ़ की छात्रा थी, जबकि उसका छोटा बेटा गौरंग साहू राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-36 का छात्र था । उस दिन वह 8.30 बजे पूर्वाह्न में घर से ड्यूटी के लिए गई थी और दोनों बालक, उनका अवकाश होने के कारण घर पर थे । लगभग 3.00 बजे अपराह्न में उसके वापस आने पर, उसने अपनी पुत्री को रक्त से लथपथ पाया और उसकी गर्दन कटी हुई थी तथा जब वह ऊपरी मंजिल पर गई, तो उसने अपने पुत्र को रक्त से लथपथ पाया और उसकी भी गर्दन कटी हुई थी । कमरे में सभी वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई थीं ।

2.1 उक्त कथन/शिकायत के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और आरंभ में अन्वेषण स्थानीय पुलिस थाने द्वारा किया गया । विशेष रिपोर्टें भेजी गईं और अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री एकत्रित की । उनके पार्सल बनाए गए और "सीएस" मुहर से मुहरबंद किए गए । शवों को मरणोत्तर परीक्षा के लिए सामान्य अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ भेजा गया । अन्वेषण के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए, जिनमें अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट का कथन भी सम्मिलित था, जिसने सुसंगत समय पर यह प्रकटन किया था कि उसने अभियुक्त राहुल को एक नीले रंग का स्वेटर पहने हुए कविता और गौरंग के साथ शिवालिक पब्लिक स्कूल की तरफ से आते हुए और उनके मोहल्ले में जाते हुए देखा था और वापस आते हुए उसने (राहुल) उक्त नीले रंग का स्वेटर नहीं पहना हुआ था बल्कि उसने अपने आपको एक भूरे रंग की शॉल या लोई से ढका हुआ था ।

2.2 अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट द्वारा किए गए कथन के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त-राहुल की तलाश करनी आरंभ की । बाद में मामले को अपराध शाखा (एसआईटी), चंडीगढ़ को अंतरित कर दिया गया और निरीक्षक अमनजोत सिंह द्वारा अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण के दौरान मुहरबंद पार्सल केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, सेक्टर-36, चंडीगढ़ भेजे गए । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 8, सिद्धार्थ वशिष्ट के कथन के आधार पर राहुल अपराध कारित करने का संदिग्ध था और इसलिए उसके लिए तलाशी अभियान चलाया गया । वह अपने घर से गायब पाया गया । उसे बाद में तारीख 17 जनवरी, 2012 को गांव साहा, जिला अंबाला से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया ।

2.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उसके प्रकटन कथन के आधार पर रक्त-रंजित कपड़े रखा हुआ एक थैला बरामद किया गया । अन्वेषण के दौरान अपराध स्थल से एक स्वेटर बरामद किया गया और उक्त स्वेटर केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । एक रक्त-रंजित लोई और कपड़े काले थैले से बरामद किए गए, जो अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामद किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए और अन्वेषण के दौरान किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अन्वेषक अधिकारी ने अभि. सा. 20, डा. दविन्द्र कपिल का कथन अभिलिखित किया जिससे अभियुक्त ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर उसे पहुंची क्षति के लिए प्राथमिक उपचार लिया था । अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अभि. सा. 9, दुकानदार का कथन अभिलिखित किया गया और उसके अनुसार अभियुक्त ने चाकू (अपराध कारित करने में प्रयुक्त) खरीदा था । अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया ।

2.4 चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मामले को विचारण के

लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । अभियुक्त का अभिवाक् अभिलिखित किया गया । उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा उसका कविता साहू और गौरंग साहू की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया गया ।

2.5 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कुल 21 साक्षियों की परीक्षा की :–

	नाम	**अभिसाक्ष्य**
अभि. सा. 1	डा. अजय कुमार	जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी
अभि. सा. 2	डा. विमुक्ति चौहान, सीएफएसएल	
अभि. सा. 3	डा. पारिजात, ई. एम. ओ.	बोर्ड का एक अन्य सदस्य जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी
अभि. सा. 4	सुनीता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सीएफएसएल	जिसने सीएफएसएल द्वारा प्राप्त मानवीय रक्त समूह और 24 मुहरबंद पार्सलों के लिए सीरम विज्ञान संबंधी विश्लेषण किया था ।
अभि. सा. 5	डा. भूमिका बिष्ट, निर्देशक, विकृतिविज्ञान विभाग	
अभि. सा. 6	अनिता रावत	
अभि. सा. 7	हैड कांस्टेबल यशपाल	जो निरीक्षक चरणजीत सिंह के साथ मामले के अन्वेषण में सम्मिलित था ।

अभि. सा. 8	सिद्धार्थ वशिष्ट	
अभि. सा. 9	रवि मित्तल	एक कारोबारी, जिसने अभियुक्त को चाकू बेचा था ।
अभि. सा. 10	कृपा दत्त	
अभि. सा. 11	अवतार सिंह	
अभि. सा. 12	डा. अशोक कुमार, ईएमओ, जीएमएसएच	जिसने तारीख 25.1.2012 को अभियुक्त का परीक्षण किया था ।
अभि. सा. 13	जोगिन्द्र सिंह	
अभि. सा. 14	निरीक्षक, चरणजीत सिंह	
अभि. सा. 15	मालती देवी	मृतक की माता और मूल शिकायतकर्ता
अभि. सा. 16	हैड कांस्टेबल, रमेश कुमार	
अभि. सा. 17	एमएचसी सुखचैन सिंह	
	उप निरीक्षक शादी लाल	जो निरीक्षक अमनजोत सिंह के साथ मामले के अन्वेषण में सम्मिलित था ।
अभि. सा. 18	उप निरीक्षक राजबीर सिंह	जिसने 29 मुहरबंद पार्सल परीक्षण के लिए सीएफएसएल को परिदत्त किए थे ।

अभि. सा. 19	सी. जगरूप सिंह	फोटोग्राफर
अभि. सा. 20	डा. दविन्द्र कपिल	जिसने अभियुक्त को उसके दांए हाथ की तर्जन अंगुली पर पहुंची क्षति के लिए प्राथमिक उपचार किया था ।
अभि. सा. 21	निरीक्षक अमनजोत सिंह	जिसने अपराध शाखा (एसआईटी), चंडीगढ़ को मामले का अन्वेषण सौंपे जाने के पश्चात् अन्वेषण किया था ।

2.6 अभियोजन पक्ष पूर्वोक्त साक्षियों के माध्यम से अभिलेख पर सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य लाया । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का और कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त का पक्षकथन पूर्णत: इनकारी का था । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

2.7 विचारण की समाप्ति पर और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कविता साहू और गौरंग साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी ठहराया और उसे आजीवन अर्थात् उसके शेष नैसर्गिक जीवन तक कारावास भुगतने और 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का भी दंडादेश दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मुख्य दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2.8 विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उसे यह मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि यह एक पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं तथा अभियोजन पक्ष ने

अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला को सिद्ध नहीं किया है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए यह भी मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य में ऐसी कड़ी को साबित करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके ।

2.9 विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कविता साहू और गौरंग साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल शिकायतकर्ता-मृतकों (कविता साहू और गौरंग साहू) की माता और राज्य ने वर्तमान अपीलें फाइल की हैं ।

3. विपदग्रस्तों की माता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज कुमार जैन और राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री रुचि कोहली ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को यह मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्त करने में गंभीर गलती कारित की है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य में ऐसी आवश्यक कड़ी को साबित करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके ।

3.1 अपीलार्थियों की ओर से यह पुरजोर दलील दी गई कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष मृतकों की हत्या करने के लिए प्रत्यर्थी के हेतु को साबित करने में सफल रहा है । यहां तक कि अभि. सा. 8 (यद्यपि वह पक्षद्रोही हो गया था) के अभिसाक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में समर्थ रहा है कि अभियुक्त मृतका (कविता साहू) को तंग कर रहा था ।

3.2 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन और इस पर विचार नहीं किया था कि अपराध कारित

करने में प्रयुक्त चाकू, जो घटनास्थल से बरामद किया गया था, अभियुक्त द्वारा खरीदा गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात को सुसंगत साक्षी-दुकानदार-अभि. सा. 9 की परीक्षा करके सिद्ध और साबित किया गया है । यह दलील दी गई कि दुकानदार (अभि. सा. 9) ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि घटनास्थल से रक्त के धब्बे लगा हुआ जो चाकू (चाकू के तीन टुकड़े) बरामद किया गया था, वही चाकू था जो अभियुक्त द्वारा खरीदा गया था और दुकानदार ने अभियुक्त की भी शनाख्त की थी । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभियुक्त के बताने पर जो लोई बरामद की गई थी उस पर उसी रक्त समूह के रक्त के धब्बे थे, जो रक्त समूह अभियुक्त का था और अभियुक्त इसको स्पष्ट करने में असफल रहा था । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभियुक्त को उसके बांए हाथ की तर्जनी अंगुली पर एक क्षति पहुंची थी, जिसका घटना घटने के तुरंत पश्चात् पता चला था और अभियुक्त इसको स्पष्ट करने में असफल रहा था । यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष डा. दविन्द्र कपिल, अभि. सा. 20 की परीक्षा करके अभियुक्त पर पाई गई क्षति को साबित करने में सफल रहा था । यह दलील दी गई कि इसलिए जब अभियुक्त उसके विरुद्ध पाई गई उपरोक्त अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री को अर्थात् रक्त के धब्बे लगी लोई, जो उसके बताने पर बरामद की गई थी और रक्त के धब्बे लगा चाकू जो घटनास्थल से बरामद किया गया था और पाया गया था, जिसे उसके द्वारा अपराध कारित करने से पूर्व खरीदा गया था, स्पष्ट करने में असफल रहा था और यहां तक कि पक्षद्रोही साक्षी-अभि. सा. 8 के कथन/अभिसाक्ष्य से भी हेतु को सिद्ध और साबित किया गया है और इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करके भारी/गंभीर गलती कारित की है ।

3.3 उपरोक्त दलीलें देते हुए और अभि. सा. 8, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 20 के अभिसाक्ष्यों तथा चिकित्सा साक्ष्य का अवलंब लेने के उपरांत अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की कड़ी

को सफलतापूर्वक साबित किया है, जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित होती है ।

4. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आदित्य धवन द्वारा इन अपीलों का पुरजोर विरोध किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर विनिर्दिष्ट रूप से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की ऐसी कड़ी को साबित करने में असफल रहा है जिससे प्रत्यर्थी-अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके ।

4.1 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों पर विश्वास न करने के लिए तर्कपूर्ण कारण दिए गए हैं, जो विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभिनिर्धारित की गई थीं । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अभि. सा. 8 पक्षद्रोही हो गया था । यह भी दलील दी गई कि यह सिद्ध और साबित नहीं किया गया है कि रक्त के धब्बे लगी लोई अभियुक्त की थी ।

4.2 यह भी आग्रह किया गया कि यहां तक कि अभियोजन पक्ष सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके हेतु को भी साबित करने में असफल रहा था । यह दलील दी गई कि जहां तक अभियुक्त की तर्जनी अंगुली पर पाई गई क्षति का संबंध है, यह एक पुरानी क्षति थी । यह दलील दी गई कि इसलिए जब मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई गलती नहीं की गई है । जब उच्च न्यायालय ने तर्कपूर्ण कारण देते हुए दोषसिद्धि को उलट दिया है और तद्द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है, यह प्रार्थना की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप न किया जाए ।

5. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्

काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

6. हमने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित निर्णय और आदेश तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का परिशीलन, विचार और अनुशीलन किया है ।

7. प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त का संबंध है, अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में सफल रहा है । यद्यपि अभि. सा. 8 ने आरंभ में पुलिस के समक्ष कथन किया था कि उसने अभियुक्त को मृतकों के साथ उनके मकान पर जाते हुए देखा था, किंतु न्यायालय के समक्ष वह पक्षद्रोही हो गया । तथापि, लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी और प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया था कि मृतका-कविता साहू **उर्फ** किमी ने घटना से कुछ दिन पूर्व उसे बताया था कि अभियुक्त राहुल ने उस पर कुछ अश्लील अंगविक्षेप किया था । उसने यह भी कथन किया था कि कविता **उर्फ** किमी अपनी व्यक्तिगत बातों के संबंध में उससे प्राय: बातचीत करती रहती थी । उसने यह भी कथन किया था कि जब किमी ने राहुल के कार्यकलापों के बारे में उसे बताया था, तो उसे बुरा लगा था । उसने यह भी कथन किया था कि किमी ने उसे अभियुक्त राहुल के तारीख 4 और 5 दिसंबर, 2011 को किए गए व्यवहार के बारे में बताया था । विधि की स्थिर स्थिति के अनुसार, किसी पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर भी उस सीमा तक विचार किया जा सकता है, जिस सीमा तक इससे अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । अत: अभियोजन पक्ष ने इस सीमा तक अभियुक्त के हेतु को साबित किया है ।

7.1 साक्ष्य में एक अन्य कड़ी, जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित होती है, घटनास्थल से बरामद तीन टुकड़ों में चाकू की बरामदगी होना है, जिसे अपराध कारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था । अन्वेषण के दौरान और घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण करने पर कमरे में फर्श पर वहां तीन टुकड़ों में एक चाकू पड़ा हुआ पाया गया

था, जहां कविता का शव पड़ा हुआ था । चाकू पर "ग्लेयर" शब्द उकेरा हुआ था । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में सफल रहा है कि वह अभियुक्त ही था जिसने रवि मित्तल, अभि. सा. 9 से उक्त चाकू खरीदा था । इस साक्षी (अभि. सा. 9) ने न केवल अभियुक्त द्वारा खरीदे गए चाकू की शनाख्त की थी अपितु उसने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि यह चाकू (जो तीन टुकड़ों में पाया गया था) वही चाकू है, जो अभियुक्त द्वारा खरीदा गया था । उसने अभियुक्त की भी शनाख्त की थी । चिकित्सा रिपोर्ट और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु गला रेतने के उपरांत हुए रक्तस्राव और सदमे के परिणामस्वरूप हुई थी । गौरंग के शव पर मृत्यु-पूर्व की तेरह और कविता के शव पर आठ क्षतियां पाई गई थीं । यह राय व्यक्त की गई थी कि ये क्षतियां किसी धारदार आयुध द्वारा कारित की गई हो सकती हैं । अभि. सा. 3, जो उस बोर्ड के सदस्यों में से एक थी जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने भी अपने साक्ष्य में यह कहा था कि क्षतियां, जब इन पर समग्र रूप से विचार किया जाए, तो इस आयुध अर्थात् एक ही आयुध से कारित की जानी संभव हैं । उसने यह कथन किया कि यहां तक कि चाकू के तीन टुकड़ों से गले पर पहुंची क्षति को कारित करना संभव था और यह संभव था कि आयुध क्षति कारित करने की प्रक्रिया के दौरान टूट गया होगा । तीन टुकड़ों में टूटा हुआ चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया था, जिस पर रक्त के धब्बे थे और यह सिद्ध और साबित किया गया है कि आयुध अर्थात् चाकू अपराध कारित करने में प्रयोग के दौरान टूट गया होगा ।

7.2 साक्ष्य की श्रृंखला में अगली कड़ी मृतका कविता तथा अभियुक्त के रक्त के धब्बों वाली लोई की बरामदगी है, जो स्वयं अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामद की गई थी । यद्यपि बरामदगी पंचनामा/प्रकटन पंचनामा के पंच पक्षद्रोही हो गए थे, फिर भी अभियोजन पक्ष ने अन्वेषक अधिकारी के माध्यम से इसे साबित किया है । तथापि, दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने डीएनए/सीएफएसएल रिपोर्ट पर ऐसे आधारों पर संदेह किया है, जो संगत नहीं हैं, अर्थात् कविता के हाथों में पाए गए मानवीय बाल का परीक्षण

नहीं किया गया था ; रक्त के धब्बे उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए थे । तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर की गई विस्तृत चर्चा पर विचार नहीं किया था । केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला से आए साक्षियों के अभिसाक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि लोई पर रक्त कविता और अभियुक्त के रक्त के मिलान वाला पाया गया था ।

7.3 एक अन्य परिस्थिति, जो अभियुक्त के विरुद्ध जाती है, यह है कि अभियुक्त के बांए हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति पाई गई थी, जिसका अभि. सा. 20, डा. दविन्द्र कपिल द्वारा उपचार किया गया था । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कहा था कि "अभियुक्त दिसंबर, 2011 में उसके क्लीनिक पर आया था और अपना नाम बताया था ; उसके बांए हाथ की तर्जनी अंगुली पर उसे क्षति पहुंची थी और उसके पास प्राथमिक उपचार के लिए आया था ; अभियुक्त द्वारा अंगुली को पहले ही रुमाल से ढका हुआ था ; रुमाल हटाने पर उसे उसके बांए हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति पाई थी ; जब उसने क्षति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे पूर्वोक्त क्षति किसी लोहे की छड़ से पहुंची है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि क्षति को देखने पर उसने पाया कि यह क्षति किसी धारदार हथियार के कारण पहुंच सकती थी ।" अभियुक्त उस पर पाई गई क्षति को स्पष्ट करने में असफल रहा है । इसके विपरीत, उसने यह मिथ्या कथन किया था कि क्षति किसी लोहे की छड़ से कारित हुई थी, जिसे सिद्ध और साबित नहीं किया गया है ।

8. मामले में पूर्वोक्त संपूर्ण तथ्यों और अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह मत करने में भारी/गंभीर गलती की है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की कड़ी को साबित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध और साबित हो सके । उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष अनुचित हैं । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का, विशिष्ट रूप से विचारण

न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का, उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है, जो अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निकाले गए थे ।

8.1 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को उलटते हुए और परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है तथा यह अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

9. उपरोक्त को देखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, यह अपील सफल होती है । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश तद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए दोषसिद्धि और अधिरोपित किए गए दंडादेश के निर्णय और आदेश को तद्द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है । अब, प्रत्यर्थी-अभियुक्त विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश को भुगतने के लिए संबंधित जेल प्राधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा ।

10. यह अपीलें तद्नुसार मंजूर की जाती हैं ।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का भी निपटारा किया गया ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 85

जरनैल सिंह और एक अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 634]

तथा

बलकार सिंह

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 633]

12 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 409, 420, 467, 471, 474, 477-क, 109 और 120-ख [सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) और 7] – आपराधिक न्यासभंग, छल, कूटरचना, भ्रष्टाचार आदि का अपराध – राज्य की रोडवेज डिपो की बसों पर तैनात तीन कंडक्टरों-अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से पहले से बेची गई टिकटों का डिपो के अधिकारियों की मौनानुकूलता में पुन: प्रयोग किया जाना – शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण दल का गठन किया जाना – निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – अभिलेख पर साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होने पर कि निरीक्षण दल द्वारा अपीलार्थियों से अभिगृहीत की गई जाली टिकटों को किसी प्रक्रम पर न तो मुहरबंद किया गया था, न ही अलग-अलग बसों से संबंधित टिकटों को अलग-अलग रखा गया था और साक्षियों को ये टिकटें पुलिस थाने में दिखाई गई थीं तथा

न्यायालय में भी इन्हें अमुहरबंद स्थिति में प्रस्तुत किया गया था और इसके अतिरिक्त न्यायालय में निरीक्षण दल की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत न करके फोटो प्रति प्रस्तुत की गई तथा अभियोजन पक्ष द्वारा मूल रिपोर्ट विद्यमान होने और उसके नष्ट हो जाने के बारे में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए ऐसी जांच रिपोर्ट का अवलंब लेना और अपुष्टिकृत टिकटों को अपीलार्थियों से संबद्ध करना असुरक्षित होगा और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर के एक ड्राइवर, मलकियत सिंह ने तारीख 4 मई, 1996 को विभाग के उच्च अधिकारियों को यह अभिकथन करते हुए एक शिकायत की कि पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर का महाप्रबंधक कंडक्टर और अन्य व्यक्तियों की मौनानुकूलता में स्वयं अपने आप छपवाई गई टिकटों को बेच और प्रयोग कर रहा है, जो उसके लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं और इस प्रकार डिपो को करोड़ों रुपए की हानि कारित की है । उपायुक्त, मुक्तसर ने अभिकथित घोटाले के संबंध में सचिव, परिवहन विभाग, चंडीगढ़ को भी शिकायत भेजी । सचिव ने इसके पश्चात् तीन अधिकारियों की एक समिति गठित करके आकस्मिक जांच-पड़ताल करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की । इन तीनों अधिकारियों ने दिल्ली-मुक्तसर और सिरसा-मुक्तसर के मार्गों पर चलने वाली बसों के कंडक्टरों की जांच-पड़ताल की । उन्होंने पुरानी टिकटें और वे टिकटें जिनके मूल्य को उन पर स्टाम्प चिपका कर बढ़ाया गया था, ड्राइवरों की डायरियां और मार्ग-पत्रक तथा टिकट के थैले में उनके पास नकदी को कब्जे में लिया । जांच-पड़ताल समिति ने कथन भी अभिलिखित किए । कुछ उन बसों के कंडक्टरों के कथन भी अभिलिखित किए गए, जो महाप्रबंधक द्वारा संविदा आधार पर दी गई थीं । जांच-पड़ताल समिति ने महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक और सहायक यांत्रिक इंजीनियर के भी कथन अभिलिखित किए । समिति का यह भी मत था कि महाप्रबंधक की मौनानुकूलता में एक बड़ा घोटाला किया गया है और मुक्तसर डिपो

के निरीक्षकों के साथ-साथ अन्य डिपों के निरीक्षकों द्वारा सरकार को लाखों रुपए की हानि की गई है और यहां तक कि उड़नदस्ते के निरीक्षक और उड़नदस्ते का भारसाधक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं । विस्तृत जांच-पड़ताल रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक, सहायक यांत्रिक इंजीनियर, संबंधित निरीक्षकों और कंडक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश की गई । विधिक राय के आधार पर इस बात पर विचार करते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 474, 477क और 120क के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । तद्नुसार, सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) के अधीन एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर संज्ञान लिया गया और पंद्रह (15) व्यक्तियों अर्थात् सात (7) कंडक्टरों, चार (4) निरीक्षकों और चार (4) प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । विचारण न्यायालय द्वारा दो प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदधारियों तथा दो निरीक्षकों को दोषमुक्त कर दिया । शेष 11 अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध चार अपीलें फाइल की गईं । उच्च न्यायालय ने शेष प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदधारियों को दोषमुक्त कर दिया । उच्च न्यायालय ने शेष दो निरीक्षकों को भी दोषमुक्त कर दिया । उसने तीन कंडक्टरों को भी दोषमुक्त कर दिया । एक कंडक्टर की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी और उसके विरुद्ध कार्यवाहियों का उपशमन हो गया था । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने तीन कंडक्टरों अर्थात् जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह की दोषसिद्धि की पुष्टि की । उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 वे दो साक्षी हैं, जिनका उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अवलंब लिया गया था । उनके कथन का परिशीलन करने पर यह न्यायालय अचंभित है कि उच्च न्यायालय इनके आधार पर

निम्नलिखित कारणों से कैसे दोषसिद्धि अभिलिखित कर सकता था :

- प्रथमतः, अभिगृहीत टिकटों को किसी प्रक्रम पर मुहरबंद करने का कोई साक्ष्य नहीं है ।
- अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे इन टिकटों की बरामदगी के समय पर मौजूद नहीं थे ।
- उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि जब वे पुलिस थाने गए थे, तब ये टिकटें मुहरबंद नहीं थीं ।
- उन्होंने यह भी कहा था कि वे नहीं जानते कि क्या ये मार्ग-पत्रक और टिकटें उनकी रिपोर्ट में वर्णित किसी यान से संबद्ध या सुसंगत हैं ।
- उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यालय द्वारा कंडक्टरों को जारी की गई टिकटों का कोई संख्यांक उन्हें जांच-पड़ताल में मिलान करने के लिए प्रदाय नहीं किया गया था ।

अभि. सा. 20, अभि. सा. 21 और अभि. सा. 22 उपायुक्त द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्य हैं । उन्होंने तारीख 11 मई, 1996 को उन तीन बसों की जांच-पड़ताल की थी जिस पर वर्तमान अपीलार्थी कथित रूप से कंडक्टरों के रूप में तैनात थे । उनके कथन कमोवेश एक-जैसे हैं, इसलिए उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है किंतु उनकी मुख्य परीक्षा और उनकी प्रतिपरीक्षा में यथा उल्लिखित अंतर्वस्तुओं को इसमें नीचे निर्दिष्ट किया जाता है :

(i) उनकी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि पंजाब रोडवेज, मुक्तसर डिपो की बसों की जांच-पड़ताल करने के लिए उपायुक्त द्वारा समिति गठित की गई थी, क्योंकि पंजाब रोडवेज के मुक्तसर डिपो के अधिकारियों की मौनानुकूलता में कंडक्टरों द्वारा पहले से बेची गई टिकटों (खद्दर टिकटों) का प्रयोग करने के संबंध में एक शिकायत की गई थी । (ii) समिति के सदस्य दर्शन सिंह संधू, एम. एस. संधू और श्री अमरजीत सिंह साही थे । (iii) उन्होंने तीन बसों की जांच-पड़ताल की और एक बस में उन्होंने नियमित कंडक्टर के स्थान पर एक निलंबित

कंडक्टर पाया । (iv) पूछताछ करने पर कंडक्टरों ने सूचित किया कि वे प्रयुक्त हो चुकी टिकटें लिए हुए हैं और वे यह उच्च प्राधिकारियों के आदेशों पर कर रहे हैं । (v) उन्होंने टिकटें अपने कब्जे में ली । (vi) उन्होंने यह भी कथन किया कि वे उन अभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकते जिनसे उन्होंने कौन-सी टिकटें ली थीं । (vii) उन्होंने तीन बसों का निरीक्षण करने के पश्चात् आगे पूछताछ की और महाप्रबंधक और यातायात प्रबंधक तथा संबंधित कंडक्टरों के भी कथन अभिलिखित किए और सुसंगत अभिलेखों का भी निरीक्षण किया । (viii) पूछताछ करने के उपरांत, यह पाया गया कि यहां तक कि पंजाब रोडवेज की कुछ बसें परमिट के बिना और किसी समय-सूची के बिना सड़क पर चल रही थीं । (ix) मुख्य परीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया गया कि वे कंडक्टर का नाम, बसों का संख्यांक और अभियुक्त कंडक्टर से बरामद खद्दर टिकटों का संख्यांक तथा कौन सी खद्दर टिकट किस अभियुक्त से बरामद की गई थीं, नहीं बता सकते । (x) यह भी कथन किया गया कि उन्होंने जांच-पड़ताल रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-20/ए में ब्यौरों का वर्णन किया था । (xi) उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-20/ए एक फोटो प्रति है । मूल जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मुक्तसर को प्रस्तुत की गई थी, जिसने उसे सचिव, परिवहन को तत्काल कार्यवाही और निलंबन के लिए भेजा था । (xii) उन्होंने यह भी कथन किया कि उनके कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए थे । (xiii) स्पष्ट रूप से, मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रति परीक्षा आवश्यक नहीं थीं, इसलिए प्रतिपरीक्षा के दौरान केवल औपचारिक प्रश्न पूछे गए थे, जिनको इस न्यायालय को यहा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

निरीक्षण करने वाले दल के उपरोक्त कथनों से यह दर्शित होता है कि वे प्रथमत:, वे टिकटों की विधिमान्य रूप से बरामदगी की बात को साबित करने में असफल रहे थे । द्वितीयत:, वे जांच रिपोर्ट को भी साबित करने में असफल रहे थे क्योंकि केवल एक फोटो प्रति फाइल की गई थी और इसके बारे में किए गए आक्षेपों को स्वयं कथन में अभिलिखित किया गया था कि इसे मूल दस्तावेजों के विद्यमान होने

और इनके नष्ट होने के सबूत के अध्यधीन प्रदर्शित किया जाएगा । अभियोजन पक्ष ने द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आदेश लेने हेतु मूल दस्तावेज विद्यमान होने और इनके नष्ट होने की बात को साबित करने के लिए यह प्रयास नहीं किया था । इस प्रकार, जांच रिपोर्ट का अवलंब नहीं लिया जा सकता था और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी यह अभिलिखित किया था कि जांच रिपोर्ट साक्ष्य नहीं थी । जब एक बार टिकटों की बरामदगी को विधि के अनुसार किया गया नहीं पाया गया है, न ही अभिगृहीत टिकटें तीन अलग-अलग बसों और उक्त बसों का संचालन कर रहे कंडक्टरों (अपीलार्थियों) से संबद्ध की जा सकी थीं, इसलिए अपुष्टिकृत टिकटों को अपीलार्थियों से संबद्ध करके उनका अवलंब लेना सुरक्षित नहीं होगा । तृतीयतः, राज्य द्वारा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने के बावजूद जांच रिपोर्ट को साबित नहीं करने और इस पर आगे कोई कार्यवाही न करने से वह आधार खोखला प्रतीत होता है, जिस आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा संपूर्ण मामला स्थापित किया गया था । (पैरा 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] (2019) 18 एस. सी. सी. 161 :
समसूल हक बनाम **असम राज्य** ; 6

[2019] (2019) 2 एस. सी. सी. 303 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **वसीम हैदर** ; 6

[2015] (2015) 16 एस. सी. सी. 369 :
राजीव सिंह बनाम **बिहार राज्य ;** 6

[2013] (2013) 12 एस. सी. सी. 406 :
सुजीत विश्वास बनाम **असम राज्य** ; 6

[2002] (2002) 1 एस. सी. सी. 702 :
सुभाष चंद बनाम **राजस्थान राज्य** ; 6

[1984] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 6

[1975] (1975) 4 एस. सी. सी. 664 :
अशोक दुलीचंद बनाम **माधवराव दूबे** ; 6

[1973] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 612 :
जयदेव बनाम **पंजाब राज्य ;** 6

[1973] (1973) 2 एस. सी. सी. 793 :
शिवाजी एस. बोबडे बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 6

[1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637 :
स्वर्ण सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 634 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 633).

2002 की दांडिक अपील सं. 205-एसबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री नीरज कुमार जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, डी. पी. सिंह, (सुश्री) श्रेया दत्त, मनु मिश्रा, ताविशी कुमार, संजय जैन, संजय सिंह, अंकित जैन और उमंग शंकर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. के. राठौर और सुश्री जसप्रीत गोगिया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया ।

न्या. नाथ – इन अपीलों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2002 की दांडिक अपील सं. 205 (एसबी) (सोहन लाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य) में तारीख 14 सितंबर, 2009 को पारित

किए गए उस निर्णय और आदेश की शुद्धता को प्रश्नगत किया गया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों अर्थात् जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह की विशेष न्यायाधीश, फरीदकोट द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2002 के निर्णय और आदेश द्वारा अधिनिर्णीत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409/109, 420/109, 467/109, 471/109, 474/109, 477क/109 और 120ख तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(i)(घ) और धारा 7 के अधीन दोषसिद्धि के लिए 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतने के दंडादेश की पुष्टि की थी ।

तथ्य :

2. सुसंगत तथ्यों का सार संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है –

(i) पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर के एक ड्राइवर, मलकियत सिंह ने तारीख 4 मई, 1996 को विभाग के उच्च अधिकारियों को यह अभिकथन करते हुए एक शिकायत की कि पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर का महाप्रबंधक कंडक्टर और अन्य व्यक्तियों की मौनानुकूलता में स्वयं अपने आप छपवाई गई टिकटों को बेच और प्रयोग कर रहा है, जो उसके लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं और इस प्रकार डिपो को करोड़ों रुपए की हानि कारित की है ।

(ii) उक्त शिकायत के आधार पर, उपायुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुक्तसर को एक पत्र भेजा और इसके आधार पर निरीक्षक दिलबाग सिंह द्वारा एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई ।

(iii) उपायुक्त, मुक्तसर ने अभिकथित घोटाले के संबंध में सचिव, परिवहन विभाग, चंडीगढ़ को भी शिकायत भेजी । सचिव ने इसके पश्चात् तीन अधिकारियों अर्थात्,

(क) श्री दर्शन सिंह संधु, उप सचिव, वन और वन्यजीव,

चंडीगढ़, मुक्तसर (अभि. सा. 20),

(ख) एन. एस. संधु, उप मंडल मजिस्ट्रेट, ज़ीरा (अभि. सा. 21), और

(ग) श्री अमरजीत सिंह साही, उप मंडल मजिस्ट्रेट, बस्सी पठाना (अभि. सा. 22) ;

से एक आकस्मिक जांच-पड़ताल करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की ।

(iv) इन तीनों अधिकारियों ने तारीख 11 मई, 1996 को दिल्ली-मुक्तसर और सिरसा-मुक्तसर के मार्गों पर चलने वाली बसों के कंडक्टरों की जांच-पड़ताल की । उन्होंने पुरानी टिकटें और वे टिकटें जिनके मूल्य को उन पर **स्टाम्प** चिपका कर बढ़ाया गया था, ड्राइवरों की डायरियां और मार्ग-पत्रक तथा टिकट के थैले में उनके पास नकदी को कब्जे में लिया ।

(v) जांच-पड़ताल समिति ने कथन भी अभिलिखित किए । कुछ उन बसों के कंडक्टरों के कथन भी अभिलिखित किए गए, जो महाप्रबंधक द्वारा संविदा आधार पर दी गई थीं ।

(vi) जांच-पड़ताल समिति ने महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक और सहायक यांत्रिक इंजीनियर के भी कथन अभिलिखित किए ।

(vii) समिति का यह भी मत था कि महाप्रबंधक की मौनानुकूलता में एक बड़ा घोटाला किया गया है और मुक्तसर डिपो के निरीक्षकों के साथ-साथ अन्य डिपों के निरीक्षकों द्वारा सरकार को लाखों रुपए की हानि की गई है और यहां तक कि उड़नदस्ते के निरीक्षक और उड़नदस्ते का भारसाधक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं ।

(viii) विस्तृत जांच-पड़ताल रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक, सहायक यांत्रिक इंजीनियर, संबंधित निरीक्षकों और कंडक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश की गई ।

(ix) विधिक राय के आधार पर इस बात पर विचार करते हुए कि

भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 420, 465, 468, 467, 471, 474, 477क और 120क के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई ।

(x) तद्नुसार, सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) के अधीन एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर संज्ञान लिया गया और पंद्रह (15) व्यक्तियों अर्थात् सात (7) कंडक्टरों, चार (4) निरीक्षकों और चार (4) प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । अभियोजन पक्ष ने कुल तेइस (23) साक्षियों की परीक्षा की और दस्तावेजी साक्ष्य भी फाइल किया ।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रक्रम पर अभियुक्तों को अपराध में आलिप्त करने वाली सभी परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पढ़कर सुनाया गया । अभियुक्तों ने सभी अभिकथनों से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

4. विचारण न्यायालय ने तारीख 28 जनवरी, 2002 के निर्णय द्वारा दो प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदधारियों अर्थात् इकबाल सिंह और अमरीक सिंह तथा दो निरीक्षकों अर्थात् गुरुचरण सिंह और खरैती लाल को दोषमुक्त कर दिया । शेष 11 अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध चार अपीलें, 2002 की दांडिक अपील सं. 179 (एसबी), 2002 की दांडिक अपील सं. 205 (एसबी), 2002 की दांडिक अपील सं. 228 (एसबी) और 2002 की दांडिक अपील सं. 245 (एसबी) फाइल की गईं । उच्च न्यायालय ने तारीख 14 सितंबर, 2000 के निर्णय और आदेश द्वारा शेष प्रबंधकों/ज्येष्ठ पदधारियों अर्थात् जगदीप सिंह गलवट्टी और अमरजीत सिंह संधु को दोषमुक्त कर दिया । उच्च न्यायालय ने शेष दो निरीक्षकों अर्थात् सोहन लाल और तेजा सिंह को भी दोषमुक्त कर दिया । उसने तीन कंडक्टरों अर्थात् चरणजीत सिंह, इकबाल सिंह और श्याम लाल को भी दोषमुक्त कर दिया । एक कंडक्टर अर्थात् जुगराज सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी और उसके विरुद्ध कार्यवाहियों का

उपशमन हो गया था । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने तीन कंडक्टरों अर्थात् जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह की दोषसिद्धि की पुष्टि की, जो इस न्यायालय के समक्ष आए हैं ।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया ।

6. अपीलार्थियों की ओर से दलीलों का सारांश निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है –

(i) तीन अधिकारियों, जिनकी अभि. सा. 20, अभि. सा. 21 और अभि. सा. 22 के रूप में परीक्षा की गई थी, द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई जांच-पड़ताल रिपोर्ट मूल रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए इसकी ग्राह्यता के संबंध में आक्षेप किया गया क्योंकि केवल फोटो प्रति फाइल की गई थी । विचारण न्यायालय ने इसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा किए गए इस आक्षेप के अध्यधीन अभिलेख पर लिया था कि इसे सबूत और अतिरिक्त साक्ष्य दिए जाने पर ग्रहण किया जाएगा । विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश तारीख 15 फरवरी, 2001 को, लोक अभियोजक द्वारा मूल दस्तावेज अर्थात् मलकियत सिंह के शपथपत्र और तीन अधिकारियों द्वारा दी गई जांच-पड़ताल रिपोर्ट का द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुज्ञा की ईप्सा करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 65(ग) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर पारित किया गया था । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आदेश द्वारा ऊपर वर्णित दस्तावेजों के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को इन दस्तावेजों की विद्यमानता और उक्त दस्तावेजों के बाद में नष्ट हो जाने के सबूत के अध्यधीन मंजूर किया गया था । उसके पश्चात्, राज्य द्वारा मूल दस्तावेज अस्तित्व में न होने की बात को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे विचारण न्यायालय उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करने और उन्हें द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देने के लिए समर्थ हो सके । राज्य द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

(ii) जांच-पड़ताल रिपोर्ट को अधिक से अधिक तथ्य के निष्कर्ष की रिपोर्ट कहा जा सकता है और यह एक साक्ष्य नहीं था । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए आधार हो सकता था और इससे अधिक कुछ नहीं । यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी, जब रिपोर्ट की शुद्ध प्रति प्रदर्शित की जा रही थी, अर्जन सिंह, अभि. सा. 18 जो उक्त रिपोर्ट को साबित करने के लिए आया था, के कथन में प्रतिरक्षा पक्ष के आक्षेपों को निम्नलिखित शब्दों में अभिलिखित किया था : "आक्षेप किया गया क्योंकि इन दस्तावेजों को मूल दस्तावेज विद्यमान होने या उनके नष्ट होने के सबूत के अध्यधीन रहते हुए प्रदर्शित किया जाएगा ।"

(iii) अन्वेषक अधिकारी, बलजीत सिंह बट्टर, अभि. सा. 23 ने यह कथन किया था कि उसे मलकियत सिंह के शपथपत्र की एक फोटो प्रति उपायुक्त के पत्र के साथ चिह्नांकित और थानाधिकारी, दिलबाग सिंह से जांच-पड़ताल रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई थी और उसने अन्वेषण किया था । उसने यह भी कहा कि वह नहीं जानता कि क्या मूल जांच-पड़ताल रिपोर्ट, शपथपत्र और अन्य दस्तावेज नष्ट हो गए थे ।

(iv) उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थियों ने **अशोक दुलीचंद** बनाम **माधवराव दूबे**[1] वाले मामले में के निर्णय का अवलंब लिया ।

(v) निरीक्षण समिति द्वारा तीन बसों का निरीक्षण करते समय यान में मौजूद कंडक्टरों से अभिकथित रूप से प्रयुक्त टिकटें/जाली टिकटें/अंकित मूल्य से उच्च मूल्य वाली टिकटें अभिरक्षा में ली गई थीं । इन अभिगृहीत टिकटों को बाद में कथित रूप से अन्वेषक अधिकारी दिलबाग को या पुलिस थाने में सौंपा गया था । इन अभिगृहीत टिकटों को कभी भी न तो निरीक्षण दल द्वारा और न ही पुलिस द्वारा किसी प्रक्रम पर देखा गया था । निरीक्षण दल द्वारा तीन विभिन्न बसों के कंडक्टरों से अभिगृहीत की गई टिकटों को अलग-अलग नहीं रखा गया था । यहां तक कि न्यायालय के समक्ष भी ये टिकटें अमुहरबंद रूप में

---

[1] (1975) 4 एस. सी. सी. 664.

प्रस्तुत की गई थीं और इन्हें कथित रूप से अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 द्वारा साबित किया गया था । ये दोनों साक्षी न तो बरामदगी के साक्षी थे और न ही उन्हें टिकटों की उक्त बरामदगी की व्यक्तिगत जानकारी थी । उन्होंने केवल यह कहा था कि ये वही टिकटें हैं जो उन्होंने पुलिस थाने में देखी थीं ।

(vi) अंकित मूल्य से उच्च मूल्य की ऐसी टिकटों को किसी यात्री को बेचने का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि विचारण के दौरान किसी यात्री की परीक्षा नहीं की गई थी । अभियोजन का पक्षकथन अधिक से अधिक ऐसी जाली टिकटों को कब्जे में रखने का है और इससे परे कुछ नहीं ।

(vii) यह दलील दी गई कि निरीक्षण के समय अभिकथित रूप से जो नकदी पाई गई थी, उसे न तो साबित किया गया था, न ही इसकी बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रक्रम पर अभियुक्तों से कोई ऐसे प्रश्न पूछे गए थे । ऐसे साक्ष्य को अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता था । उपरोक्त प्रतिपादना के लिए निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया गया :

(1) **जयदेव** बनाम **पंजाब राज्य**[1],

(2) **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2],

(3) **सुजीत विश्वास** बनाम **असम राज्य**[3],

(4) **समसूल हक** बनाम **असम राज्य**[4] ।

(viii) अंत में, अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को न केवल युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है अपितु वास्तव में वह किसी विधिक, विश्वसनीय, ग्राह्य और अकाट्य साक्ष्य के अभाव में अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । उपरोक्त

---

[1] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 612.

[2] (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

[3] (2013) 12 एस. सी. सी. 406.

[4] (2019) 18 एस. सी. सी. 161.

दलीलों के समर्थन में, विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :

(1) **स्वर्ण सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1]**,**

(2) **शिवाजी एस. बोबडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2]**,**

(3) **सुभाष चंद** बनाम **राजस्थान राज्य**[3]**,**

(4) **सुजीत विश्वास** बनाम **असम राज्य** (उपर्युक्त),

(5) **राजीव सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[4]**,**

(6) **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **वसीम हैदर**[5] **।**

7. दूसरी ओर, पंजाब राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया । यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वसनीय, सटीक और विश्वासोत्पादक साक्ष्य पर आधारित है । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 ने टिकटों की बरामदगी को साबित किया था और यह भी कि अभि. सा. 20, अभि. सा. 21 और अभि. सा 22 ने निरीक्षण और जांच-पड़ताल रिपोर्ट को साबित किया था और इसलिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए कुछ और साबित किया जाना शेष नहीं रह जाता है । यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह से तकनीकी आधारों पर चुनौती दे रहे हैं ; इस न्यायालय को अभिलेख पर की उस सारभूत सामग्री की परीक्षा करनी चाहिए जिसका उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अवलंब लिया गया है ।

8. दी गई दलीलों और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अब हम अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए सुसंगत साक्ष्य के

---

[1] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637.

[2] (1973) 2 एस. सी. सी. 793.

[3] (2002) 1 एस. सी. सी. 702.

[4] (2015) 16 एस. सी. सी. 369.

[5] (2019) 2 एस. सी. सी. 303.

साथ-साथ दी गई दलीलों का भी विश्लेषण करने के लिए अग्रसर होते हैं ।

9. अभि. सा. 8 चरणजीत सिंह है, जो सुसंगत समय पर स्टेशन पर्यवेक्षक, मुक्तसर डिपो के रूप में तैनात था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा था कि उसने तरलोचन सिंह, मुख्य निरीक्षक, पंजाब रोडवेज, मुक्तसर के साथ टिकटों का मार्ग-पत्रक और डॉकेट के साथ मिलान किया था । उसने जरनैल सिंह और सलवंत सिंह के साथ-साथ बलकार सिंह की टिकटों में विभेद करने की कोशिश की थी । उसने उन टिकटों की पूर्वोक्त तीन कंडक्टरों द्वारा संचालित की जा रही अलग-अलग बसों के मुकाबले शनाख्त करने की भी ईप्सा की थी । उसके कथन के आधार पर, उसे दिखाए गए टिकटों के प्रदर्शों को चिह्नांकित किया गया था । तथापि, अभि. सा. 8 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा कि न्यायालय में उसे दिखाई गई सभी टिकटें और मार्ग-पत्रक वास्तव में उन्हें पुलिस द्वारा पुलिस थाने में दिखाया गया था । उस समय पर इनमें से कोई भी दस्तावेज मुहरबंद नहीं था । उस समय पर हम नहीं जानते थे कि कौन सी टिकट किस बस या कंडक्टर की हैं । जब बस कंडक्टरों से अभिकथित टिकटें और मार्ग-पत्रक पुलिस या अन्य द्वारा कब्जे में लिए गए थे, तब वह मौजूद नहीं था । वह नहीं कह सकता कि ये मार्ग-पत्रक और ये टिकटें उसकी रिपोर्ट में वर्णित किसी बस से संबद्ध या सुसंगत हैं या नहीं । अंत में, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कहा कि मुख्यालय द्वारा कंडक्टरों को जारी की गई टिकटों के संख्यांक उन्हें मिलान या जांच-पड़ताल करने के लिए प्रदाय नहीं किए गए थे ।

10. अभि. सा. 15 तरलोचन सिंह, निरीक्षक पंजाब रोडवेज, मुक्तसर है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा था कि तारीख 4 अगस्त, 1996 को उसे चरणजीत सिंह, स्टेशन पर्यवेक्षक (अभि. सा. 8) के साथ तीन बसों से संबंधित वाउचरों, मार्ग-पत्रकों और टिकटों की जांच करने के लिए तैनात किया गया था । अभिलेखों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात् उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ए प्रस्तुत की थी,

जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने इसके पश्चात् वैसा ही कथन दोहराया जैसा उन तीन बसों की टिकटों के संबंध में चरणजीत सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा किया गया था, जिनमें जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह कंडक्टरों के रूप में तैनात थे । तथापि, उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि ऊपर निर्दिष्ट सभी मार्ग-पत्रक और टिकटें उन्हें पुलिस थाने में दिखाई गई थीं । इनमें से कोई भी उस समय मुहरबंद नहीं थी । वह नहीं जानता कि कौन सी टिकटें या मार्ग-पत्रक किस बस से संबंधित थी क्योंकि वे उसकी मौजूदगी में बरामद नहीं की गई थीं । कार्यालय या डिपो द्वारा जारी की गई टिकटों का कोई संख्यांक जांच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ उन्हें प्रदाय नहीं किया गया था ।

11. अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 वे दो साक्षी हैं, जिनका उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अवलंब लिया गया था । उनके कथन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, का परिशीलन करने पर हम अचंभित हैं कि उच्च न्यायालय इनके आधार पर निम्नलिखित कारणों से कैसे दोषसिद्धि अभिलिखित कर सकता था :

- प्रथमतः, अभिगृहीत टिकटों को किसी प्रक्रम पर मुहरबंद करने का कोई साक्ष्य नहीं है ।
- अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे इन टिकटों की बरामदगी के समय पर मौजूद नहीं थे ।
- उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि जब वे पुलिस थाने गए थे, तब ये टिकटें मुहरबंद नहीं थीं ।
- उन्होंने यह भी कहा था कि वे नहीं जानते कि क्या ये मार्ग-पत्रक और टिकटें उनकी रिपोर्ट में वर्णित किसी यान से संबद्ध या सुसंगत हैं ।
- उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यालय द्वारा कंडक्टरों को जारी की गई टिकटों का कोई संख्यांक उन्हें जांच-पड़ताल में मिलान करने के लिए प्रदाय नहीं किया गया था ।

12. अभि. सा. 20, अभि. सा. 21 और अभि. सा. 22 उपायुक्त द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्य हैं । उन्होंने तारीख 11 मई, 1996 को उन तीन बसों की जांच-पड़ताल की थी जिस पर वर्तमान अपीलार्थी कथित रूप से कंडक्टरों के रूप में तैनात थे । उनके कथन कमोवेश एक-जैसे हैं, इसलिए उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है किंतु उनकी मुख्य परीक्षा और उनकी प्रतिपरीक्षा में यथाउल्लिखित अंतर्वस्तुओं को इसमें नीचे निर्दिष्ट किया जाता है :–

(i) उनकी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि पंजाब रोडवेज, मुक्तसर डिपों की बसों की जांच-पड़ताल करने के लिए उपायुक्त द्वारा समिति गठित की गई थी, क्योंकि पंजाब रोडवेज के मुक्तसर डिपो के अधिकारियों की मौनानुकूलता में कंडक्टरों द्वारा पहले से बेची गई टिकटों (खद्दर टिकटों) का प्रयोग करने के संबंध में एक शिकायत की गई थी ।

(ii) समिति के सदस्य दर्शन सिंह संधू, एम. एस. संधू और श्री अमरजीत सिंह साही थे ।

(iii) उन्होंने तीन बसों की जांच-पड़ताल की और एक बस में उन्होंने नियमित कंडक्टर के स्थान पर एक निलंबित कंडक्टर पाया ।

(iv) पूछताछ करने पर कंडक्टरों ने सूचित किया कि वे प्रयुक्त हो चुकी टिकटें लिए हुए हैं और वे यह उच्च प्राधिकारियों के आदेशों पर कर रहे हैं ।

(v) उन्होंने टिकटें अपने कब्जे में ली ।

(vi) उन्होंने यह भी कथन किया कि वे उन अभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकते जिनसे उन्होंने कौन-सी टिकटें ली थीं ।

(vii) उन्होंने तीन बसों का निरीक्षण करने के पश्चात् आगे पूछताछ की और महाप्रबंधक और यातायात प्रबंधक तथा संबंधित कंडक्टरों के भी कथन अभिलिखित किए और सुसंगत अभिलेखों का भी निरीक्षण किया ।

(viii) पूछताछ करने के उपरांत, यह पाया गया कि यहां तक कि पंजाब रोडवेज की कुछ बसें परमिट के बिना और किसी समय-सूची के बिना सड़क पर चल रही थीं ।

(ix) मुख्य परीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया गया कि वे कंडक्टर का नाम, बसों का संख्यांक और अभियुक्त कंडक्टर से बरामद खद्दर टिकटों का संख्यांक तथा कौन सी खद्दर टिकट किस अभियुक्त से बरामद की गई थी, नहीं बता सकते ।

(x) यह भी कथन किया गया कि उन्होंने जांच-पड़ताल रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/ए में ब्यौरों का वर्णन किया था ।

(xi) उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/ए एक फोटो प्रति है । मूल जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मुक्तसर को प्रस्तुत की गई थी, जिसने उसे सचिव, परिवहन को तत्काल कार्यवाही और निलंबन के लिए भेजा था ।

(xii) उन्होंने यह भी कथन किया कि उनके कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए थे ।

(xiii) स्पष्ट रूप से, मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रतिपरीक्षा आवश्यक नहीं थी, इसलिए प्रतिपरीक्षा के दौरान केवल औपचारिक प्रश्न पूछे गए थे, जिनको हमें यहां निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. निरीक्षण करने वाले दल के उपरोक्त कथनों से यह दर्शित होता है कि वे प्रथमतः, वे टिकटों की विधिमान्य रूप से बरामदगी की बात को साबित करने में असफल रहे थे । द्वितीयतः, वे जांच रिपोर्ट को भी साबित करने में असफल रहे थे क्योंकि केवल एक फोटो प्रति फाइल की गई थी और इसके बारे में किए गए आक्षेपों को स्वयं कथन में अभिलिखित किया गया था कि इसे मूल दस्तावेजों के विद्यमान होने और इनके नष्ट होने के सबूत के अध्यधीन प्रदर्शित किया जाएगा । अभियोजन पक्ष ने द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आदेश लेने हेतु मूल दस्तावेज विद्यमान होने और इनके नष्ट होने की बात को

साबित करने के लिए यह प्रयास नहीं किया था । इस प्रकार, जांच रिपोर्ट का अवलंब नहीं लिया जा सकता था और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी यह अभिलिखित किया था कि जांच रिपोर्ट साक्ष्य नहीं थी । जब एक बार टिकटों की बरामदगी को विधि के अनुसार किया गया नहीं पाया गया है, न ही अभिगृहीत टिकटें तीन अलग-अलग बसों और उक्त बसों का संचालन कर रहे कंडक्टरों (अपीलार्थियों) से संबद्ध की जा सकी थीं, इसलिए अपुष्टिकृत टिकटों को अपीलार्थियों से संबद्ध करके उनका अवलंब लेना सुरक्षित नहीं होगा । तृतीयतः, राज्य द्वारा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने के बावजूद जांच रिपोर्ट को साबित नहीं करने और इस पर आगे कोई कार्यवाही न करने से वह आधार खोखला प्रतीत होता है, जिस आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा संपूर्ण मामला स्थापित किया गया था ।

14. हमारे इस निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए कि अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, हम अपीलार्थियों द्वारा अवलंब ली गई निर्णीत विधियों को निर्दिष्ट करके इस निर्णय को बोझिल बनाना आवश्यक नहीं समझते हैं ।

15. तद्नुसार, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

16. वर्तमान अपीलार्थियों के संबंध में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के निर्णय अपास्त किए जाते हैं ।

17. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । वे पहले से ही जमानत पर हैं । उनके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 104

शाहजा उर्फ **शाहजां इस्माइल मोहम्मद शेख**

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

[2017 की दांडिक अपील सं. 739]

14 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और 8] – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य – अभियुक्त और मृतक के बीच धन के लेन-देन को लेकर लड़ाई-झगड़ा होना – अभियुक्त द्वारा अर्ध-रात्रि में मृतक के सिर पर सोते समय हथौड़े से प्रहार किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना – घटना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा देखा जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य और आयुध अर्थात् आयुध के पता लगे तथ्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में ऐसी कोई व्यक्त या सुस्पष्ट बात प्रकट न हो जिसके आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाया जा सके कि वे सत्य या विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और चिकित्सीय साक्ष्य तथा रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और लोप के रूप में यहां-वहां कुछ विरोधाभासों को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है किंतु जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त के बताने पर आयुध के पता लगने का संबंध है, पंचनामा की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना और अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में उन शब्दों का हू-ब-हू कथन करने के अभाव में जो अभियुक्त द्वारा आयुध के छिपाने के स्थान के बारे में कहे गए थे,

आयुध के पता लगने की परिस्थिति का अवलंब लेना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है, तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसका आचरण सुसंगत होने के कारण दोषसिद्धि उचित है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, मृतक अर्थात् माहांकल जायसवाल और इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर श्रमिक के रूप में कार्य करते थे और एक-दूसरे के जानकार थे । मृतक अन्य श्रमिकों के साथ विले पार्ले रेलवे स्टेशन के निकट स्थित पुल के नीचे या पुल पर सोते थे । विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पुल के निकट स्थित एक हनुमान मंदिर भी है । मूल प्रथम इत्तिलाकर्ता नंदलाल रामनिहोर (अभि. सा. 1) हनुमान मंदिर का पुजारी था । नंदलाल मंदिर के आस-पास एक झोंपड़ी में रहता था । तारीख 10 दिसंबर, 2006 को 10.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी और मृतक के बीच धन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ । यह झगड़ा विले पार्ले रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की के निकट हुआ था । दोनों के बीच झगड़े को अभि. सा. 1 नंदलाल द्वारा देखा गया था । जब मृतक माहांकल, उदय सिंह (अभि. सा. 8) और अन्य व्यक्ति मंदिर के निकट पुल पर सो रहे थे, तब लगभग 12.00 से 12.15 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 1 नंदलाल ने "डप्प" की आवाज सुनी । जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह जाग उठा और अपनी झोंपड़ी का पर्दा उठाकर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है । नंदलाल (अभि. सा. 1) ने मृतक को अपीलार्थी के सिर पर हथौड़े से हमला करते हुए देखा । अपीलार्थी द्वारा मृतक पर हमले को उदय सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा भी देखा गया था, जो मृतक के निकट सो रहा था । हमले के पश्चात् अपीलार्थी हथौड़े को अपने हाथ में लेकर घटनास्थल से चला गया । जब वह जा रहा था, तो नंदलाल ने कथित रूप से अपीलार्थी से पूछा कि क्या उसने माहांकल (मृतक) का वध कर दिया है । तदुपरांत, अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि उसने माहांकल का वध कर दिया है । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् रात-भर कुछ नहीं हुआ । सवेरे पुलिस ने कार्रवाई आरंभ की और देखा कि माहांकल मृत पड़ा हुआ था । माहांकल के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया । नंदलाल द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 2006 को अंधेरी पुलिस थाने में

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण की समाप्ति पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 नंदलाल और अभि. सा. 8 उदय सिंह के मौखिक परिसाक्ष्य पर विश्वास किया । इन दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष आयुध के छिपाने के स्थान के बारे में किए गए कथन और आयुध के पता लगने की परिस्थिति का अवलंब लेकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया । अभियुक्त द्वारा व्यथित होकर विचारण न्यायालय के निर्णय को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अपील खारिज कर दी गई । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर के साक्ष्य, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1 नंदलाल रामनिहोर मिश्रा के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि मृतक और अपीलार्थी, दोनों उसके जानकार थे । अभि. सा. 1 नंदलाल दोनों को जानता था क्योंकि वे सभी एक ही स्थान अर्थात् विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर स्थित हनुमान मंदिर के आस-पास रहते थे । अभि. सा. 1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में उस लड़ाई के बारे में बताया था जो पहले मृतक और अपीलार्थी के बीच 10.30 बजे अपराह्न में विले पार्ले रेलवे स्टेशन की पश्चिमी टिकट खिड़की के आस-पास शुरू हुई थी । दोनों के बीच लड़ाई धन के लेन-देन को लेकर हुई थी । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् रात्रि में लगभग 12.00 बजे जब मृतक सो रहा था, तब अपीलार्थी ने एक हथौड़े से मृतक के सिर पर हमला किया । अभि. सा. 1 नंदलाल ने आवाज सुनने पर इस हमले को देखा था । हमला करने के पश्चात् अभि. सा. 1 का कथित रूप से अपीलार्थी से यह पूछते हुए आमना-सामना हुआ था कि क्या उसने मृतक का वध कर दिया है । यह

न्यायालय नंदलाल (अभि. सा. 1) की मुख्य परीक्षा में, विशिष्ट रूप से बहुत ही अल्प और कम प्रतिपरीक्षा करने की बात पर विचार करते हुए कुछ भी अनधिसंभाव्य नहीं पाता है । इस न्यायालय ने इस तथ्य की अवेक्षा की है कि लोप के रूप में छुटपुट विरोधाभास के सिवाय अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा से कुछ भी सारभूत बात नहीं निकाली जा सकी थी, जिससे उसका संपूर्ण साक्ष्य संदेहास्पद हो सके । अभि. सा. 8 उदयसिंह रामसिंह ठाकुर (प्रदर्श-29) भी घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह भी मृतक तथा अपीलार्थी को जानता था क्योंकि वे विले पार्ले में श्रमिकों के रूप में कार्य करते रहते थे । जहां तक अभि. सा. 8 उदयसिंह के साक्ष्य का संबंध है, प्रतिरक्षा पक्ष एक लोप के रूप में एक बड़े विरोधाभास को अभिलेख पर लाने में समर्थ रहा है क्योंकि अभि. सा. 8 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने पुलिस के समक्ष किए गए कथन में अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर हथौड़े से प्रहार करने के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि पुलिस ने उसके पुलिस के समक्ष किए गए कथन में हथौड़े से हमला करने के तथ्य को क्यों अभिलिखित नहीं किया था । तथापि, अभि. सा. 8 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी का अभि. सा. 1 नंदलाल से आमना-सामना हुआ था । अभि. सा. 8 के साक्ष्य के कुछ भाग से अभि. सा. 1 नंदलाल के मौखिक परिसाक्ष्य की संपुष्टि होती है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के महत्व का निर्धारण करने में दो प्रमुख बातें हैं, क्या मामले की परिस्थितियों में घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पर विश्वास करना संभव है या ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अभिसाक्ष्यित तथ्यों को देखना उनके लिए संभव था और द्वितीयतः, क्या उनके साक्ष्य में कुछ अंतर्निहित अनधिसंभाव्य या अविश्वसनीय बात है । इन दोनों बातों के संबंध में उन परिस्थितियों का महत्व, जो या तो स्वयं उन साक्षियों से प्रकट हुई हों या अन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध की गई हों, उनकी मौजूदगी को अनधिसंभाव्य या उनके कथनों की सत्यता को अविश्वसनीय बनाने के लिए मायने रखेगा जो न्यायालय उनके साक्ष्य से संबद्ध करेगा । यद्यपि ऐसे मामलों में

जहां अभियुक्त का अभिवाक् एकमात्र रूप से इनकारी का है, तो भी अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की परीक्षा स्वयं उनके गुणागुण के आधार पर की जानी चाहिए और जहां अभियुक्त एक निश्चित अभिवाक् करता है या एक ऐसा सकारात्मक पक्षकथन प्रस्तुत करता है जो अभियोजन के पक्षकथन से असंगत है, ऐसे अभिवाक् या पक्षकथन की प्रकृति और इसके संबंध में अधिसंभाव्यताओं को भी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के महत्व का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना होगा । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में कुछ भी ऐसा गोचर और सुस्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर यह न्यायालय यह दृष्टिकोण अपना सके कि वे सच्चे और विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । लोप के रूप में यहां-वहां कुछ विरोधाभास प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अभिलेख पर के चिकित्सा साक्ष्य से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत की संपुष्टि होती है । अभि. सा. 6 डा. शिवाजी विष्णु काचरे ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृत्यु सिर पर पहुंची क्षति के कारण हुई है । इस विशेषज्ञ साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया था कि सभी क्षतियां मर्दित विदीर्ण घाव की प्रकृति की थीं और हथौड़े जैसे आयुध से कारित की गई हो सकती हैं । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श-10) से यह उपदर्शित होता है कि हथौड़े पर मृतक के रक्त समूह अर्थात् 'ए' समूह के मिलान वाले मानवीय रक्त के धब्बे थे । इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि दोनों निचले न्यायालयों ने दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् क्रमश: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 8 पर ठीक ही विश्वास किया था । इस न्यायालय को उनके साक्ष्य पर निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता है । (पैरा 25, 26, 28, 29, 31, 32 और 33)

क्रमश: अभि. सा. 4 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने पंच साक्षियों के समक्ष इस आशय का कथन किया था कि "मैं पार्ले में जूते की दुकान के समीप छिपाए गए आयुध

को दिखा दूंगा" । इस कथन से यह सुझाव नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने आयुध के छिपाने में अपनी अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई संकेत दिया था । मात्र आयुध का पता लगने का यह निर्वचन नहीं किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति से आयुध का पता लगता है, उस व्यक्ति द्वारा आयुध के छिपाने के स्थान के बारे में निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होगा । उसे उस स्थान पर आयुध के विद्यमान होने की जानकारी किसी अन्य स्रोत से भी प्राप्त हो सकती है । हो सकता है, उसने किसी व्यक्ति को आयुध छिपाते हुए देखा हो और इसलिए यह उपधारणा नहीं की जा सकती है या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति से आयुध का पता लगा था, यह वही व्यक्ति था, जिसने उसे छिपाया था, इससे कम से कम इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती है कि उसने इसे प्रयुक्त किया था । अत: यदि अपीलार्थी से आयुध का पता लगने की बात को स्वीकार किया जाता है, तो आयुध का पता लगने के विषय में सारभूत साक्ष्य से जो प्रकट होता है वह यह है कि अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण किया था कि वह अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध को दिखा देगा । इस प्रकार, उन हू-ब-हू शब्दों के अभाव में जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं और पंचनामों की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना भी विचारण न्यायालय ने आयुध के पता लगने की परिस्थिति का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था । यहां तक कि बरामदगी पंचनामे के रूप में साक्ष्य को त्यक्त करते समय अपीलार्थी का आचरण अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत होगा । (पैरा 45, 47 और 48)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 9 एस. सी. सी. 417 = (2010) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 12 : **मुरली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	40
[2005]	(2005) 7 एस. सी. सी. 714 : **ए. एन. वेंकटेश** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	48

[2005] (2005) 11 एस. सी. सी. 600 :
राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)
बनाम **नवजोत संधु** ; 49

[1999] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3717 :
लीला राम बनाम **हरियाणा राज्य** ; 27

[1994] (1994) 6 एस. सी. सी. 29 = (1994)
एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1585 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **बाबुल नाथ** ; 22

[1991] (1991) 2 एस. सी. सी. 432 = (1991)
एस. सी. सी. (क्रिमनल) 421 :
नैन सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 22

[1989] [1989] 1 उम. नि. प. 977 =
ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1998 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **अनिल सिंह** ; 30

[1983] [1983] 4 उम. नि. प. 43 = 1983 क्रिमिनल
ला जर्नल 1096 = ए. आई. आर.
1983 एस. सी. 753 :
भरवाड़ा भोगिनभाई हरिजीभाई बनाम
गुजरात राज्य ; 27

[1982] [1982] 1 उम. नि. प. 253 =
ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 911 :
दूध नाथ पांडे बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 46

[1980] [1980] 2 उम. नि. प. 19 = (1979)
2 एस. सी. सी. 297 :
अरुणाचलम बनाम **पी. एस. आर. सदानन्दम** ; 21

[1975] [1975] 1 उम. नि. प. 254 = (1975)
3 एस. सी. सी. 219 :
बालक राम बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 21

[1972] [1972] 2 उम. नि. प. 105 = (1972) 1 एस. सी. सी. 249 :
हिमाचल प्रदेश प्रशासन बनाम **ओम प्रकाश** ; 20

[1960] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1125 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **देवमन उपाध्याय** ; 43

[1959] ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012 :
तहसीलदार सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 27

[1958] [1958] एस. सी. आर. 580 :
मद्रास राज्य बनाम **ए. वैद्यनाथ अय्यर** ; 20

[1947] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 :
फुलुकुरी कोट्टया बनाम **एम्परर** । 44

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 739.

2014 की दांडिक अपील सं. 449 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2015 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री ऋचा कपूर, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा और श्री कुणाल आनंद

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडेय, जियो जोसफ और (सुश्री) श्वेतल शेपाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने दिया ।

न्या. पारदीवाला – विशेष इजाजत लेकर यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के एक दोषसिद्ध व्यक्ति की प्रेरणा पर और 2014 की दांडिक अपील सं. 449 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2015 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त

द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और तद्द्वारा 2007 के सेशन मामला सं. 256 में छठे तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, सिवरी, मुंबई द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की ।

अभियोजन का पक्षकथन :

2. मृतक अर्थात् माहांकल जायसवाल और अपील में अपीलार्थी मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर श्रमिक के रूप में कार्य करते थे और एक-दूसरे के जानकार थे । मृतक अन्य श्रमिकों के साथ विले पार्ले रेलवे स्टेशन के निकट स्थित पुल के नीचे या पुल पर सोते थे । विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पुल के निकट स्थित एक हनुमान मंदिर भी है । मूल प्रथम इत्तिलाकर्ता नंदलाल रामनिहोर (अभि. सा. 1) हनुमान मंदिर का पुजारी था । नंदलाल मंदिर के आस-पास एक झोंपड़ी में रहता था । तारीख 10 दिसंबर, 2006 को 10.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी और मृतक के बीच धन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ । यह झगड़ा विले पार्ले रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की के निकट हुआ था । दोनों के बीच झगड़े को अभि. सा. 1 नंदलाल द्वारा देखा गया था । जब मृतक माहांकल, अभि. सा. 8 उदय सिंह और अन्य व्यक्ति मंदिर के निकट पुल पर सो रहे थे, तब लगभग 12.00 से 12.15 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 1 नंदलाल ने "डप्प" की आवाज सुनी । जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह जाग उठा और अपनी झोंपड़ी का पर्दा उठाकर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है । अभि. सा. 1 नंदलाल ने मृतक को अपीलार्थी के सिर पर हथौड़े से हमला करते हुए देखा । अपीलार्थी द्वारा मृतक पर हमले को अभि. सा. 8 उदय सिंह द्वारा भी देखा गया था, जो मृतक के निकट सो रहा था । हमले के पश्चात् अपीलार्थी हथौड़े को अपने हाथ में लेकर घटनास्थल से चला गया । जब वह जा रहा था, तो अभि. सा. 1 नंदलाल ने कथित रूप से अपीलार्थी से पूछा कि क्या उसने माहांकल (मृतक) का वध कर दिया है । तदुपरांत, अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि उसने माहांकल का वध कर दिया है । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् रात-भर कुछ नहीं हुआ । सवेरे पुलिस ने कार्रवाई आरंभ की और देखा कि माहांकल मृत पड़ा हुआ था । माहांकल के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया ।

3. अभि. सा. 1 नंदलाल ने तारीख 11 दिसंबर, 2006 को अंधेरी पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-13) दर्ज की, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 91 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण के दौरान विभिन्न साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 के उपबंधों के अधीन तारीख 16 दिसंबर, 2006 को आक्रामक आयुध अर्थात् हथौड़े (प्रदर्श-23) की बरामदगी का पंचनामा भी बनाया गया था ।

4. अभि. सा. 6 डा. शिवाजी विष्णु काचरे द्वारा की गई शव की मरणोत्तर परीक्षा में निम्नलिखित बाह्य क्षतियां प्रकट हुई थीं :

(i) दांए ललाटीय क्षेत्र पर दांई आंख से 3 सें. मी. ऊपर लालिमायुक्त 2.5 सें. मी. x 2.5 सें. मी. हड्डी की गहराई तक नीला विदीर्ण घाव ;

(ii) क्षति सं. (i) के पश्च दांए ललाटीय क्षेत्र पर लालिमायुक्त हड्डी की गहराई तक 4 सें. मी. x 2 सें. मी. नीला विदीर्ण घाव ;

(iii) दांई कनपटी के पार्श्विक क्षेत्र पर लालिमायुक्त हड्डी की गहराई तक 3 सें. मी. x 1 सें. मी. का चीरे जैसा घाव ।

5. डा. शिवाजी विष्णु काचरे द्वारा निम्नलिखित आंतरिक क्षतियां पाई गई थीं :

(i) खोपड़ी के नीचे क्षति – दांई कनपटी और पार्श्विक भाग पर तथा ललाटीय क्षेत्र पर लाल रंग का रक्तस्राव दिखाई दिया ;

(ii) खोपड़ी – दांई अग्र कनपटी की हड्डी पर 2 सें. मी. x 1 सें. मी. का मिश्रित अस्थिभंग ;

(iii) मस्तिष्क – दांई अग्र कनपटी पर और पार्श्विक क्षेत्र पर

लालिमायुक्त 9 सें. मी. x 8 सें. मी. का बाह्य रक्तस्राव ;

(iv) दांए गोलार्द्ध पर लाल रंग का सबड्यूरल और सबआरकेनायड रक्तस्राव ।

6. आक्रामक आयुध अर्थात् हथौड़े को रासायनिक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श-9) के अनुसार हथौड़े पर मानवीय रक्त के धब्बों के साथ उस पर कुछ बाल चिपके हुए पाए थे ।

7. अन्वेषण की समाप्ति पर, अन्वेषक अभिकरण ने 22वें महानगर मजिस्ट्रेट, अंधेरी के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया, जिसने इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 209 के उपबंधों के अधीन मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया ।

8. विचारण न्यायालय ने तारीख 6 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप (प्रदर्श-2) विरचित किए ।

9. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस साक्षियों की परीक्षा की । वर्तमान अपील का विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य सुसंगत है :

(i) अभि. सा. 1 नंदलाल रामनिहोर मिश्रा (प्रदर्श-12), मूल प्रथम इत्तिलाकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ;

(ii) अभि. सा. 4 अम्सु हुसैन सय्यद (प्रदर्श-21), आक्रामक आयुध के पता चलने के पंचनामा का पंच साक्षी ;

(iii) अभि. सा. 8 उदयसिंह रामसिंह ठाकुर (प्रदर्श-29), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ;

(iv) अभि. सा. 6 डा. शिवाजी विष्णु काचरे (प्रदर्श-25), चिकित्सा अधिकारी, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी ;

(v) मारुति दत्तात्रेय रासकर (प्रदर्श-31), अन्वेषक अधिकारी ।

10. विचारण न्यायालय ने दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 नंदलाल और अभि. सा. 8 उदय सिंह के मौखिक परिसाक्ष्य पर विश्वास किया । इन दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य का अवलंब लेकर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के बताने पर आयुध अर्थात् हथौड़े के पता लगने के साक्ष्य का अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करने वाली अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों में से एक परिस्थिति का भी अवलंब लिया । विचारण न्यायालय ने तद्नुसार तारीख 8 सितंबर, 2008 को दोषसिद्धि का निर्णय और आदेश पारित किया और अपीलार्थी को 1000/- रुपए के जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

11. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के पूर्वोक्त निर्णय और आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में 2014 की दांडिक अपील सं. 449 फाइल करके चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और तारीख 10 जुलाई, 2015 के निर्णय और आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी ।

12. ऊपर निर्दिष्ट ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

अपीलार्थी की ओर से दलीलें :

13. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करने में गंभीर गलती कारित की है कि अपीलार्थी हत्या के अपराध का दोषी है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों ने तथाकथित दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर विश्वसनीय साक्षी होने के रूप में विश्वास करके गंभीर

गलती कारित की है । जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 8 अविश्वसनीय साक्षी हैं । यह दलील दी गई कि घटना की उत्पत्ति, घटनास्थल और घटना घटने के समय को ध्यान में रखते हुए, दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा घटना नहीं देखी जा सकती थी ।

14. विद्वान् काउंसेल ने आगे अभि. सा. 1 नंदलाल के अस्वाभाविक आचरण के विषय में भी दलील दी, जिसने हमला करते हुए देखने का दावा किया था किंतु पूरी रात चुप रहा था और अगले दिन सवेरे अंधेरी पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराना उचित समझा था और वह भी केवल पुलिस द्वारा कार्रवाई आरंभ करने के पश्चात् । यह दलील दी गई कि पुलिस को सूचित करने में विलंब से स्वयंमेव इस बारे में संदेह पैदा होता है कि क्या अभि. सा. 1 नंदलाल ने वास्तव में हमला होते हुए देखा था ।

15. विद्वान् काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि निचले न्यायालयों को अपीलार्थी के बताने पर आक्रामक आयुध का पता लगने के साक्ष्य पर कोई अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए था ।

16. ऊपर निर्दिष्ट परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रार्थना की कि अपील में गुणता होने के कारण इसे मंजूर किया जाए और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाए और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाए ।

राज्य की ओर से दलीलें :

17. दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राहुल चिटनिस ने इस अपील का यह दलील देते हुए जोरदार रूप से विरोध किया कि निचले न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने में विधि की किसी गलती की बात तो दूर, कोई गलती कारित की गई कहा जा सकता हो । उन्होंने यह दलील दी कि इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रमश: विचारण न्यायालय और उच्च

न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप न किया जाए । उन्होंने दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों ने दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य पर विश्वास करना उचित समझा है और अन्यथा भी घटना के दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है । उन्होंने दलील दी कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अपीलार्थी के बताने पर आक्रामक आयुध (हथौड़ा) के पता चलने के रूप में अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करते हुए एक अतिरिक्त साक्ष्य है । उन्होंने यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन बनाया गया आक्रामक आयुध के पता चलने का पंचनामा अपीलार्थी के विरुद्ध जाने वाली एक अतिरिक्त परिस्थिति है ।

18. ऊपर निर्दिष्ट परिस्थितियों में, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह प्रार्थना की कि इस अपील में कोई गुणागुण न होने के कारण इसे खारिज किया जाए ।

विश्लेषण

19. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर की सामग्री का अनुशीलन करने के पश्चात् एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई गलती कारित की है ?

अपील की व्याप्ति और परिधि :

20. अब यह भली-भांति स्थिर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्ति तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में भी प्रयोग करने योग्य है और ऐसी शक्तियां अति व्यापक हैं किंतु दांडिक अपीलों में यह न्यायालय आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है । इस न्यायालय द्वारा यह मत बहुत पहले वर्ष 1958 में **मद्रास राज्य** बनाम **ए. वैद्यनाथ अय्यर**[1] वाले मामले में अभिव्यक्त

[1] [1958] एस. सी. आर. 580.

किया गया था । इस विनिश्चय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 136 में "उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा" शब्दों के प्रयोग से दर्शित होता है कि दांडिक मामलों में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निर्णय के बीच विभेद किया जा सकता है । इस न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय और प्रथम बार के न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा किंतु यदि उच्च न्यायालय प्रतिकूल रूप से या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य करता है, तो हस्तक्षेप किया जा सकेगा । उस विनिश्चय में, इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया था, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मामले की मुख्य विशेषताओं का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था या सम्यक् महत्व नहीं दिया गया था और उसका इस प्रश्न के प्रति दृष्टिकोण कि क्या 800/- रुपए की राशि एक अवैध परितोषण था या एक उधार था, ऐसा था कि उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल रूप से या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य किया था । अत: इस विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार है यदि उच्च न्यायालय प्रतिकूल रूप से या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य करता है, अर्थात् उच्च न्यायालय का निर्णय तब अपास्त किए जाने योग्य है जब उच्च न्यायालय द्वारा मामले की कतिपय मुख्य विशेषताओं का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया हो या उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् महत्व न दिया गया हो । पुन:, **हिमाचल प्रदेश प्रशासन** बनाम **ओम प्रकाश**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के अधीन तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था (एस. सी. सी. पृष्ठ 256, पैरा 4) :–

"4. अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत लेकर दोषमुक्ति

[1] [1972] 2 उम. नि. प. 105 = (1972) 1 एस. सी. सी. 249.

के विरुद्ध अपीलों में इस न्यायालय को तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की असंदिग्ध शक्ति है, दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई विभेद नहीं करना होता है, यद्यपि दोषमुक्ति के मामलों में वह मामूली तौर पर साक्ष्य के मूल्यांकन में या तथ्य के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक उच्च न्यायालय ने 'प्रतिकूल रूप से या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य न किया हो' ।"

21. पुनः, **बालक राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व्यापक हैं किंतु दांडिक अपीलों में यह न्यायालय आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है । **अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सदानन्दम**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के विनिश्चयों में अभिव्यक्त मतों पर सहमति जताते हुए यह मत व्यक्त किया था (एस. सी. सी. पृष्ठ 300, पैरा 4) :–

"4. यह शक्ति इस अर्थ में संपूर्ण है कि स्वयं अनुच्छेद 136 में इस शक्ति को विशेषित करने वाले कोई शब्द नहीं हैं । किंतु इस शक्ति के स्वरूप के कारण ही इस न्यायालय ने अपने लिए ऐसी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं जिनके भीतर उसे ऐसी शक्ति का प्रयोग करना होता है । अब इस न्यायालय की यह सुस्थापित पद्धति है कि यह अनुच्छेद 136 के अधीन केवल अत्यधिक आपवादिक परिस्थितियों में ही, उदाहरणार्थ जब सामान्य सार्वजनिक महत्व का कोई विधि विषयक प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या जब किसी विनिश्चय से न्यायालय की अंतश्चेतना को ठेस पहुंचे, इस शक्ति का अवलंब लेना अनुज्ञात करता है । किंतु इस न्यायालय को अपने द्वारा ही अधिरोपित निर्बंधनों के भीतर उस दशा में तथ्य विषयक निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने की असंदिग्ध शक्ति प्राप्त है और

[1] [1975] 1 उम. नि. प. 254 = (1975) 3 एस. सी. सी. 219.

[2] [1980] 2 उम. नि. प. 19 = (1979) 2 एस. सी. सी. 297.

दोषमुक्ति तथा दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई प्रभेद नहीं करना होता है जबकि उन निष्कर्षों को निकालते समय उच्च न्यायालय ने 'प्रतिकूल रूप से या अन्यथा उचित रूप से' कार्य किया हो ।"

22. **नैन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, जिसमें इसमें ऊपर निर्दिष्ट किए गए सभी पूर्वोक्त विनिश्चयों पर विचार किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के प्रश्न पर पूर्वोक्त विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् और पूर्वोक्त विनिश्चयों में अभिव्यक्त किए गए विचारों से सहमति व्यक्त करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने अंतत: यह सिद्धांत अधिकथित किया कि उस विनिश्चय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर कम पड़ता था और इसलिए इस पर कार्य करना अत्यधिक असुरक्षित था । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **बाबुल नाथ**[2] वाले मामले में, इस न्यायालय ने इस बारे में अनुच्छेद 136 की व्याप्ति पर विचार करते हुए कि कब यह न्यायालय तथ्य के निष्कर्षों को उलटने का हकदार है, निम्नलिखित मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृष्ठ 33, पैरा 5) :–

> "5. आरंभ में ही हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील में यह न्यायालय स्वत: साक्ष्य का प्रसामान्यत: पुनर्मूल्यांकन और साक्षियों के विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार नहीं करता है और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के निर्धारण को उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम मानकर तब तक स्वीकार किया जाता है, जब तक, वास्तव में, साक्ष्य का मूल्यांकन और निष्कर्ष विधि की प्रक्रिया संबंधी किसी गलती द्वारा दूषित न हो या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल न हो, अभिलेख की गलती और साक्ष्य का गलत पठन नहीं पाया गया है या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित और अभिलेख पर के साक्ष्य से असमर्थनीय हों ।"

---

[1] (1991) 2 एस. सी. सी. 432 = (1991) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 421.

[2] (1994) 6 एस. सी. सी. 29 = (1994) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1585.

23. संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति के प्रयोग पर इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों से निम्नलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैं :

(i) संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्तियां अत्यधिक व्यापक हैं किंतु दांडिक अपीलों में यह न्यायालय आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है ।

(ii) यदि उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल रूप से या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य किया है, तो यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है ।

(iii) यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति का केवल तब अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में अवलंब लेने के लिए स्वतंत्र है जब कभी जनसाधारण के महत्व से संबंधित विधि का कोई प्रश्न उद्भूत होता है या किसी विनिश्चय से इस न्यायालय की अंतश्चेतना को ठेस पहुंचती है ।

(iv) जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर कम पड़ता है और इस पर कार्य करना अत्यधिक असुरक्षित है ।

(v) जहां साक्ष्य का मूल्यांकन और निष्कर्ष प्रक्रिया की विधि की किसी गलती द्वारा दूषित है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल पाया गया है, अभिलेख की गलती और साक्ष्य का गलत पठन पाया गया है, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित हैं और अभिलेख पर के साक्ष्य से असमर्थनीय हैं ।

24. पूर्वोक्त सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए, हम अभिलेख पर की सामग्री की संवीक्षा करने के लिए अग्रसर होंगे ।

25. अभिलेख पर के साक्ष्य, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1 नंदलाल रामनिहोर मिश्रा के साक्ष्य (प्रदर्श-12) से यह प्रतीत होता है कि मृतक

और अपीलार्थी, दोनों उसके जानकार थे । अभि. सा. 1 नंदलाल दोनों को जानता था क्योंकि वे सभी एक ही स्थान अर्थात् विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर स्थित हनुमान मंदिर के आस-पास रहते थे । अभि. सा. 1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में उस लड़ाई के बारे में बताया था जो पहले मृतक और अपीलार्थी के बीच 10.30 बजे अपराह्न में विले पार्ले रेलवे स्टेशन की पश्चिमी टिकट खिड़की के आस-पास शुरू हुई थी । दोनों के बीच लड़ाई धन के लेन-देन को लेकर हुई थी । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् रात्रि में लगभग 12.00 बजे जब मृतक सो रहा था, तब अपीलार्थी ने एक हथौड़े से मृतक के सिर पर हमला किया । अभि. सा. 1 नंदलाल ने आवाज सुनने पर इस हमले को देखा था । हमला करने के पश्चात् अभि. सा. 1 का कथित रूप से अपीलार्थी से यह पूछते हुए आमना-सामना हुआ था कि क्या उसने मृतक का वध कर दिया है । हम नंदलाल (अभि. सा. 1) की मुख्य परीक्षा में, विशिष्ट रूप से बहुत ही अल्प और कम प्रतिपरीक्षा करने की बात पर विचार करते हुए कुछ भी अनधिसंभाव्य नहीं पाते हैं । हमने इस तथ्य की अवेक्षा की है कि लोप के रूप में छुटपुट विरोधाभास के सिवाय अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा से कुछ भी सारभूत बात नहीं निकाली जा सकी थी, जिससे उसका संपूर्ण साक्ष्य संदेहास्पद हो सके ।

26. अभि. सा. 8 उदयसिंह रामसिंह ठाकुर (प्रदर्श-29) भी घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह भी मृतक तथा अपीलार्थी को जानता था क्योंकि वे विले पार्ले में श्रमिकों के रूप में कार्य करते रहते थे । जहां तक अभि. सा. 8 उदयसिंह के साक्ष्य का संबंध है, प्रतिरक्षा पक्ष एक लोप के रूप में एक बड़े विरोधाभास को अभिलेख पर लाने में समर्थ रहा है क्योंकि अभि. सा. 8 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने पुलिस के समक्ष किए गए कथन में अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर हथौड़े से प्रहार करने के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष किए गए कथन में हथौड़े से हमला करने के तथ्य को क्यों अभिलिखित नहीं किया था । तथापि, अभि. सा. 8 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि

घटना के पश्चात् अपीलार्थी का अभि. सा. 1 नंदलाल से आमना-सामना हुआ था । अभि. सा. 8 के साक्ष्य के कुछ भाग से अभि. सा. 1 नंदलाल के मौखिक परिसाक्ष्य की संपुष्टि होती है ।

27. प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है । प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित या नियमनिष्ठ सिद्धांत नहीं है । किसी दांडिक मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए न्यायिक रूप से प्रतिपादित सिद्धांतों को नीचे प्रगणित किया जा सकता है :–

(i) किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण अवश्य यह होना चाहिए कि क्या साक्षी के साक्ष्य में, उसे समग्र रूप से पढ़ने पर, सत्यता का आभास होता है या नहीं । जब एक बार यह राय बन जाती है, तो न्यायालय के लिए असंदिग्ध रूप से साक्ष्य की संवीक्षा करना, विशिष्ट रूप से समग्र साक्ष्य में उल्लेख की गई कमियों, त्रुटियों और खामियों को ध्यान में रखते हुए और उनका यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या यह साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य भाव के विरुद्ध है या नहीं और क्या साक्ष्य का पूर्ववर्ती मूल्यांकन डगमगा तो नहीं रहा है जिससे यह अविश्वसनीय बन गया है ।

(ii) यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष साक्षी ने साक्ष्य दिया है, साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य भाव के बारे में राय बनाने का अवसर था, तो अपील न्यायालय द्वारा, जिसके पास यह अवसर नहीं था, विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को सम्यक् महत्व देना होगा और जब तक कि कारण महत्वपूर्ण और विकट न हों, तब तक तुच्छ ब्यौरों के विषय में छुट-पुट फेरफार या कमियों के आधार पर साक्ष्य को नामंजूर करना उचित नहीं होगा ।

(iii) जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विस्तार से परीक्षा की जाती है तब उसके द्वारा कुछ फर्क करना पूरी तरह संभव है । किंतु न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल जब किसी साक्षी के साक्ष्य

में आए फर्क उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता से इतने असंगत हैं कि न्यायालय उसके साक्ष्य को त्यक्त करने में न्यायोचित हो ।

(iv) नगण्य विषयों पर छुट-पुट विसंगतियों, जो मामले के सार को स्पर्श न करती हों, साक्ष्य से यहां-वहां से संदर्भ के बाहर के वाक्यों को निकालकर अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने, अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई ऐसी कुछ तकनीकी गलती को महत्व देकर जो मामले की तह तक न जाती हों, इनके कारण संपूर्ण साक्ष्य को नामंजूर करना सामान्य तौर पर अनुज्ञात नहीं होगा ।

(v) घटना का वर्णन करने में (या तो दो साक्षियों के साक्ष्य के बीच या उसी साक्षी के दो कथनों के बीच) आए मात्र फेरफार के आधार पर अति गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायिक संवीक्षा के लिए एक अयथार्थवादी दृष्टिकोण है ।

(vi) कुल मिलाकर किसी साक्षी के पास एक फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति होने और घटना के ब्यौरों को स्मरण करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । यह मानसिक पटल पर कोई विडियो टेप चलाने जैसा नहीं है ।

(vii) सामान्यत: ऐसा इसलिए हो जाता है कि साक्षी का घटनाओं से एकाएक सामना हो जाता है । साक्षी द्वारा ऐसी घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था जिसमें अक्सर हैरानी का तत्व रहता है । इसलिए यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि मानसिक क्षमता इन ब्यौरों को आत्मसात कर सके ।

(viii) अवलोकन करने की शक्ति हर व्यक्ति की अलग-अलग होती है । एक व्यक्ति जिस बात की अवेक्षा कर सकता है, हो सकता है दूसरा न कर सके । कोई वस्तु या क्रिया एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ सकती है जबकि हो सकता है अन्य व्यक्ति उसकी अवेक्षा न कर सके ।

(ix) कुल मिलाकर लोग किसी बातचीत को ठीक-ठीक स्मरण नहीं कर सकते और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए और उनके द्वारा सुने

गए उन्हीं शब्दों को दोहरा नहीं सकते हैं । वे केवल बातचीत के मुख्य तात्पर्य को स्मरण कर सकते हैं । किसी साक्षी से एक मानवीय टेप रिकार्डर होने की प्रत्याशा करना अयथार्थवादी बात है ।

(x) घटना के हू-ब-हू समय के संबंध में, या किसी घटना की समयावधि के संबंध में लोग परिप्रश्न करने के समय पर तत्क्षण अनुमान लगाकर अपना आकलन करते हैं । और लोगों से अति सटीक या विश्वसनीय आकलन करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती । पुन:, यह व्यक्तियों के समयबोध पर निर्भर करता है जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न-भिन्न होता है ।

(xi) सामान्यत: किसी साक्षी से घटनाओं के क्रम को ठीक-ठीक स्मरण करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है, जो एकाएक या थोड़े समय के भीतर घट जाती हैं । जब बाद में परिप्रश्न किए जाते हैं तो किसी साक्षी का भ्रमित हो जाना, या उसमें घट-बढ़ कर देना लाजिमी है ।

(xii) कोई साक्षी, भले ही पूरी तरह से सच्चा हो, न्यायालय के वातावरण से और काउंसेल द्वारा की गई गहन प्रतिपरीक्षा से भयभीत हो जाना और घबराहट के कारण तथ्यों में घट-बढ़ कर देना, घटनाओं के क्रम के संबंध में भ्रमित हो जाना, या तत्क्षण कल्पना से ब्यौरों को भर देना लाजिमी है । कभी-कभी साक्षी का अवचेतन मन मूर्ख दिखने या विश्वास न किए जाने के भय के कारण ऐसा करता है भले ही साक्षी उसके द्वारा देखी गई घटना का ब्यौरा सत्यता और ईमानदारी से दे रहा हो ।

(xiii) कोई पूर्ववर्ती कथन भले ही प्रतीयमानत: साक्ष्य से विसंगत हो, तो भी आवश्यक नहीं है कि वह अवश्य ही विरोधाभासी होने की कोटि में आने के लिए पर्याप्त हो । जब तक पूर्ववर्ती कथन में पश्चात्वर्ती कथन को अविश्वसनीय ठहराने का सामर्थ्य न हो, भले ही पश्चात्वर्ती कथन में कुछ सीमा तक पूर्ववर्ती कथन की अपेक्षा फेरफार हो, उस साक्षी का खंडन करने के लिए मददगार नहीं होगा ।

[**भरवाड़ा भोगिनभाई हरिजीभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1], **लीला राम** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] और **तहसीलदार सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले देखें] ।

28. सरल शब्दों में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के महत्व का निर्धारण करने में दो प्रमुख बातें हैं, क्या मामले की परिस्थितियों में घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पर विश्वास करना संभव है या ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अभिसाक्ष्यित तथ्यों को देखना उनके लिए संभव था और द्वितीयतः, क्या उनके साक्ष्य में कुछ अंतर्निहित अनधिसंभाव्य या अविश्वसनीय बात है । इन दोनों बातों के संबंध में उन परिस्थितियों का महत्व, जो या तो स्वयं उन साक्षियों से प्रकट हुई हों या अन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध की गई हों, उनकी मौजूदगी को अनधिसंभाव्य या उनके कथनों की सत्यता को अविश्वसनीय बनाने के लिए मायने रखेगा जो न्यायालय उनके साक्ष्य से संबद्ध करेगा । यद्यपि ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त का अभिवाक् एकमात्र रूप से इनकारी का है, तो भी अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की परीक्षा स्वयं उनके गुणागुण के आधार पर की जानी चाहिए और, जहां अभियुक्त एक निश्चित अभिवाक् करता है या एक ऐसा सकारात्मक पक्षकथन प्रस्तुत करता है जो अभियोजन के पक्षकथन से असंगत है, ऐसे अभिवाक् या पक्षकथन की प्रकृति और इसके संबंध में अधिसंभाव्यताओं को भी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के महत्व का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना होगा ।

29. दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में कुछ भी ऐसा गोचर और सुस्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर हम यह दृष्टिकोण अपना सकें कि वे सच्चे और विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । लोप के रूप में यहां-वहां कुछ विरोधाभास प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

---

[1] [1983] 4 उम. नि. प. 43 = 1983 क्रिमिनल ला जर्नल 1096 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 753.

[2] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3717.

[3] ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012.

30. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **अनिल सिंह**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें पैरा 15 में यह मत व्यक्त किया गया है :–

> "15. हमारा यह भी अनुभव है कि साक्षीगण सदैव अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में इस भय के कारण नमक-मिर्च मिला देते हैं कि उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा । किंतु यदि मुख्य भाग सत्य है तो यह बात मामले को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आधार नहीं है । यदि मुख्य मामले में सच्चाई का अंश है तो पक्षकथन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य में से सच्चाई का पता लगाए, जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि विसंगतियां या मामला स्पष्ट रूप से इतना झूठा न हो जिससे साक्षियों से पूरी तरह विश्वास उठ जाए । यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई न्यायाधीश दांडिक विचारण में मात्र यह सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन नहीं होता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न किया जाए । न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने के लिए भी पीठासीन होता है कि अपराधी व्यक्ति बच न निकले । इनमें से एक बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अन्य । दोनों ही लोक कर्तव्य हैं जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है ।"

31. अभिलेख पर के चिकित्सा साक्ष्य से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत की संपुष्टि होती है । अभि. सा. 6 डा. शिवाजी विष्णु काचरे (प्रदर्श-25) ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृत्यु सिर पर पहुंची क्षति के कारण हुई है । इस विशेषज्ञ साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया था कि सभी क्षतियां मर्दित विदीर्ण घाव की प्रकृति की थीं और हथौड़े जैसे आयुध से कारित की गई हो सकती हैं ।

32. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श-10) से यह उपदर्शित होता है कि हथौड़े पर मृतक के रक्त समूह अर्थात् 'ए' समूह के मिलान वाले मानवीय रक्त के धब्बे थे ।

---

[1] [1989] 1 उम. नि. प. 977 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1998.

33. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि दोनों निचले न्यायालयों ने दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् क्रमश: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 8 पर ठीक ही विश्वास किया था । हमें उनके साक्ष्य पर निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता है ।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए पता लगे तथ्य का पंचनामा :

34. यह दृष्टिकोण अपनाए जाने के पश्चात् कि हमारे लिए ऊपर निर्दिष्ट दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है, हम मामले को यहीं रोक और बंद कर सकते थे । तथापि, जहां तक अधिनियम की धारा 27 पर विधि का संबंध है, जैसी कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा चर्चा की गई है, हमने कुछ अति महत्वपूर्ण बात देखी है । दूसरे शब्दों में, जहां तक अधिनियम की धारा 27 के अधीन आक्रामक आयुध के पता लगने के विषय में विधि की स्थिति का संबंध है, हमने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्काधारों में, जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, एक गंभीर खामी पाई है । यदि हम इसकी अनदेखी या उपेक्षा कर देते हैं तो अधिसंभाव्यत: विचारण न्यायालय ऐसी गलती करते रह सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हम विधि की सही स्थिति और अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अनुसार पता लगे साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे करना है, को स्पष्ट करना चाहेंगे ।

35. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 4 अम्सु हुसैन सय्यद (प्रदर्श-21) की पता लगे तथ्य के पंचनामा (प्रदर्श-23) को साबित करने के लिए पंच साक्षियों में से एक साक्षी की परीक्षा की थी ।

36. हमें पहले इस संबंध में अभि. सा. 4 की मुख्य परीक्षा को देखना होगा । अभि. सा. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित कथन किया था :–

> "पुलिस अधिकारियों ने मुझे कहा था कि मुझे पंच साक्षी के

रूप में कार्य करना है । मेरी मौजूदगी में उस व्यक्ति ने, जो पुलिस अभिरक्षा में है, यह बताया था कि उसने पार्ले में जूते की दुकान के समीप एक आयुध को छिपाया है । तद्नुसार, मेरी मौजूदगी में पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया । पुलिस ने अभियुक्त के ज्ञापन-सह-कथन पर मेरे हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए थे । अब मुझे दिखाए गए ज्ञापन-सह-कथन पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इसकी अंतर्वस्तुएं सत्य और सही हैं । उक्त ज्ञापन प्रदर्श-22 पर प्रदर्शित है । उसके पश्चात्, मैं स्वयं, एक अन्य व्यक्ति, दो से तीन पुलिस अधिकारी और अभियुक्त विले पार्ले पश्चिम के रेलवे स्टेशन के बाहर विले पार्ले पश्चिम गए । वहां जूते की दुकान के निकट एक लकड़ी का बैंच था । अभियुक्त ने हमारी मौजूदगी में लकड़ी के बैंच से एक लोहे का हथौड़ा निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया । पुलिस ने मेरी मौजूदगी में उक्त हथौड़े का पंचनामा अभिलिखित किया और उसे कब्जे में लिया । अब मुझे दिखाया गया पंचनामा वही है । इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इसकी अंतर्वस्तुएं सत्य और सही हैं । यह प्रदर्श-23 पर है ।"

37. हम प्रतिरक्षा पक्ष की प्रेरणा पर की गई अभि. सा. 4 की प्रतिपरीक्षा को निर्दिष्ट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि यह सुसंगत नहीं है ।

38. अब हम अभि. सा. 10, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करेंगे । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात के बाबत ज्ञात तथ्य के विषय में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"तारीख 16 दिसंबर, 2006 को अभियुक्त ने पंच साक्षियों की मौजूदगी में यह प्रकटीकरण कथन किया था कि वह उस स्थान को बताने के लिए तैयार और इच्छुक है, जहां उसने विले पार्ले क्षेत्र में हथौड़े को छिपाया है । तद्नुसार, मैंने पंच साक्षियों की मौजूदगी में अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन का ज्ञापन पंचनामा बनाया । अब प्रदर्श-22 पर मुझे दिखाया गया ज्ञापन पंचनामा वही है । इस पर मेरे और पंच साक्षियों के हस्ताक्षर हैं । इसकी अंतर्वस्तुएं सत्य और सही हैं । उसके पश्चात्, अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार

पर मैं स्वयं, पंच साक्षी और अभियुक्त विले पार्ले में वल्लबभाई पटेल रोड पर जयभवानी फुटवियर दुकान पर गए । उसके पश्चात्, अभियुक्त रेलवे चारदीवारी और लकड़ी के बैंच के बीच खुले स्थान पर गया । उसने उक्त खुले स्थान से हथौड़ा उठाया और हमें सौंपा । तद्नुसार, मैंने बरामदगी पंचनामा तैयार करके उक्त हथौड़े को अभिगृहीत किया । हथौड़े का एक लकड़ी का हत्था और लोहे का केस था । मैंने उक्त हथौड़े पर रक्त रंजित बाल चिपके देखे थे । अब मुझे दिखाए गए प्रदर्श-23 पर बरामदगी पंचनामे पर मेरे हस्ताक्षर और पंच साक्षियों के हस्ताक्षर हैं । इसकी अंतर्वस्तुएं सत्य और सही हैं ।"

39. पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक, जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन किया था, ने पूर्वोक्त दोनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 4 और अभि. सा. 10 के इस तथ्य के बारे में सारभूत साक्ष्य को अभिलेख पर लाने का कष्ट नहीं किया कि अभियुक्त ने यह कथन किया था कि उसने हथौड़े को छिपाया हुआ है और वह उस जगह को दिखाने के लिए तैयार है, यद्यपि पंचनामा (प्रदर्श-22) में यह अभिलिखित किया गया था कि अभियुक्त ने ऐसा कथन किया था । यह प्रतीत होता है कि विद्वान् लोक अभियोजक ने यह महसूस नहीं किया कि इस बाबत अभिलेख पर सारभूत साक्ष्य होना चाहिए और पंचनामे को केवल पंच के साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है न कि सारभूत साक्ष्य के रूप में । यह प्रतीत होता है कि पंचनामे (क्रमश: प्रदर्श-22 और 23) पंच (अभि. सा. 4) को दिखाए गए थे और उसने उन पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की थी, इसलिए इसे क्रमश: प्रदर्श-22 और 23 पर प्रदर्शित किया गया था । अभि. सा. 4 की मुख्य परीक्षा से यह दर्शित नहीं होता है कि पंचनामे को प्रदर्शित करने से पूर्व इसे उसको पढ़कर सुनाया गया था । इस न्यायालय ने बारंबार पंचनामा को पढ़कर सुनाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसे संपुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । इसके बावजूद, यह खेदजनक है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह देखने का कष्ट नहीं किया कि पंचनामे को इसे प्रदर्शित करने से पूर्व पंच को

पढ़कर सुनाया जाए । पंचनामा को, जिसे केवल पंच की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, पंच को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और केवल उसके पश्चात् इसे प्रदर्शित किया जा सकता है । यदि पंच ने किसी बात का उल्लेख करने में लोप किया है, जो पंचनामे में पाई गई है तब पंचनामे को पढ़कर सुनाने के पश्चात् पंच से पूछा जाना चाहिए कि क्या पंचनामे का वह भाग सही है या नहीं और जो भी उत्तर वह देता है, उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए । यदि वह सकारात्मक उत्तर देता है, तब पंचनामे के केवल उस भाग को पंच के सारभूत साक्ष्य की संपुष्टि के लिए साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है । यदि वह नकारात्मक उत्तर देता है तब पंचनामे के उस भाग को अभिलेख पर सारभूत साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि लोक अभियोजक, जो विचारण का संचालन करता है, द्वारा यह सावधानी बरती जाए कि विचारण में पंच की परीक्षा करते समय ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाए । यह भी आवश्यक है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश भी यह देखें कि पंचनामा पंच को पढ़कर सुनाया जाए और उसके पश्चात् पंचनामे को ऊपर यथा उपदर्शित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् प्रदर्शित किया जाए ।

40. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम **मुरली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं और अवलंब ले सकते हैं । हमने सुसंगत मताभिव्यक्तियां ली हैं :–

> "34. पंचनामा की अंतर्वस्तुएं सारभूत साक्ष्य नहीं हैं । इस मुद्दे पर विधि स्थिर है । सारभूत साक्ष्य वह है जो पंचों या संबंधित व्यक्ति द्वारा कठघरे में कथन किया गया है ।"

41. एक अन्य गंभीर खामी जो निकल कर आई है, वह उस व्यक्ति द्वारा आयुध को छिपाने के स्थान के विषय में है, जिससे कथित रूप से आयुध का पता लगा था ।

---

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 417 = (2010) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 12.

42. अधिनियम की धारा 27 के लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :

(1) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य का पता चलना ;

(2) ऐसे पता चले तथ्य का अभिसाक्ष्य दिया जाना ;

(3) अभियुक्त उस समय अवश्य अभिरक्षा में होना चाहिए जब उसने जानकारी दी हो ; और

(4) ऐसी जानकारी में से उतनी ग्राह्य है, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है । [मोहम्मद इनायतुल्ला **बनाम** महाराष्ट्र राज्य : ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 483] ।

लागू होने के लिए दो शर्तें –

(1) जानकारी अवश्य ऐसी होनी चाहिए जिससे तथ्य का पता चला हो ; और

(2) जानकारी अवश्य पता चले तथ्य से स्पष्टतया संबंधित होनी चाहिए [कृष्णप्पा **बनाम** कर्नाटक राज्य : ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 446] ।

43. हम **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **देवमन उपाध्याय**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं और अवलंब ले सकते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पैरा 71 में अधिनियम की धारा 27 के विषय में विधि की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है :–

> "71. इस प्रकार, विधि में अभियुक्त व्यक्तियों का दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है : (1) वे जिन्हें किसी आरोप पर निरुद्ध करके घर लाने में खतरा है ; और (2) जो अभी स्वतंत्र हैं । पूर्ववर्ती प्रवर्ग में भी वे व्यक्ति आते हैं जो शब्दों या कार्रवाई द्वारा अभिरक्षा में अभ्यर्पण करते हैं । इन दोनों श्रेणियों को दी गई

[1] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1125.

संरक्षा भिन्न-भिन्न है । प्रथम प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के मामले में विधि में यह उपबंध किया गया है कि उनके कथन ग्राह्य नहीं हैं, और दूसरे प्रवर्ग के मामले में, कथन का केवल वह भाग ग्राह्य है जो अन्वेषक प्राधिकारी को कथन करने से पूर्व अज्ञात सुसंगत तथ्य के पता चलने से गारंटीकृत है । वह कथन संस्वीकृति की प्रकृति का भी हो सकता है, क्योंकि अभिरक्षा में व्यक्ति जब कहता है कि : 'मैंने उसे अमुक खान-कूप से नीचे धक्का दिया था', और विपदग्रस्त का शव इसके परिणामस्वरूप पाया जाता है और यह साबित किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु खान-कूप से गिरने से पहुंची क्षतियों के कारण हुई थी ।"

44. अधिनियम की धारा 27 की परिधि और व्याप्ति को **फुलुकुरी कोट्टया** बनाम **एम्परर**[1] वाले मामले में, जो शास्त्रीय निर्णय बन गया है, निम्नलिखित शब्दों में अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है :–

"इस धारा के अंतर्गत प्रयुक्त 'पता लगा तथ्य' को पेश की गई वस्तु के समकक्ष मानना गलत है ; पता लगे तथ्य में वह स्थान भी आ जाता है, जहां से वस्तु पेश की जाए और अभियुक्त की इसके बारे में जानकारी, और दी गई जानकारी का संबंध अवश्य ही स्पष्टतया इस तथ्य से होना चाहिए । पेश की गई वस्तु का विगत में इसके द्वारा प्रयोग किया गया या इसके विगत के इतिहास का उस परिवेश, जिसमें यह खोजकर निकाली गई, में इसके पता लगने से कोई संबंध नहीं होता है । कोई व्यक्ति जो अभिरक्षा में है, उसके द्वारा दी गई इस जानकारी से कि 'मैं अपने मकान की छत में छिपाकर रखे गए चाकू को पेश करूंगा' चाकू का पता नहीं लगता है ; चाकू का पता तो अनेक वर्षों पहले लग गया था । इससे इस तथ्य का पता लगता है कि चाकू जानकारी देने वाले के मकान में उसकी जानकारी में छिपाकर रखा गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि चाकू का प्रयोग अपराध के किए जाने में किया गया था, तो पता लगा तथ्य अति सुसंगत है ।

---

[1] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67.

किंतु यदि इस कथन में इन शब्दों को जोड़ दिया जाए 'जिससे मैंने क को चाकू मारा' तो ये शब्द ग्राह्य नहीं हैं क्योंकि इनका जानकारी देने वाले के मकान में चाकू का पता लगने से कोई संबंध नहीं है ।"

45. क्रमश: अभि. सा. 4 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने पंच साक्षियों के समक्ष इस आशय का कथन किया था कि "मैं पार्ले में जूते की दुकान के समीप छिपाए गए आयुध को दिखा दूंगा" । इस कथन से यह सुझाव नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने आयुध के छिपाने में अपनी अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई संकेत दिया था । मात्र आयुध का पता लगने का यह निर्वचन नहीं किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति से आयुध का पता लगता है, उस व्यक्ति द्वारा आयुध के छिपाने के स्थान के बारे में निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होगा । उसे उस स्थान पर आयुध के विद्यमान होने की जानकारी किसी अन्य स्रोत से भी प्राप्त हो सकती है । हो सकता है, उसने किसी व्यक्ति को आयुध छिपाते हुए देखा हो और इसलिए यह उपधारणा नहीं की जा सकती है या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति से आयुध का पता लगा था, यह वही व्यक्ति था, जिसने उसे छिपाया था, इससे कम से कम इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती है कि उसने इसे प्रयुक्त किया था । अत: यदि अपीलार्थी से आयुध का पता लगने की बात को स्वीकार किया जाता है, तो आयुध का पता लगने के विषय में सारभूत साक्ष्य से जो प्रकट होता है वह यह है कि अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण किया था कि वह अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध को दिखा देगा ।

46. **दूध नाथ पांडे** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने ठीक इसी प्रकार की तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया था और पैरा 15 में मत व्यक्त किया था कि यदि मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर है, तो इस संबंध में विभिन्न विचार हैं क्योंकि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अपवर्जित करने के पश्चात् शेष

[1] [1982] 1 उम. नि. प. 253 = ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 911.

साक्ष्य उस स्तर का नहीं है, जो पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करने वाले मामलों के लिए अपेक्षित होता है (जैसा कि इस मामले में है) । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी के बताने पर पिस्तौल का पता लगने का साक्ष्य स्वयंमेव इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि वह वही है जिसने इस आयुध को बताया था, उसी ने अपराध में उसका उपयोग किया था । यह कथन आयुध को छिपाने के स्थान की शनाख्त करने के लिए बरामदगी के साथ जोड़ने हेतु अस्पष्ट पाया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयुध को बताने से अधिक से अधिक अपीलार्थी की इस संबंध में जानकारी को साबित कर सकता है कि आयुध कहां रखा गया था ।

47. इस प्रकार, उन हू-ब-हू शब्दों के अभाव में जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं और पंचनामों की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना भी विचारण न्यायालय ने आयुध के पता लगने की परिस्थिति का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था ।

48. यहां तक कि बरामदगी पंचनामे के रूप में साक्ष्य को त्यक्त करते समय अपीलार्थी का आचरण अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत होगा । बरामदगी का साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में धारा 27 के अधीन प्रकटन कथन की ग्राह्यता से बिल्कुल अलग ग्राह्य होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने **ए. एन. वेंकटेश** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है :–

> "साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के फलस्वरूप अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से प्रभावित होता है या प्रभावित हुआ है । परिस्थिति संबंधी यह साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया था जहां व्यपहृत लड़के का शव पाया गया था और उनके बताए जाने पर शव को खोदकर निकाला गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में पूर्णरूपेण ग्राह्य होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कथन धारा 27

[1] (2005) 7 एस. सी. सी. 714.

की परिधि के अंतर्गत आने वाला कथन ऐसे आचरण के समसामयिक है या उसके पूर्व का है, जैसा कि प्रकाश चंद **बनाम** राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 3 एस. सी. 90] । यदि हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा किया गया प्रकटन कथन (प्रदर्श पी-14 और पी-15) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य नहीं है, फिर भी यह धारा 8 के अधीन सुसंगत है ।"

49. **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधु**[1] वाले मामले में दो उपबंधों अर्थात् अधिनियम की धारा 8 और 27 को इस विषय पर निर्णयज विधि के प्रतिनिर्देश करके विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

"आगे अग्रसर होने से पूर्व, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख कर सकते हैं । धारा 8, जहां तक यह हमारे प्रयोजनार्थ सुसंगत है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के आचरण को सुसंगत बनाती है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है । यह आचरण उसके पूर्व का या पश्चात् का हो सकता है । इस धारा के दो स्पष्टीकरण हैं, जिनमें 'आचरण' शब्द की सीमा स्पष्ट की गई है । वे इस प्रकार हैं –

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा में 'आचरण' शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

स्पष्टीकरण 2 – जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है ।

---

[1] (2005) 11 एस. सी. सी. 600.

आचरण, ग्राह्य होने के लिए, अवश्य ऐसा होना चाहिए कि इसका विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ घनिष्ठ संबंध हो । स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि मात्र कथनों से, जो कार्यों से भिन्न हैं, तब तक 'आचरण' का गठन नहीं होता है, जब तक कि वे कथन 'उन कथनों से भिन्न कार्यों से जुड़े न हों और उन्हें स्पष्ट न कर सकें' । कार्यों से जुड़े ऐसे कथनों को संबंधित तथ्य और कार्य के साक्ष्य माना जाता है । धारा 8 के इन दो दृष्टांतों का विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

(च) प्रश्न यह है कि क्या **क** ने **ख** को लूटा ।

ये तथ्य कि **ख** के लूटे जाने के पश्चात् **ग** ने **क** की उपस्थिति में कहा कि – '**ख** को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है' और यह कि उसके तुरंत पश्चात् **क** भाग गया, सुसंगत है ।

* * *

(झ) **क** किसी अपराध का अभियुक्त है ।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात् वह फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उससे उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया था, किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है ।

अभियुक्त का आचरण जो धारा 8 के अधीन ग्राह्य है और अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के विरुद्ध है, के मध्य **प्रकाश चंद** (उपरोक्त) वाले मामले में स्पष्ट किए गए विभेद की हम पहले ही अवेक्षा कर चुके हैं । परिस्थिति का यह साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया था जहां चुराई गई वस्तुएं या अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध छिपाए गए थे, पूर्णरूपेण, धारा 8 के अधीन 'आचरण' के

रूप में इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना ग्राह्य होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कथन ऐसे आचरण के समसामयिक है या उससे पूर्व का है, धारा 27 की परिधि के अंतर्गत आता है, जैसा कि प्रकाश चंद वाले मामले में उल्लेख किया गया है । **ओम प्रकाश** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि – इस धारा के अधीन जानकारी की ग्राह्यता के अतिरिक्त भी, अन्वेषक अधिकारी और पंचों का यह साक्ष्य कि अभियुक्त उन्हें अभि. सा. 11 के पास लेकर गया था (जहां से उसने आयुध खरीदा था) और उसे बताया था तथा स्वयं अभि. सा. 11 द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियुक्त के 'आचरण' के अधीन ग्राह्य होगा ।"

50. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त संदर्भ में हम सचेत करना भी चाहेंगे । यद्यपि किसी अभियुक्त का आचरण अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक सुसंगत तथ्य हो सकता है, फिर भी वह स्वयमेव उसे दोषसिद्ध करने या उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध में । किसी अन्य साक्ष्य की भांति अभियुक्त का आचरण भी एक परिस्थिति होती है जिस पर न्यायालय अभिलेख पर के अन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, के साथ-साथ विचार कर सकता है । हम जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि अभियुक्त का मात्र आचरण, यद्यपि अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है ।

51. अंततोगत्वा विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है ।

52. तद्नुसार, यह अपील असफल होती है और तदद्वारा खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 139

शिव कुमार शर्मा

बनाम

राजस्थान राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1050]

28 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 13(i)(घ)(ii) और धारा 15 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 477क] – लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार और लेखा का मिथ्याकरण – अपीलार्थी-लोक सेवक द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कमरों आदि के निर्माण में अभिकथित रूप से अनाचार किया जाना – शिकायत किए जाने पर उसके द्वारा मापन पुस्तिकाओं में घट-बढ़ किया जाना – दोषसिद्धि – जहां अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे दर्शित होता हो कि अभियुक्त-लोक सेवक द्वारा निर्माण कार्य के लिए धन की मंजूरी देने या उसका संदाय करने में उसकी कोई भूमिका थी या उसने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया था और अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक आशय तक न पाया गया हो तथा यह सिद्ध करने के लिए भी अभिलेख पर कोई सामग्री न हो कि अभियुक्त द्वारा लेखा में मिथ्या प्रविष्टि या लोप अथवा ऐसी प्रविष्टियों में परिवर्तन जानबूझकर कपट करने के आशय से किया गया था, वहां अभियुक्त की उक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में कमरे आदि के निर्माण कार्य से संबंधित मापन पुस्तिकाओं में फेरबदल करने और सदोष अभिलाभ अभिप्राप्त करने की

शिकायत की गई थी । शिकायत किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उक्त मापन पुस्तिकाओं में दर्ज रकम को कम कर दिया गया । मामले की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच पूरी होने के पश्चात् जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया और अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण की समाप्ति पर अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(i)(घ)(ii) और भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी गई । अपीलार्थी द्वारा निचले न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि किसी लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है । वर्तमान मामले में, ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं आई है । इसके विपरीत, अभि. सा. 14-जय भगवान, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि निर्माण सामग्री का संदाय पंचायत समिति द्वारा सीधे ग्राम सेवक को किया गया था । इससे यह भी प्रकट होता है कि पंचायत समिति द्वारा सामग्री का बिल भी सीधे ग्राम सेवक को भेजा गया था । अपीलार्थी द्वारा इसका कोई सत्यापन नहीं किया गया था । यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को निर्माण सामग्री के संबंध में ग्राम सेवक को संदाय की गई रकम के बारे में जानकारी नहीं थी । यह भी स्वीकार किया गया है कि सुसंगत समय पर वर्तमान अपीलार्थी के पर्यवेक्षणाधीन लगभग 100 से 125 पंचायत कार्य चल रहे थे । आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर

कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि शिकायत के पश्चात् प्रदर्श-वस्तु-2 में प्रदर्श पी-22 से प्रदर्श-27 में सुधार अपीलार्थी द्वारा किया गया था । अपीलार्थी की न तो धन की मंजूरी और न ही संदाय करने में कोई भूमिका थी, इन महत्वपूर्ण पहलुओं की दोनों न्यायालयों द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है । अन्वेषण में अन्वेषक अधिकारी ने कोई आपराधिक आशय नहीं पाया था, इस साक्ष्य की भी अनदेखी कर दी गई है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दोषसिद्धि पूर्णत: असंधार्य है । (पैरा 11 और 13)

भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मिथ्या प्रविष्टि या लोप या ऐसी प्रविष्टियों में परिवर्तन जान-बूझकर कपट-वंचित करने के आशय से किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके विपरीत, अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर, जिसे जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन संधार्य नहीं हैं । अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अधिक से अधिक, अपीलार्थी के कार्य को अनियमित कहा जा सकता है । तथापि, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि ऐसी अनियमितताएं कपट-वंचित करने के आशय से जान-बूझकर की गई थीं । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय यह पाता है कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह भी विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है । (पैरा 14, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 535 : **अशोकसिंह जयेन्द्र सिंह** बनाम **गुजरात राज्य** ;	24

[2009] (2009) 11 एस. सी. सी. 141 :

महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 1050.

2013 की एस. बी. दांडिक प्रकीर्ण अपील सं. 800 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर द्वारा तारीख 6 जनवरी, 2017 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रितेश अग्रवाल और सुश्री अर्पणा कुमारी

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री (डा.) मनीष सिंघवी, अपर महाधिवक्ता, अनीश राय और मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – इजाजत दी गई ।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 6 जनवरी, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा फाइल की गई उस अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा विद्वान् विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सं. 1, जयपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विशेष न्यायाधीश" कहा गया है) द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2013 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई थी जिसमें अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) और भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे दोनों अपराधों के लिए एक-एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और पांच-पांच हजार रुपए का संदाय करने का दंडादेश दिया गया था ।

3. विशेष न्यायाधीश ने तारीख 3 जून, 2004 के आदेश द्वारा

अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किए :–

"प्रथमत:, वर्ष 1994 में तारीख 25 अप्रैल, 1994 को और लगभग उसी समय लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए आपने सह-अभियुक्त भगवान सहाय के साथ षड्यंत्र रचा और उस आपराधिक षड्यंत्र को अग्रसर करने के लिए आपने प्राथमिक विद्यालय, मनकोट में कमरों और बरामदे के निर्माण के संबंध में 91,500/- रुपए की अनुमोदित रकम में से 15,000/- रुपए की अग्रिम राशि प्राप्त की और भगवान सहाय ने तीन मस्टर रोल में 14,508/- रुपए के कार्य और 18,994/- रुपए की निर्माण सामग्री के वाउचर प्रस्तुत किए और तदद्वारा 33,502/- रुपए व्यय होना बताया, जिसे मापन पुस्तिका सं. 51 के पृष्ठ सं. 71 और 72 पर स्वीकार किया गया था और इसे शिव कुमार शर्मा द्वारा 34,580.13 रुपए के रूप में उल्लिखित किया गया था, किंतु बाद में शिकायत करने पर उक्त 34,580/- रुपए की रकम को संशोधित करके 25,911/- रुपए कर दिया गया ।

इसी प्रकार, पूर्वोक्त आपराधिक षड्यंत्र को अग्रसर करने के लिए आपने प्राथमिक विद्यालय, सुरजनपुर में कमरों और बरामदे के निर्माण के लिए 80,000/- रुपए की अनुमोदित रकम में से 28,000/- रुपए का अग्रिम प्राप्त किया और श्री भगवान सहाय ने निर्माण कार्य का खर्च 61,843.40 रुपए दर्शाया था, जिसमें सात मस्टर रोल का खर्च 36,552/- और निर्माण के वाउचर के लिए 25,291.40 रुपए की रकम सम्मिलित थी । उक्त रकम श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा मापन पुस्तिका सं. 51 के पृष्ठ सं. 71-72 पर 68,776/- रुपए के रूप में प्रविष्ट की गई थी किंतु शिकायत करने पर 68,776/- रुपए की उक्त रकम को काट कर कम करके 45,582/- रुपए कर दिया गया था । जांच में यह पाया गया कि सुरजनपुर में केवल 28,264.42 रुपए का कार्य किया गया था और मनकोट में 25,911/- रुपए का कार्य किया गया था और इस प्रकार, आपने श्रम और निर्माण का अतिरिक्त व्यय दिखाया, जो

मनकोट में 7,698/- रुपए और सुरजनपुर में 16,644/- रुपए अधिक था, जो कुल मिलाकर 22,353/- रुपए अधिक था, जिसके लिए अधिक भुगतान किया गया और राज्य सरकार को सदोष हानि कारित की गई और आपके द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त किया गया । आपने अभिलेखों में फेरबदल करके मिथ्या अभिलेख भी तैयार किया । लोक सेवक के रूप में आपका कार्य एक दंडनीय अपराध है । इस प्रकार, आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 417, 477क और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध किया है, जिसके लिए मैंने संज्ञान लिया है ।"

4. यह प्रतीत होता है कि प्राथमिक विद्यालय, मनकोट और सुरजनपुर में कमरों और बरामदों के निर्माण में अनाचार करने के संबंध में प्राधिकारियों को शिकायत की गई थी । अभियोजन का यह पक्षकथन था कि मनकोट के संबंध में शिकायत किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा मापन पुस्तिका में 34,580/- रुपए की रकम को कम करके 25,911/- रुपए कर दिया गया था । जहां तक सुरजनपुर में निर्माण कार्य का संबंध है, शिकायत किए जाने के पश्चात् 68,776/- रुपए की रकम को कम करके 45,582/- रुपए कर दिया गया था ।

5. शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् श्री महेश प्रसाद माथुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच पूरी होने के पश्चात् उन्होंने एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की । जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया । आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विशेष न्यायाधीश ने विचारण की समाप्ति पर अपीलार्थी को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध किया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने विद्वान् विशेष न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की । इसलिए वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री रितेश अग्रवाल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय और विद्वान्

विचारण न्यायालय दोनों ने ही अभि. सा. 8 श्री महेश प्रसाद माथुर और अभि. सा. 14 जय भगवान, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य को उचित महत्व न देकर गंभीर गलती की है ।

7. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने या तो कोई मांग की थी या एक लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी प्राप्त किया था । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, इसको दर्शित करने के लिए किसी सामग्री के अभाव में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दोषसिद्धि मान्य नहीं है । उन्होंने यह भी दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित है कि वह यह सिद्ध करे कि अभिकथित कार्य कपट-वंचित करने के आशय से जानबूझकर किया गया था । उनकी दलील यह है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है ।

8. अत: विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोषसिद्धि के समवर्ती आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं और अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

9. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता डा. मनीष सिंघवी ने अपील का पुरजोर विरोध किया । उन्होंने यह दलील दी कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बहुत सीमित है । उन्होंने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने पर यह पाया था कि अपीलार्थी ने बेइमानी के आशय से अभिलेख में घट-बढ़ की थी । उन्होंने दलील दी कि उच्च प्राधिकारियों को शिकायत किए जाने के पश्चात् ही अपीलार्थी ने स्वयं को बचाने के लिए अभिलेख में घट-बढ़ की थी और इस प्रकार यह मामला स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 477क

के अंतर्गत आता है ।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बहुत सीमित है । जब तक निष्कर्ष अनुचित या असंभव नहीं पाए जाते, न्यायालय तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । तथापि, यह सुस्थिर है कि जब विचारण न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष तात्विक साक्ष्य की अनदेखी करके अभिलिखित किए जाते हैं या साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत है, तो इसमें इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना होगा ।

11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि किसी लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है । वर्तमान मामले में, ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं आई है । इसके विपरीत, अभि. सा. 14-जय भगवान, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि निर्माण सामग्री का संदाय पंचायत समिति द्वारा सीधे ग्राम सेवक को किया गया था । इससे यह भी प्रकट होता है कि पंचायत समिति द्वारा सामग्री का बिल भी सीधे ग्राम सेवक को भेजा गया था । अपीलार्थी द्वारा इसका कोई सत्यापन नहीं किया गया था । यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को निर्माण सामग्री के संबंध में ग्राम सेवक को संदाय की गई रकम के बारे में जानकारी नहीं थी । यह भी स्वीकार किया गया है कि सुसंगत समय पर वर्तमान अपीलार्थी के पर्यवेक्षणाधीन लगभग 100 से 125 पंचायत कार्य चल रहे थे । आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि शिकायत के पश्चात् प्रदर्श वस्तु-2 में प्रदर्श पी-22 से प्रदर्श पी-27 में सुधार अपीलार्थी द्वारा किया गया था । अभि. सा. 14 जय भगवान, अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य के निम्नलिखित भाग को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

> "मैंने मुख्यालय को भेजी गई अपनी अन्वेषण रिपोर्ट में शिव

कुमार के विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप नहीं पाए थे और मैंने केवल विभागीय जांच के लिए सिफारिश की थी । तथापि, उच्च अधिकारियों के विनिश्चय पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था ।"

12. अभि. सा. 14 ने यह भी स्वीकार किया है कि पंचायत समिति द्वारा संदत्त की गई रकम अपीलार्थी द्वारा ठीक की गई रकम के अनुसार थी । आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त भगवान सहाय और अपीलार्थी ने मिलकर उसमें सुधार किए थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि शिव कुमार शर्मा, जो वर्तमान अपीलार्थी है, ने जिला मजिस्ट्रेट को भगवान सहाय, ग्राम सेवक द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता के बारे में शिकायत की थी ।

13. अपीलार्थी की न तो धन की मंजूरी और न ही संदाय करने में कोई भूमिका थी, इन महत्वपूर्ण पहलुओं की दोनों न्यायालयों द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है । अन्वेषण में अन्वेषक अधिकारी ने कोई आपराधिक आशय नहीं पाया था, इस साक्ष्य की भी अनदेखी कर दी गई है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(i)(घ)(ii) के अधीन दोषसिद्धि पूर्णत: असंधार्य है ।

14. अब भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दोषसिद्धि पर आते हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मिथ्या प्रविष्टि या लोप या ऐसी प्रविष्टियों में परिवर्तन जानबूझकर कपट-वंचित करने के आशय से किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके विपरीत, अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर, जिसे जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन संधार्य नहीं । अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर के अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है :–

"जब मैं जांच करने के लिए मौके पर गया, तो मनकोट और

सुरजनपुर की मापन पुस्तिकाएं मुझे दी गईं । उनके आधार पर तारीख 4 अक्तूबर और 19 अक्तूबर, 1994 को मैंने घटनास्थल का दौरा करने के बाद जांच की थी । सीईओ के निर्देश पर मैंने तारीख 17 फरवरी, 1995 को रकम में आ रहे अंतर का विवरण तैयार किया था । मापन पुस्तिका सं. 51 (वस्तु सं. 2) के पृष्ठ सं. 71, 72 पर माप कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा दर्ज किया गया है जो मेरी परीक्षा करने के उपरांत सही पाया गया था । 25,991/- रुपए के इस कार्य के लिए श्रम प्रभार के रूप में 13,422/- रुपए का संदाय किया गया था, जिसकी प्रविष्टि मापन पुस्तिका में एक्स से वाई तक है । मुझे गांव मनकोट के कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई । यदि गलती से मापन पुस्तिका के योग में कोई गलती हो जाती है, तो मापन पुस्तिका के आधार पर बिल तैयार करते समय इस गलती को लेखा शाखा द्वारा ठीक किया जा सकता है । मैं अकाल राहत कार्य समाप्त होने के तीन माह बाद वहां गया था । उस स्थान (सुरजनपुर) पर निर्माण कार्य की सामग्री के पर्यवेक्षण के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया था । मौके पर कोई चौकीदार नहीं था, जिसकी अनुपस्थिति में यदि कोई भी वहां पड़ी हुई सामग्री ले जाएगा, मैं नहीं कह सकता । जिन पैटीज को मापन पुस्तिका में दिखाया गया है, वे मौके पर नहीं पाए गए, इसलिए मैंने रिपोर्ट में इसके बारे में उल्लेख किया था । निर्माण कार्य करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम सेवक का होता है । यदि 6,914/- रुपए के पैटीज की लागत को 40,267/- रुपए के मेरे मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाए, तो मूल्यांकन रकम 45,181/- रुपए हो जाएगी । पैटीज की 6,914/- रुपए लागत बीएसआर के अनुसार लिखी गई है । जब मुझे मापन पुस्तिका 51 (वस्तु-2) प्राप्त हुई थी, उस समय कनिष्ठ अभियंता द्वारा योग में गलती के कारण 59,273/- रुपए को काटकर 47,183 /- रुपए लिख दिए गए थे, जिस पर कनिष्ठ अभियंता के हस्ताक्षर हैं । निर्माण सामग्री का संदाय ग्राम पंचायत के सरपंच वह एजेंसी जो कार्य का संचालन कराती है, को किया गया था, जबकि मस्टर रोल का संदाय तहसील

के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । निर्माण सामग्री का संदाय पंचायत द्वारा किया गया था ।"

15. उपरोक्त अभिसाक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई माप जांच अधिकारी द्वारा सही पाई गई थी । उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे मनकोट गांव के कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई थी । उन्होंने आगे स्वीकार किया कि यदि बिल तैयार करने के समय मापन पुस्तिका के योग में कोई गलती की गई थी, तो लेखा शाखा द्वारा गलती को ठीक किया जा सकता था ।

16. अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर ने यह भी स्वीकार किया कि जहां तक सुरजनपुर का संबंध है, वहां किसी भी व्यक्ति को चौकीदार या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था । उन्होंने स्वीकार किया कि किसी चौकीदार के अभाव में, यह संभव है कि कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री को कोई भी ले जा सकता है । उन्होंने स्वीकार किया कि यहां तक कि पैटीज भी मौके पर नहीं पाए गए थे और उन्होंने रिपोर्ट में इस बारे में उल्लेख किया है । उन्होंने आगे स्वीकार किया कि यदि 40,677/- रुपए के मूल्यांकन में पैटीज की 6,914/- रुपए की लागत को सम्मिलित किया जाता है, तो मूल्यांकन 47,181/- रुपए आता है ।

17. अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर ने यह भी स्वीकार किया कि निर्माण सामग्री के लिए भुगतान एजेंसी द्वारा सीधे ग्राम पंचायत के सरपंच को किया गया था, जबकि मस्टर रोल का भुगतान तहसील के कर्मचारियों द्वारा किया गया था । निर्माण सामग्री के लिए भुगतान पंचायत द्वारा किया गया था । इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि भुगतान का अनुमोदन करने या भुगतान करने में अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं थी ।

18. अभि. सा. 8 महेश प्रसाद माथुर के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अधिक से अधिक, अपीलार्थी के कार्य को अनियमित कहा जा सकता है । तथापि, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि ऐसी अनियमितताएं कपट-वंचित करने के

आशय से जान-बूझकर की गई थीं ।

19. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, हम यह पाते हैं कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह भी विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है ।

20. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता डा. मनीष सिंघवी ने यह दलील दी कि चूंकि तथ्य संबंधी निष्कर्ष समवर्ती हैं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ।

21. विधि का यह स्थिर सिद्धांत है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उन्हें अनुचित होना दर्शित न किया जाए । आखिरकार, समवर्ती होने की बात अनुचितता का कोई प्रत्युत्तर नहीं है ।

22. **महेश दत्तात्रेय तीर्थकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने कतिपय सिद्धांत अधिकथित किए थे कि कब यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार होगा । अधिकथित सिद्धांतों में से एक इस प्रकार है :–

> "जहां अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को अनुचित या बिना किसी साक्ष्य या अप्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर होना दिखाया गया है या कथित निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली तात्विक अनियमितताएं हैं या जहां न्यायालय को लगता है कि न्याय नहीं हुआ है और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है ।"

23. पूर्वोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कुछ पूर्ववर्ती निर्णयों को निर्दिष्ट किया है । उनका उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार हैं :–

> "29. पुनः, हिमाचल प्रदेश प्रशासन **बनाम** ओम प्रकाश

---

[1] (2009) 11 एस. सी. सी. 141.

[(1972) 1 एस. सी. सी. 249 = 1972 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 88] वाले मामले में इस न्यायालय ने तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी शक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृष्ठ 256, पैरा 4) –

> 'अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत लेकर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों में, इस न्यायालय को तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की शक्ति असंदिग्ध रूप से प्राप्त है और दोषमुक्ति तथा दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई प्रभेद नहीं किया गया है, यद्यपि दोषमुक्ति के मामलों में वह आमतौर पर साक्ष्य के मूल्यांकन या तथ्य संबंधी निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उसे यह न लगे कि उच्च न्यायालय ने 'प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य किया है' ।'

30. अरुणाचलम **बनाम** पी. एस. आर. सदानन्दम [(1979) 2 एस. सी. सी. 297 = 1997 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 454] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों में अभिव्यक्त किए गए मतों से सहमति व्यक्त करते हुए यह मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृष्ठ 300, पैरा 4) –

> '4. ..... यह शक्ति इस अर्थ में परिपूर्ण है कि अनुच्छेद 136 में इस शक्ति को परिभाषित करने वाला कोई शब्द नहीं है । किंतु इस शक्ति की प्रकृति ने इस न्यायालय को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वयमेव ऐसी सीमा निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके भीतर इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है । अब इस न्यायालय की सुस्थापित परिपाटी है कि अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति का अवलंब केवल बहुत ही आपवादिक परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि जब सामान्य लोक महत्व का कोई विधि का प्रश्न उद्भूत होता है या कोई विनिश्चय न्यायालय की अंतश्चेतना

को झकझोर देता है । किंतु स्वयं द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के भीतर इस न्यायालय को तथ्य संबंधी निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने की, दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई विभेद न करते हुए, असंदिग्ध रूप से, शक्ति है, यदि उच्च न्यायालय ने उन निष्कर्षों पर पहुंचने में 'विकृत या अन्यथा अनुचित रूप से कार्य किया है' ।'

31. पुन:, उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** बाबुल नाथ [(1994) 6 एस. सी. सी. 29 = 1994 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1585] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृष्ठ 33, पैरा 5) –

'5. प्रारंभ में ही हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील में यह न्यायालय प्रसामान्यत: स्वयमेव साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और साक्षियों की विश्वसनीयता तथा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के निर्धारण के प्रश्न पर विचार नहीं करता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को तब तक अंतिम होने के रूप में स्वीकार किया जाता है जब तक कि वास्तव में, साक्ष्य का मूल्यांकन और निष्कर्ष विधि की प्रक्रिया संबंधी किसी गलती से दूषित न हो या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल न पाया गया हो, अभिलेख में त्रुटियां न हों और साक्ष्य की गलत व्याख्या न की गई हो, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित हैं और अभिलेख पर के साक्ष्य से असमर्थनीय हैं ।'

32. पट्टाक्कल कुंहिकोया **बनाम** ठुपियक्कल कोया [(2000) 2 एस. सी. सी. 185] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन कोई अपील उद्भूत होती है तो,

'(i) उच्चतम न्यायालय की यह परिपाटी नहीं है कि वह इस

बात की जांच करने के उद्देश्य से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे कि क्या उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष सही हैं या नहीं । केवल घोर न्याय की हानि या स्पष्ट अवैधता की स्थिति में ही अपवाद लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं ।'

33. मिथलेश कुमार **बनाम** प्रेम बिहारी खरे [(1989) 2 एस. सी. सी. 95] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को 'अनुचित या बिना किसी साक्ष्य या अप्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर होना दिखाया गया है या कथित निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली तात्विक अनियमितताएं हैं या जहां न्यायालय को लगता है कि न्याय नहीं हुआ है और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है, उच्चतम न्यायालय केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं कर सकता है कि प्रश्नगत निष्कर्ष तथ्य संबंधी निष्कर्ष हैं' ।"

24. हाल ही में, **अशोकसिंह जयेन्द्र सिंह** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि जब उच्च न्यायालय मौखिक साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में असफल रहा है, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार होगा । उक्त मामले में भी, इस न्यायालय ने यह पाते हुए कि दोषसिद्धि महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करने के पश्चात् अभिलिखित की गई थी, दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया ।

25. वर्तमान मामले में, जैसी कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों, अभि. सा. 8 श्री महेश प्रसाद माथुर और अभि. सा. 14 जय भगवान के साक्ष्य में की सुसंगत और महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियों को ध्यान में रखने में असफल रहे हैं ।

---

[1] (2019) 6 एस. सी. सी. 535.

हमारे मत में, उक्त स्वीकरोक्तियां महत्वपूर्ण थीं । उक्त महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियों की अनदेखी करके इन्हें दोषसिद्धि के आदेश का आधार बनाने से, हमारे मत में, आक्षेपित निर्णय अनुचितता के दायरे में आएंगे ।

26. इस प्रकार, यह अपील मंजूर की जाती है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सं. 1, जयपुर द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई है (हैं), का निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 19)[1]

[2 अप्रैल, 1923]

शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि [2]*** **के समेकन और संशोधन के लिए अधिनियम**

[3]* * * * *

यह समीचीन है कि [2]*** शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन किया जाए ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

[4][**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना** – (1) यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों को भी जो भारत के बाहर हैं, लागू है ।]

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, –

(1) ऐसे स्थान के प्रति, जो सरकार का है, किसी निर्देश के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जो सरकार के किसी विभाग के अधिभोग में है, भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप में

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार 1941 के अधिनियम सं. 4 द्वारा बरार पर ; 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर ; 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा पाण्डिचेरी पर ; 1965 के विनियम सं. 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप पर किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों में" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा के पैरा 1 और 2 का लोप किया गया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा धारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

निहित हो या न हो ;

[1]* * * *

(2) संसूचित करने या प्राप्त करने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार संसूचित करना या प्राप्त करना है चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और चाहे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को ही अथवा उसके सार, आशय या वर्णन को संसूचित किया गया हो या प्राप्त किया गया हो ; किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अभिप्राप्त करने या प्रतिधृत रखने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की पूरी या उसके किसी भाग की नकल करना या नकल करवाना भी है ; और किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की संसूचना के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज का अन्तरण या प्रेषण भी है ;

(3) "दस्तावेज" के अन्तर्गत दस्तावेज का भाग भी है ;

(4) "प्रतिमान" के अंतर्गत डिजाईन, पैटर्न और नमूना भी है ;

(5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत, पनडुब्बी, वायुयान, टैंक या सदृश इंजिन, आयुध और गोलाबारूद, तारपीडो या सुरंग, जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनुकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज, सामग्री या युक्ति है ;

(6) "सरकार के अधीन पद" के अन्तर्गत सरकार [2]*** के किसी विभाग में या उसके अधीन कोई पद या नियोजन है ;

(7) "फोटो ग्राफ" के अन्तर्गत बिना धुली हुई फिल्म या प्लेट भी है ;

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (1क) अंत:स्थापित किया गया था जिसका विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

(8) "प्रतिषिद्ध स्थान" से अभिप्रेत है –

(क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक, बल का संस्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, शिविर, पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के या उसकी ओर से अधिभोग में है, कोई सैनिक तारयंत्र या टेलीफोन, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, कोई बेतार या संकेत स्टेशन या कार्यालय, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्संबंधी किन्हीं रेखाचित्रों, रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत, बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है ;

(ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का नहीं है और जहां कोई युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्मत की जा रही या प्राप्त की जा रही या भंडार में रखी जा रही है ;

(ग) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने, इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसे नुकसान शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(घ) कोई रेल, सड़क, मार्ग या जलसरणी या भूमि मार्ग

या जल मार्ग द्वारा संचार के अन्य साधन (जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे संबंधित कोई संकर्म या संरचनाएं भी हैं) या गैस, जल या विद्युत संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान या कोई स्थान जहां युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्मत किए जा रहे या भंडार में रखे जा रहे हैं, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(9) "रेखाचित्र" के अंतर्गत को कोई फोटोग्राफ या किसी स्थान या चीज का प्रतिरूपण करने वाला अन्य ढंग है ; और

[1]* * * *

(10) "पुलिस अधीक्षक" के अंतर्गत समान या वरिष्ठ पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे केन्द्रीय सरकार ने [2]*** पुलिस अधीक्षक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त की हों ।

3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां – (1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, उसका निरीक्षण

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1950 द्वारा खण्ड (9क) अंत: स्थापित किया गया था जिससे 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा निरसित किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या किसी स्थानीय सरकार द्वारा" शब्दों का लोप किया गया ।

करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा ; या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है ; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज, या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है, या होने के लिए आशयित है [1][या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है] ;

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, कारखाने, डाकयार्ड, शिविर, पोत या वायुयान के संबंध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए [2]*** अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृत्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है, और इस बात के होते हुए भी कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हो, यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था ; और यदि, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रयुक्त या उससे संबद्ध अथवा ऐसे स्थान में कि किसी चीज से संबद्ध किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित हो यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, [1][जानकारी, संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत या उपधारित किया जाएगा] कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था ।

4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना – (1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य कि वह, चाहे [2][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है इस बात को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा कि उसने, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशयित है ।

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा "या जानकारी जिसकी बाबत यह उपधारित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

(क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, यदि –

(i) वह या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या

(ii) या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) "विदेशी अभिकर्ता" पद के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है ;

(ग) "किसी ऐसे पते" की बाबत चाहे वह [1][भारत] के भीतर हो या बाहर, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, अथवा किसी ऐसे पते की बाबत जिसमें कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है या जिसमें वे संसूचनाएं देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है, यह

[1] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं हैं ।

5. जानकारी की सदोष संसूचना आदि – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान से संबद्ध या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान में की किसी चीज से संबद्ध है [1][अथवा जिससे शत्रु को प्रत्यक्षत: या परोक्षत: सहायता होनी सम्भाव्य है, या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है] अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है –

(क) उस संकेतकी या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है, या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से, जिसको राज्य के हितों में, उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा ; या

(ख) अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्वारा "या इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ; या

(ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसको प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के संबंध में दिए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल होगा ; या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को स्वेच्छया प्राप्त करेगा जब कि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से संबद्ध है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

[1][(4) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से,

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्वारा (10-7-1968 से) पूर्ववर्ती उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

6. वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्टों का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज – (1) यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए –

(क) किसी नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती-जुलती वर्दी का, कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा, या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्यारूपेण व्यपदिष्ट करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार है या हकदार रहा है ; या

(ख) मौखिक रूप से या किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा ; या

(ग) किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात् इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगाड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, बदली हुई या अनियमित शासकीय दस्तावेज का जानबूझकर उपयोग करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा ; या

(घ) सरकार के अधीन पद धारण करने वाला, या धारण करने वाले व्यक्ति के नियोजन में, व्यक्ति होने का या ऐसा व्यक्ति होने का या न होने का, जिसको शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यकूरूपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी

शासकीय दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करने के आशय से कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा ; या

(ङ) किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसका प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार के विभाग द्वारा या किसी ऐसी राजनयिक, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या संबंधित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना, अथवा किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते-जुलते हैं कि उससे धोखा हो सके किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा या किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को कूटकृत करेगा अथवा किसी ऐसी कूटकृत डाई, या मुद्रा या स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी शासकीय दस्तावेज को, भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं, प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधृत रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है, या जब कि उसको प्रतिधृत रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है, या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ख) केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी

शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में रखेगा या किसी शासकीय दस्तावेज को पाने पर या अन्यथा अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी, या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंध, सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक मामलों से संबद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से संबद्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दंडनीय [2]*** अपराधों के अभियोजनों में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हैं ।

7. पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना – (1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी, या [3][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को, जो उसी प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अन्य कर्तव्य पर लगा हो, बाधित नहीं करेगा, जानबूझकर मार्ग भ्रष्ट नहीं करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन नहीं डालेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

8. अपराधों के किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी देने का कर्तव्य – (1) प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, या [2][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को जो गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन किसी अपराध से यह संदिग्ध अपराध से संबद्ध ऐसी जानकारी, जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो और उसके युक्तियुक्त व्ययों के निविदान पर ऐसे युक्तियुक्त समय और स्थान पर हाजिर हो जैसा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में या पूर्वोक्त रूप से हाजिर होने से असफल होगा तो वह कारावास से, जो [3][तीन वर्ष] तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

9. प्रयत्न, उद्दीपन आदि – जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसे दंड से दंडनीय होगा और अपने विरुद्ध ऐसी

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 7 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 8 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

रीति में कार्यवाही किए जाने का भागी होगा मानो उसने ऐसा अपराध किया हो ।

10. गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह जानता है, या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्हीं व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों संबंधी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

11. तलाशी वारंट – (1) यदि किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ पर जानकारी द्वारा करा दिया जाता है कि यह सन्देह किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 9 द्वारा "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

किया ही जाने वाला है, तो वह एक तलाशी वारंट दे सकेगा जो उसमें नामित किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे नहीं है, इसके लिए प्राधिकृत करेगा कि वह किसी भी समय किन्हीं परिसरों या स्थान में, जो वारंट में लिखित है, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रवेश करे और उन परिसरों या स्थान की और वहां पाए गए प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ले और कोई रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज या वैसी ही कोई वस्तु, या ऐसी कोई चीज, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध का साक्ष्य है जो किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है और जो उसे उन परिसरों या स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिले, और जिसके बारे में या जिसके संबंध में उसके पास यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, अभिगृहीत करे ।

(2) जहां किसी पुलिस अधिकारी को, जो अधीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है, यह प्रतीत होता है कि मामला महान आपात का है, और राज्य के हितों में अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, वहां वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को वैसा ही प्राधिकार दे सकेगा जैसा मजिस्ट्रेट के वारंट के द्वारा इस अपराध के अधीन दिया जा सकता है ।

(3) जहां पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई है वहां वह, यथाशीघ्र ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट, प्रेसिडेंसी नगर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा ।

[1][**12. 1898 के अधिनियम सं. 5 की धारा 337 के उपबंधों की धारा 3, 5 और 7 के अधीन अपराधों को लागू होना** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[2] की धारा 337 के उपबंध, धारा 3 के अधीन या धारा 5 के अधीन या धारा 7 के अधीन अथवा 9 के साथ पठित उक्त धारा 3,

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 10 द्वारा धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 306 देखिए ।

5 और 7 में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसी अवधि के लिए जो सात वर्ष तक की हो सकेगी कारावास से दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं ।]

13. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन – (1) [1][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय जो जिला या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विचारणाधीन कोई व्यक्ति आरोप विरचित किए जाने से पहले किसी समय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण का दावा करता है तो यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता तो वह मामले को उस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द कर देगा, भले ही वह ऐसा मामला नहीं है जो उक्त न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय हो ।

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, [2][समुचित सरकार] [3]*** या इस निमित्त [1][समुचित सरकार] द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उससे प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

[4]* * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनों के लिए वह अपराध या तो उस स्थान पर जहां वह वास्तव में किया गया था या [5][भारत] में किसी स्थान पर जहां अपराधी

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" शब्दों का लोप किया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 11 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।

[5] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पाया जाए किया गया समझा जाएगा ।

[1][(5) इस धारा में समुचित सरकार से अभिप्रेत है –

(क) धारा 5 के अधीन किन्हीं अपराधों के संबंध में जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या किसी विदेशी शक्ति से संबंधित नहीं हैं, राज्य सरकार ; और

(ख) किसी अन्य अपराध के संबंध में केन्द्रीय सरकार ।]

14. कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन – किन्हीं ऐसी शक्तियों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किन्हीं कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन करने का आदेश देने के बारे में न्यायालय को है, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के या अपील में की कार्यवाहियों के दौरान या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान इस आधार पर कि कार्यवाहियों के दौरान दिए जाने वाले किसी साक्ष्य के या किए जाने वाले किसी कथन के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अभियोजन पक्ष द्वारा यह आवेदन किया जाए कि समस्त जनता या उसका कोई भाग सुनवाई के किसी भाग के दौरान अपवर्जित कर दिया जाए तो न्यायालय उक्त आशय का आदेश दे सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में दंडादेश जनता के समक्ष दिया जाएगा ।

[2][**15. कम्पनियों द्वारा अपराध** – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 12 द्वारा धारा 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अधिनियम में उपबंधित ऐसे दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

16. [निरसन ।] – निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

———————

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-
5. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/ product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in